अष्टम माला, खंड 51, अंक 1

Wednesday, 19th July, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 19 जुलाई, 1989/28 आषाढ़, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
22	नीचे से 3	"शरद दिघे" के स्थान पर "श्री शरद दिघे" पढ़िये ।
22	नीचे से 8	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अंतःस्थापित करिये ।
64	नीचे से 7	"राम भाय" के स्थान पर "राम भगत" पढ़िये
70	12	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
116	नीचे से 3	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 51, चौदहवां सत्र 1989/1911 (शक)

अंक 2 बुधवार, 19 जुलाई, 1989/28 आषाढ़ 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या	: 25, 27 और 29	...	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या	: 21, 24, 26, 28 और 30 से 40	...	17-30
अतारांकित प्रश्न संख्या	: 231 से 270, और 272, से 397	...	30-159
बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में		...	160-164

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, 19 जुलाई, 1989/28 आषाढ़, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा में मालिकों का अंशदान

[अनुवाद]

*25. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1989 तक, मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की जमा न कराई गई कुल धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1989 तक कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की कुल बकाया राशि (ब्याज सहित) लगभग 116.37 करोड़ रुपये थी ।

(ख) बकाया राशियों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(i) क. रा. बी. अधिनियम की धारा 45 ख के अंतर्गत राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दायर करना ।

(ii) क. रा. बी. अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत अभियोजन मामले दायर करना ।

(iii) कर्मचारियों की मजदूरियों में से काटे गए क. रा. बी. अंशदान का भुगतान न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस के पास शिकायतें दर्ज करना ।

(iv) क. रा. बी. अधिनियम की धारा 85 ख के अंतर्गत हर्जाने लगाना ।

श्री अजय विश्वास : महोदय, उत्तर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की कुल बकाया राशि (ब्याज सहित) लगभग 116.37 करोड़ रुपए थी ।

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है मालिकों की तरफ कितनी बकाया राशि है और कर्मचारियों के अंशदान की बकाया राशि कितनी है। अतः मैं कर्मचारियों से वसूल की गई लेकिन जमा नहीं कराई गई राशि तथा मालिकों के अंशदान के अलग अलग आंकड़े चाहता हूं।

मिल मालिक, कर्मचारियों से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की राशि की कटौती तो करते है लेकिन वे उस राशि को जमा नहीं करा रहे हैं। वे वास्तव में सम्पूर्ण राशि को अपने पास रख लेते हैं। अतः यह एक जघन्य अपराध है। यह अभी शुरू नहीं हुआ है। मेरे विचार से यह 8-10 वर्ष पहले शुरू हुआ है। लेकिन सरकार, मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में असफल रही है।

मैं ऐसे 10 बड़े संगठनों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की राशि जमा नहीं कराई है। क्या सरकार ने किसी संगठन के अंशदान की बकाया राशि को बट्टे खाते डाला है? यदि हां, तो कृपया उन संगठनों के नाम दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राधाकिशन मालवीय : मान्यवर, पूरे देश में 20 रीजंस हैं और जिनकी तरफ जो बकाया है वह पूरी की पूरी धनराशि आपको रीजनवाइज प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक अण्डरटेकिंग की अलग-अलग इसमें बताई गई है। टोटल धनराशि 116.37 करोड़ रुपये की है जो ईयरवाइज दी गई है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं ईयरवाइज पूरा बता दूं। दूसरा आपने प्रश्न किया कि इसकी रिकवरी के लिए आपने क्या किया तो रिकवरी करने के लिए हमने हमारी तरफ से पूरी कार्यवाही की, जैसा ई. एस. आई. एक्ट में प्रोवीजन है। ई. एस. आई. एक्ट की धारा 45 बी के अधीन सम्बन्धित रीजन के कलैक्टरों के पास 50639 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र दायर किये गये, 1983 में। ई. एस. आई. एक्ट की धारा 85 के अधीन दोषी नियोजकों के खिलाफ 4968 मामले दर्ज किये गये। कर्मचारियों की मजदूरी में कटी हुई ई एस आई कंट्रीब्यूशन की अदायगी न करने के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस के पास 450 शिकायतें दर्ज की गई और अंशदान की देरी से अदायगी करने के लिए ई एस आई अधिनियम 85 (बी) के अधीन 21.579 मामलों में हर्जाने लगाये गए।

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास : मेरा प्रश्न था कि उन दस बड़े संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने मालिकों से अंशदान के रुप में काटी गई राशि जमा नहीं कराई हैं। आपने इसके आंकड़े नहीं दिए हैं। आपने बताया कि ऐसे बहुत से मामलों का पता लगाया गया है और आपने कुछ कदम उठाए हैं। मेरा विशेष प्रश्न यह है, सभी कदम उठाने के बाद क्या किसी मालिक को सजा दी गई है अथवा नहीं। कितने मालिकों को सजा दी गई है और यदि कानून पर्याप्त नहीं है, क्या आप वर्तमान कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं जिससे उसे और अधिक कठोर बनाया जा सके ताकि मालिकों को सजा दी जा सके?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : श्रीमन् ईयरवाइज एम्पलायर्स की डिफाल्टर्स की

कन्विक्शन की गई, उसकी मैं फीगर दे देना चाहता हूं। कन्विक्शन तौर पर जो फाइन हुए, 1987-88 में 1767 एम्पलायर्स का 1988-89 में 3,050 का और इम्प्रीजन मेन्ट के रुप में 1987-88 में 12 एम्पलायर का और 1988-89 में 25 एम्पलायर का कन्विक्शन हुआ।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास : क्या वर्तमान कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए आप उसमें संशोधन करने जा रहे है ताकि आप मालिकों को आसानी से सजा दे सकें।

[हिन्दी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : श्रीमन्, हम लोगों ने ई एस आई अमेंडमेंट बिल कोइन्ट्रोड्यूस करने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, जिसमें पैनल्टी को स्ट्रीन्थेंट करने और रिकवरी प्रोसीजर के लिए अपनी मशीनरी सैट-अप करने का विचार है। इस बिल को हम इसी सेशन में इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन तांती : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि कि बिहार के संबंध में जोकि एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है, वहां पर बड़े उद्योगों ने कर्मचारी राज्य बीमा के इस उपबन्ध का उल्लंघन किया है? बिहार और असम में कुछ बड़े उद्योग है जोकि कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा उपबन्धों का उल्लघन किया है, उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए है? क्या उनका विचार इस मामले में कोई और प्रगतिशील कानून लाने का है और यदि हां, तो वह इस मामले में क्या करने जा रहे हैं?

[हिंदी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, हमारे साथी ने ईयर-वाइज बता दिया है कि कहां-कहां कितने डिफाल्टर्स हैं और कितना एमाउन्ट डिफाल्टर है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या एक्शन लिया है, वह भी एक्सप्लेन कर दिया है। कितने रिकवरी केसज फाइल किए हैं और कितने प्रोसीक्यूशन फाइल किए हैं। अन्डर 406-409 आई. पी. सी. जो प्रोसीक्यूशन किया है नान डिपाजिट आफ इम्पलाइज कन्ट्रीब्यूशन के लिए इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा कि सदस्य ने कहा-क्या प्रोग्रेसिव लॉ ला रहे हैं? मैंने बताया है कि हम ई एस आई एक्ट को अमेंड करने जा रहे हैं और इस अमेंडमेंट बिल के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है। हम इसको इसी सेशन में इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हैं, क्योंकि वे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं रिकवरी करने के लिए, एम्लायर्स से भी और एम्पलाइज से भी। पैसा तो आना चाहिए, उसके बिना योजना नहीं चल सकती है, परन्तु हमारे पास शिकायतें हैं कि जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में मैं खुद गया हूं, वहां एडक्वेट फैसिलिटी मजदूरों से पैसा लेकर, मालिकों से पैसा लेकर करते हैं, उनका ठीक ढंग से जो इलाज होना चाहिए, वह नहीं होता है। अस्पताल वैल-इक्विप्ड नहीं हैं, दवायें नहीं मिलती हैं। बीमार मजदूर तो इलाज के लिए जाते हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीटमैंट मिलता है। यदि प्राइवेट इलाज करते हैं तो उनको पैसा

देने में आना-कानी करते हैं। हमने स्वयं कई केस दिये है और पांच-पांच और सात साथ रिमाइन्डर देने के बाद भी ऐसी परिस्थिति है, जिसको सुधारने की जरूरत है। पैसा तो लेना जरूरी है परन्तु पैसे के साथ-साथ जो रोगी आते हैं, जो मजदूर आते हैं, उनकी समुचित देखभाल के लिए अस्पतालों में अच्छी दवाइयां मिलनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरफ भी आपने ध्यान दिया है या कोई आप योजना बना रहे हैं ? इस का मैं जवाब चाहता हूं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शिकायत से मैं सहमत हूं। यह बात सही है कि बहुत सी जगहों से ऐसी शिकायत आई है। खास तौर से मेडीकल फैसीलिटीज, जिस स्तर की मिलनी चाहिएं, वे इम्प्लोयड पर्सन को नहीं मिलती हैं। इस का मुख्य कारण यह है कि जो मेडीकल फैसीलिटीज हम देते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल कन्ट्रौल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। यद्यपि 7/8 हिस्सा उस का रेकरिंग एक्सपेंडीचर कारपोरेशन पे करती है और 1/8 हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पे करती है लेकिन उन्हीं के हाथ में पूरा इन्तजाम है। इसलिए हम डाइरेक्टली इन्टरफियर नहीं कर सकते, सिर्फ एडवाइस करते हैं। इस चीज को देखते हुए पिछली जो लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी, उस में मैंने एक सुझाव दिया था कि हम 1/8 हिस्सा स्टेट्स से नहीं लेंगे और हम पूरा खर्च करेंगे। नानरेकरिंग एक्सपेंडीचर पूरा कारपोरेशन ने इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव किया है कि हम रेकरिंग एक्सपेंडीचर भी पूरा करेंगे लेकिन उनका कन्ट्रोल कारपोरेशन अपने हाथ में लेना चाहती है। इसीलिए सब्सीडियरी कारपोरेशन बनाने के लिए, सुविधा हो जाए, टेक-ओवर के लिए एमेंडिंग बिल में हम प्रोविजन करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 27.

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, मेरे प्रश्न की भाषा एकदम अलग थी। यह आन्ध्र में प्रधान मंत्री की चावल की घोषणा के बारे में था, और उसे इस प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है। मुझे एक बहुत ही उलझन की स्थिति में डाल दिया गया है, क्योंकि वह प्रश्न पूरी तरह से अलग था। मैं यह चाहता हूं कि मेरे मूल प्रश्न का भाव रहने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

आदिवासियों के लिए रियायती मूल्य पर चावल की बिक्री

+

***27. श्री विजय कुमार यादव :**
प्रो. मधु दंडवते :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आदिवासियों में वितरण हेतु आदिवासी बहुल राज्यों को रियायती मूल्य पर चावल उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न किस्म का चावल राज्यवार किस मूल्य पर जारी किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्य एजेंसियों को ढुलाई और वितरण लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए बिक्री मूल्य में कुछ वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य समन्वित जनजाति विकास परियोजना के अंतर्गत आदिवासियों के लिए जारी किए गए चावल के अनुमत मूल्य वसूल कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1985 से शुरु की गई योजना के अधीन चावल तथा गेहूं समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन आने वाले इलाकों और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादर तथा नगर हवेली के आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किया जाता है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन सप्लाई किए गए चावल की किस्मों के निर्धारित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों तथा अधिकतम खुदरा मूल्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य			इस योजना के अधीन उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य		
	दिसंबर, 1985 से 30.9.87	1.10 87 से 24.1 89	25.1.89 से	दिसंबर, 85 से 30.9.87	1.10.87 से 24.1.89	25.1.89 से
चावल (साधारण)	160.00	160.00	194.00	185.00	185.00	219.00
चावल (बढ़िया)	170.00	183.00	254 00	195.00	208.00	279.00
चावल (उत्तम)	185.00	198.00	275.00	210.00	223.00	300.00

(ग) इस योजना के अधीन विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जिससे परिवहन लागत, प्रासंगिक खर्चों आदि को पूरा करने के लिये 25/- रुपये प्रति क्विंटल के मार्जिन की इजाजत दी जा सके । यह मार्जिन इस योजना को

कार्यान्वित कर रही सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को समान रूप से लागू होता है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार इस स्कीम को शुरू करने की तारीख से 7.8.1986 तक साधारण चावल के लिए 200/- रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य ले रही थी जबकि उस समय अनुमेय सीमा 185/- रुपये प्रति क्विंटल थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत चावल की साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के खुदरा मूल्य क्रमशः 223/- रुपये, 289/- रुपये और 310/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। गुजरात सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के लिए खुदरा मूल्यों को पूर्णांक में बदल कर साधारण चावल के लिए 220/- रुपये प्रति क्विंटल और बढ़िया किस्म के चावल के लिए 280/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जिससे 1/- रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षित खुदरा मूल्य ही लागू करें। अन्य राज्यों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मधु जी ने कहा, प्रश्न की धार ही बदल दी गई है और प्रश्न की धार बदलने के साथ-साथ जवाब भी कुछ ऐसा दिया गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि आखिर प्रश्न की धार क्यों बदली गई है। आपने जो जवाब दिया है, उस जवाब में आप ने कई राज्यों के बारे में जो चर्चा थी इशू प्राइस के बारे में, उन का अप-टू-डेट दिया है लेकिन मेक्सीमम प्राइस जो रिटेल में स्टेट में चार्ज की जा रही है, उस को आप देखिये कि प्रश्न पार्ट (डी) में जो आप ने जवाब दिया है, तो आन्ध्र प्रदेश के बारे में आप ने कब का जिक्र किया है। 7-8-86 का आपने बताया है और दूसरे राज्यों का आपने अप-टू-डेट दिया है, दो राज्यों का लेकिन जहां तक आन्ध्र प्रदेश का मामला है, आन्ध्र प्रदेश के मामले में आपने 7-8-86 तक का जवाब दिया है. मैं जानना चाहता हूं कि अभी क्या पाजीशन है आन्ध्र प्रदेश की। आन्ध्र प्रदेश की सरकार किस रेट में इशू करती है, इस का जिक्र आपने नहीं किया है। यह नं. 1 बात है और नं. 2 बात यह है कि इसी सिलसिले में जो कांग्रेस शासित दूसरे राज्य हैं, उड़ीसा और इस तरह के कई राज्य हैं, अखबारों के माध्यम से वहां की ज्यादा चर्चा की जाती है, नागालैंड वग़ैरह की, तो इस तरह का जवाब आप ने दे दिया।

[अनुवाद]

अन्य राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इतना पार्टीसन एटीट्यूड नहीं लेना चाहिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट को। जो नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, उनके बारे में इस तरह का जवाब देना और कांग्रेस गवर्नमेंट्स को इस मामले में बचाना, यह ठीक नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सैन्ट्रल गवर्नमेंट का जो चार्ज है, उस से ज्यादा अगर कोई चार्ज करता है, तो यह कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है और इस मामले में कम से कम आप को एक नीति अपनानी चाहिए थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार किस रेट पर लोगों को देती है और दूसरे जो

कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां की क्या पाजीशन है ?···(व्यवधान)··· नागालैंड की क्या पाजीशन है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जो हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

> "क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य समन्वित जनजाति विकास परियोजना के अन्तर्गत आदिवासियों के लिए जारी किए गए चावल के अनुमत मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है"

[हिन्दी]

सर, जिन जिन राज्यों ने ओवर चार्ज किया है या कर रहे हैं और जो हमारे नोटिस में आया है (व्यवधान) इसके उत्तर में पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। चूंकि आंध्र प्रदेश में ओवर चार्ज हो रहा था, पहले जो हमारा 25-1-89 से पहले रेट था, उस पर ओवरचार्ज हो रहा था वह आंध्र प्रदेश में हो रहा था। वे 185 रुपये के बजाए 200 रुपये फी क्विंटल पर उनको चावल दे रहे थे। (व्यवधान) गुजरात कांग्रेस शासित प्रदेश है, उसमें भी ओवरचार्ज कर रहे थे। उसी तरह से वेस्ट बंगाल है। प्रश्न में यह पूछा है कि आई टी डी पी में कौन देते हैं। यह आई डी पी. योजना 1985 में शुरू की गयी थी। जिसके बारे में सभी को लिखा गया था कि 160 रुपये क्विंटल इश्यू प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगी और उसके ऊपर 25 रुपये इन्सीडेंटल चार्ज में रखे गये थे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 185 रुपये क्विंटल से ऊपर चावल नहीं बेच सकती थी। हमने यह भी इन्स्ट्रक्शंज दे रखी थीं कि ट्राइबल लोग गरीब हैं इसलिए उनको कामन वैरायटी का चावल दिया जाए। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है वह राज्य चावल प्रोक्योर करता है और परचेज करता है इस वास्ते उसे ट्राइबल्स को कामन वैरायटी का चावल देना चाहिए था।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय पहले जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया है। पहले वह जवाब दिलवाइये। ये बता रहे हैं कि 1986 तक किस रेट पर दे रही थी। पहले जो मैंने सवाल किया है उसका तो बताइये। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूं।

श्री सुख राम : जो दो रुपये की स्कीम है, उस पर देते होंगे।

श्री विजय कुमार यादव : दूसरा सवाल मेरा यह है क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब प्रधान मंत्री जी ने आंध्र का दौरा किया था तो यह कहा था कि आंध्र सरकार इश्यू प्राइस से ज्यादा वसूल कर रही है ? अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कम पर चावल दिया।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वह सही है, सौ फीसदी ठीक है। (व्यवधान) उन्होंने वहां निकम्मा राइस देखा था जबकि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम सुपर फाईन चावल देते हैं। प्रधान मंत्री जी को वहां झोंपड़ी में ले गये थे जहां पर कि घटिया

घोष निकम्मे किस्म का चावल दिया जा रहा था। वह उनको दिखाया गया था। इसलिए प्रधान मंत्री जी का कथन सही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अब दर क्या है? महोदय, वह तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : आप कितने प्रतिशत दे रहे हैं? सामान्य किस्म के जो आप दे रहे हैं वह केवल 3 प्रतिशत है। (व्यवधान)

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या आप जानते हैं कि हम इस चावल के लिए राज सहायता के रूप में 11 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। आप एक समय में एक क्यों नहीं बोल सकते?

प्रो. मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि खाद्य समस्या एक ऐसी है जिसे राजनीतिक रूप कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह दम नहीं है कि जब प्रधान मंत्री ने मेरा मतलब है वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी…(व्यवधान)

आपत्ति क्या है? यह भूतपूर्व प्रधान मंत्री से भी संबंधित हो सकता है। मैं भविष्य से संबंधित नहीं कह रहा हूं। मैं विगत का उल्लेख कर रहा हूं। वे भविष्य के बारे में चिन्तित हैं।

(व्यवधान)

वास्तव में, यदि मैं कहता हूं 'वर्तमान प्रधान मंत्री' तो क्या मैं गलती पर हूं? यहां तक की पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी ऐसा हो सकता था। अतः मैं इसे स्पष्ट करता हूं।

क्या यह सच नहीं है कि जब प्रधान मंत्री ने 15 जून, 1989 को आंध्र प्रदेश में कुददापाह में जब एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया था कि जबकि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को 1.80 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया था…(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1.80 रुपये नहीं बल्कि 1.85 रुपये।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने 1.80 रुपये कहा था। मैंने उन्हें दूरदर्शन पर सीधे सुना था। वास्तव में, यह प्रो. तिवारी का दूरदर्शन है। लेकिन फिर भी मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैंने उनका भाषण सुना था जिनमें उन्होंने कहा था 1.80 रुपये की दर से चावल दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : नहीं। यह 1.85 रुपये था।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने लिखित प्रश्न दिया है। उसमें भी मैंने बताया है कि उन्होंने कहा है यह 1.80 रुपये था। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, यह 1.80 रुपये नहीं था। यह 1.85 रुपये था।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने कहा था, '1.80 रुपये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को इसका उत्तर देने दीजिये। सरकार को उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : यदि प्रधान मंत्री का हिसाब कमजोर है, तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

यदि शोरगुल में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे उसे दोहराने दीजिये। क्या यह सच नहीं है कि 15 जून, 1989 को आंध्र प्रदेश में कुद्दापाह में सार्वजनिक बैठक को सम्बोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने यह आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री 0.20 पैसे प्रति किलो की दर से बेईमानी कर रहे हैं ? उनका आशय था कि जबकि राज्य सरकार को जनजातियों में वितरण के लिए खाद्यान्न 1.80 रुपये प्रति किलो की दर से दिए जा रहे हैं, वे उसे 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं।

महोदय, इस संदर्भ में, मैंने एक लिखित प्रश्न दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये। प्रश्नों से तंग न कीजिए। (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : पांच वर्ष को समाप्ति पर उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि मात्र चीखने से वह मुझे अपनी बात कहने से नहीं रोक पायेंगे।

अब, क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने आरोप लगाया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री ने 0.20 पैसा प्रति किलो की दर से केन्द्र के साथ बेईमानी की है ? क्या यह सच नहीं है कि वास्तव में वह आदिवासियों के मध्य न केवल आम चावल अपितु, उच्च मिश्रित श्रेणी के चावल का वितरण कर रहे हैं। साथ ही क्या यह सच नहीं है कि आज महाराष्ट्र में आदिवासियों के मध्य चावल 2.19 किलो की दर से बेचा जा रहा है। मैंने विभिन्न राज्यों के मूल्यों का संकलन किया है। गुजरात में यह 2.19 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है, राजस्थान में भी 2.19 प्रति किलो की दर से बिहार में 2.19 पैसे प्रति किलो की दर से, मध्य प्रदेश में 2.19 प्रति किलो की दर से, लेकिन आन्ध्र प्रदेश में यह 2.00 प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बताए गए सामान्य, सुपर फाईन और उच्च श्रेणी चावल के औसत मूल्य को लें तो यह 2.01 पैसे प्रति किलो की दर पर बैठता है ? इसके स्थान पर 2.01 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने की बजाए वह 2 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं। कानूनी रूप से क्या यह सच यहीं है कि नियम अनुसार और योजना के अनुसार उन्हें परिवहन और वितरण के लिए 20 पैसे प्रति किलो या 25 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी का अधिकार है ?

इस सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि प्रधान मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश की जनता, राष्ट्र की जनता और टेलिविजन दर्शकों को सबसे बड़ा झूठ बोला है ? (व्यवधान)

श्री सुख राम : मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए। प्रो. मधु दंडवते व्यर्थ में ही इस मुद्दे पर इतने

उत्तेजित हैं। प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी जरूर की थी लेकिन शायद उन्होंने यह टिप्पणी अपने पिछलेअप्रैल 1586 के दौरे के संबंध में की थी… (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने यह वक्तव्य 15 जून 1989 को दिया था…

श्री सुख राम : जब प्रधान मंत्री ने अप्रैल 1986 में आंध्र प्रदेश की यात्रा की थी तो यह सत्य उन्हें बताया गया था। (व्यवधान) इसीलिए उन्होंने यह टिप्पणी की।… (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ? उन्होंने यह वक्तव्य 15 जून 1989 को दिया था।… (व्यवधान)

श्री सुख राम : यह वक्तव्य प्रधान मंत्री द्वारा उनके आंध्र प्रदेश के अप्रैल 1986 के पहले दौरे के संदर्भ में दिया गया था। यह सत्य उस समय प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया था और इसीलिए उन्होंने यह टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री शत-प्रतिशत सही थे। आपने यह भी कहा कि कुछ कांग्रेस शासित सरकारें ज्यादा दाम वसूल कर रही हैं। यह भी गलत है। क्योंकि आई.टी.डी.पी. की संशोधित दरें जो कि 25 जनवरी 1989 से लागू होती हैं, अब सामान्य किस्म के चावल का दाम 2 रुपये 15 पैसे है… (व्यवधान)

महोदय, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मैं समझता हूं कि प्रो. मधु दंडवते संशोधित दरों के बारे में भ्रम में हैं आई.टी.डी.पी. की दरों में 25 जनवरी, 1989 से संशोधन लागू किया गया था। उस तारीख से सामान्य किस्म के चावल का खुदरा मूल्य 2.19 पैसे निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारें सही दाम वसूल कर रही हैं। श्री मधु दंडवते द्वारा कहे गये राज्यों द्वारा कोई ज्यादा दाम वसूल नहीं किये जा रहे हैं जैसा कि श्री मधु दंडवते ने कहा है।

अब मैं यह बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार 2.19 पैसे की बजाये 2.23 पैसे वसूल कर रही है और 2.79 पैसे की बजाए 2.89 पैसे वसूल कर रही है। अब भी इन संशोधित दरों के अन्तर्गत भी पश्चिम बंगाल सरकार ज्यादा दाम वसूल रही है।

इसलिए मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने सही टिप्पणी की है। उनके वक्तव्य में कुछ भी गलत नहीं है।… (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण लेने दीजिए। महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ? वह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री 1985 की बात कर रहे थे। वह 1989 में 1985 की बात कैसे कर सकते हैं ? वह 1989 के संदर्भ में बात कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी।

प्रो. मधु दंडवते : वहां के मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी बिना मेरी अनुमति के बोला गया है उसे रिकार्ड में दर्ज न किया जाए। श्री माधव रेड्डी बोल रहे हैं। (व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल में यह जो सब्सिडाईज्ड स्कीम है ट्राइबल एरिया के लिए, उसके तहत आंध्र प्रदेश को भारत सरकार ने कितना कामन वेराइटी राइस सप्लाई किया और किस रेट पर ? क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश प्रदेश में ट्राइबल्स ने कामन राइस को लेने से इनकार कर दिया ? क्या यह सच नहीं है कि कामन वैराइटी का जो राइस है सिर्फ तीन प्रतिशत सप्लाई किया था कभी भी, किसी भी साल में और क्या यह सच नहीं है कि नागालैंड में शुरू से ही तीन रुपये प्रति किलो यह चावल बिकता था। क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने कड़प्पा में एक मीटिंग में यह कहा कि मुख्य मंत्री ट्राइबल को चीट कर रहे हैं ? आप सच के सिवा कुछ नहीं बोलें, मगर सच बोलेंगे तो हम सुनेंगे, वरना हम चले जायेंगे।

श्री सुखराम : आपको सच्चाई अच्छी लगनी चाहिए, सच्चाई यह है कि सारे देश में जो सेंट्रल पूल को चावल जाता है, जो प्रोक्योर करते हैं उसमें से 37 प्रतिशत……

श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव : तीन प्रतिशत है।

श्री सुखराम : अगर आपको कहीं और से आंकड़े मिले हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस मंत्रालय का मैं इन्चार्ज हूं और मुझे सही आंकड़े मालूम हैं। 37 प्रतिशत कामन राइस सेंट्रल पूल में है। जहां तक आई. टी. डी. पी. का ताल्लुक है उसमें कामन राइस दिया जाये क्योंकि ट्राइबल एरिया में पर्चेजिंग पावर बहुत कम है। इसी वास्ते हमने जो रिवीजन किया उसमें सिर्फ पांच रुपये इस वेराइटी पर बढ़ाये हैं, जबकि दूसरे सुपर फाइन पर ज्यादा बढ़ाये हैं। लेकिन ट्राइबल और गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए कामन वेरायटी पर पांच रुपये बढ़ाये हैं। जहां तक आंध्र प्रदेश का प्रश्न है, यह एक सरप्लस स्टेट है वहां पर 15 लाख टन चावल प्रोक्योर करते हैं और 8, 9 लाख टन आंध्र प्रदेश को ही दिया जाता है, पहले 12 लाख टन दिया जाता था, क्योंकि अब स्टाक की टाइट पोजिशन है इसलिए 9 लाख टन देते हैं। इसमें आपके 8 ट्राइबल प्रोजेक्ट्स हैं और अनुमानत: 21.64 लाख की आबादी है और करीब एक लाख टन इन आई. टी. डी. पी. एरिया में दिया जाता है। हमें आंध्र ही में नहीं, बल्कि केरल में भी कामन वेरायटी का राइस देने में कोई दिक्कत नही है। आंध्र प्रदेश अपना भी राइस प्रोक्योर करता है और वह निकम्मा हो जाये, ट्राइबल लोग नापसन्द करें तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जहां तक हमारे चावल का ताल्लुक है वह हमारे गोदामों से जब रिलीज होता है तो हमारे क्वालिटी कंट्रोल आफिसर, एफ. सी. आई. के क्वालिटी कंट्रोल आफिसर और स्टेट के क्वालिटी कंट्रोल आफिसर के क्वालिटी को चेक करने के बाद राज्य सरकार को रिलीज होता है। आगे उनकी ड्यूटी है कि वह फेयर प्राइस शाप्स को दें। राज्य सरकार को देखना चाहिये कि उसकी फेयर प्राइस शॉप्स से जो चावल दिया जाता है, वह किस तरह का होता है, उसकी क्वालिटी क्या है। स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि उसकी दुकानों से घटिया किस्म का चावल किस तरह दिया जा रहा है जब कि हमारे क्वालिटी कन्ट्रोल आफिसर्स देखते हैं कि यहां गोदामों से ठीक चावल दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी : मंत्री जी, ट्राइबल्स को हमने कहां चीट किया है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री सुख राम : मैंने तो पहले ही कहा है, सर··· (व्यवधान)

हम सभी स्टेट गवर्नमेंटस क 24-1-1989 तक एक रुपया 85 पैसे की दर से चावल देते थे इस मामले में हम बहुत सी सबसिडी भी बर्दाश्त कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज को रियायती मूल्य पर चावल देने में, उन्हे सबसिडाइज्ड रेट पर चावल देते हैं लेकिन आपके यहां एक रुपये 85 पैसे की बजाय दो रुपये किलो की दर से दिसम्बर, 1985 ले लेकर 7.8.1986 तक चावल दिया गया। जब हमारे नोटिस में यह बात आयी तो हमने आंध्र प्रदेश सरकार को लिखा कि आप आदिवासियों से ओवर-चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी स्तर से उन्होंने ज्यादा लिया, जो 1986 में हमारे नोटिस में आया। हमने उसी वक्त राज्य सरकार के नोटिस में यह बात लायी। मैंने उस कान्टैक्स्ट में कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्राइबल एरियाज में ओवर-चार्ज किया है। (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के बारे में यहां जो कुछ बोला, उसके विरोध में हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

इस समय श्री सी. माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : हम आंध्र प्रदेश के संसद सदस्य जानते हैं कि वह नाटक कैसे खेलते हैं। राष्ट्र के नागरिकों को मालूम नहीं कि वह नाटक कर रहे हैं, वह हथकंडे अपनाने और स्टेटबाजी करने में माहिर हैं। मैं इसी मसले पर बात कर रहा हूं जिसका चार दिन पहले मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न किया था।

श्री के. एस. राव : यह सवाल तब उठाया गया था जब चार दिन पहले मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई थी। उन द्वारा अनेकों वक्तव्य देने और यह कहने पर आदिवासियों को वह 2.19 पैसे प्रति किलो की इमदादी दर पर चावल उपलब्ध करा रहे हैं, और उन्होंने उन्हें धोखा नहीं दिया है यह केवल प्रधानमंत्री द्वारा दी गई एक टिप्पणी है जिसे सही नहीं बताया गया है-मैंने मुख्य मंत्री से पूछा था कि वह यह कैसे कह सकते हैं कि 24.1.1989 से पहले उन्होंने आदिवासियों को धोखा नहीं दिया है। जबकि उन्हें आदिवासियों को 1.85 पैसे प्रति किलो की दर से चावल बेचना चाहिये था ? इसमें राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले 25 पैसे भी शामिल हैं। जब मैंने यह कहा है कि संसद सदस्यों के तौर पर हम भारत सरकार पर उचित मात्रा में चावल देने के लिए जोर देना चाहते हैं, यहां तक की घटिया चावल देने पर भी, तब मुख्य मंत्री सहित सभी परेशानी में पड़ गये और उन्होंने कहा कि वह भारत समकार से सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यह आदिवासी हैं जो घटिया चावल नहीं चाहते हैं। शायद श्री दंडवते तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 1.85 पैसे कहने की बजाये, 1.80 पैसे कहा, जब वह कुड्डप्पा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का जिक्र कर रहे थे। यह निश्चित तौर पर आदिवासियों के साथ बेईमाई है क्योंकि 1.85 पैसे वसूलने की बजाये 24.1.1989 तक घटिया चावल 2.00 रुपये की दर से बेचा गया जबकि इसे भारत सरकार 1.60 पैसे पर बेचती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी सरय आन्ध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि जो घटिया चावल वह सप्लाई कर रही है वह पर्याप्त नहीं है जिसके कारण उन्हें यह 2600 रु. की दर से बेचना पड़ता है। या क्या वह उन्हें पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई करेंगे। यह आदिवासियों से 20 पैसे की नहीं तो 15 पैसे की बेईमानी का साफ मामला है।

श्री सुखराम : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, प्रधान मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट वहां दिया था वह उस कांटेक्स्ट में था, जब अप्रैल, 1986 में प्रधान मंत्री महोदय खम्मन डिस्ट्रिक्ट में गए हुए थे। वहां पर, उस मौके पर उनके नोटिस में यह बात लाई गई कि आई. टी. डी. पी. (इन्टिग्रेटेड ट्राइबल डवलपमेंट प्रोग्राम) में जो चावल हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं, उसकी इश्यू प्राइस 160/-है और उसमें इन्सीडेंटल चार्जेज रु. 25/-हम स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ने की और इजाजत देते हैं, इस प्रकार वह रु. 185/-प्रति क्विंटल बनता है। आंध्र प्रदेश सरकार की अपनी कोई तेलुगु देशम राइस स्कीम है, उसके अन्तर्गत वे दो रुपए फी के. जी. राइस देते हैं। जब हमारे नोटिस में यह बात आई, तो उस वक्त, 1986 में हमने उनको लिखा कि आप दो रुपए प्रति किलो में वह चावल नहीं दे सकते हैं, जो आपको हमारी तरफ से रु. 185 प्रति किलो दिया जाता है। उन्होंने हमको जवाब दिया है कि हमने दिनांक 7-8-86 से उसे दो रुपए प्रति किलो दिया है। अब असलियत क्या है, वह हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उसके अनुसार उस रेट से उन्होंने दो रुपए प्रति किलो बेचा है। चूंकि आंध्र प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य भी जानते हैं कि यह प्रदेश सरप्लस स्टेट है और वहां 15 लाख टन चावल हम हर साल प्रक्योर करते हैं, उसमें से ही ही हम उनको 9 से 12 लाख टन, उनकी स्कीम में दिया करते हैं अब चूंकि टाइट पोजीशन चावल की है इसलिए वहां 8 या साढ़े 8 लाख टन हम चावल दे रहे हैं और हमने सभी प्रान्तीय सरकारों को कहा हैं कि कॉमन वैरायटी का जो राइस है, वह अच्छा है और आंध्र प्रदेश में काफी मात्रा में अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश को इस योजना के लिए तकरीबन एक लाख टन सालाना जरूरत रहती है। एक लाख टन चावल कॉमन वैरायटी का स्पेयर करना उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जो हम प्रोक्योर करते हैं, उसी में से हम उनको देते हैं और उसको वे आगे तकसीम कर देते हैं।

जब प्रधान मंत्री वहां गए, वहां मुख्य मंत्री भी थे, जब प्रधान मंत्री जी ने वहां झोंपड़े में जाकर देखा, तो वह बहुत घटिया किस्म का चावल था और शायद मुख्य मंत्री उसको खा नहीं सकते थे। जब कि मुख्य मन्त्री महोदय ने खुद प्रधान मंत्री को कहा था कि फाइन और सुपर फाइन वैरायटी का चावल वे वहां देते हैं जबकि वह कॉमन वैरायटी का था। मेरा निवेदन है कि उसमें ओवर चार्ज हुआ है, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर उसमें चीटिंग भी हुई है, मुनासिब लफ्ज़ है चीटिंग भी, क्योंकि जब यह स्कीम प्रधान मंत्री जी ने 1985 में एक स्पेशल स्कीम सारे देश के लिए 198 प्रोजेक्टों के लिये और करीबन 19 स्टेट्स और यूनियन टैरेटरीज के लिए जिसमें पूरे ट्राइबल क्षेत्र हैं और जिससे 57 मिलियन लोगों को फायदा होता है, एक हाइली सब्सीडाइज्ड, जिसमें चावल भी है, यह स्कीम इन्ट्रोड्यूस की थी, लेकिन तेलुगु देशम गवर्नमेंट ने अपने नाम से उस स्कीमको लागू कर दिया, जबकि भारत सरकार की स्कीम थी, उसमें भी ओवर चार्जिंग कर के उन्होंने ट्राइबल्स के साथ इन्साफ नहीं किया है, बेइन्साफी की है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा। प्रो. मधु दंडवते ने कहा था कि उनकी इस मामले को राजनीतिक

मुद्दा बनाने में रुचि नहीं थी लेकिन वे मंत्री जी की बात सुने बिना सदन से बाहर चले गये हैं। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इस सारे मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसमें संपूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए और फिर जो तथ्य हैं उन्हें स्पष्ट किया जाए और बताया जाए कि गलती कहां है। क्या यह गलती केन्द्र सरकार की है या राज्य सरकार की है ? अगर यह राज्य सरकार की है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इस प्रश्न पर आधे घंटे से अधिक समय ले लिया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : वे संसदीय लोक तन्त्र के लिए कम सम्मान दिखा रहे हैं। वे मन्त्री जी के उत्तर को सुनना नहीं चाहते। वे सदन से बाहर चले गये हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं। कुछ नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी नहीं सुन रहे हैं। वे भी नहीं सुनते। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोगों को नियमों का पालन करना है। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं आपकी चिन्ता समझता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत चिन्तित हूं। आपको इसे सही रूप में करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इस सचिवालय की मार्च 1989 की संसदीय पत्रिका जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फोर्मेशन कहा गया है पिछले सत्र में हर रोज 20 तारांकित प्रश्न थे जिनमें से केवल पांच या छः प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे। आज एक और उदाहरण है जिसमें आठ प्रश्नों में से छः सदस्य उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने इस प्रश्न पर 50 मिनट लिये हैं। प्रो. मधु दंडवते सदन की कार्यवाही को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे क्या करना चाहिए ? मैंने इसके लिए प्रयास किया है। मैं क्या कर सकता हूं ? अब आप भी कर रहे हैं ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आपने प्रो. दंडवते को अनुमति प्रदान की···

अध्यक्ष महोदय : यहाँ अनुमति का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह मान लेने का प्रश्न है। यह माननीय सदस्यों द्वारा मर्यादा को बनाये रखने का प्रश्न है। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि यह पत्रिका बताती है कि एक दिन में 20 प्रश्नों में से केवल चार या पांच प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। हम भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उन्हें संसद के समक्ष तथ्य बताने की अनुमति नहीं है······

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह आप जानते हैं, मैं जानता हूं और प्रत्येक व्यक्ति जानता है नियम क्या है प्रक्रिया क्या है। अगर फिर भी वे इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं ? आप इसे उनके गले से नीचे नहीं उतार सकते। यह उन्हें अपने आप करना होगा।

प्रो. एन. जी. रंगा : ऐसे व्यवहार की आपको हमारी ओर से निन्दा करनी चाहिए···
·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं। मैं उन्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं केवल उनका मार्ग दर्शन कर सकता हूँ। मैं उनको रास्ता बता सकता हूँ। मैं मंत्री को उत्तर देने के लिए कह सकता हूँ। लेकिन मंत्री जी की बात सुनने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। यह मेरे अधिकार में नहीं है।

उड़ीसा के लिए वनस्पति के नए कारखाने

***29. श्री के. प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने वनस्पति एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) इनकी अनुमानित लागत, इनके स्थापना स्थलों, इनकी क्षमता एवं इनके द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने के संभावित समय का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए दो आशय-पत्र जारी किए गए हैं। उक्त ब्योरा इस प्रकार है :—

एक आशय-पत्र खुर्दा जिला पुरी में सहकारी क्षेत्र में 15000 मी. टन की वार्षिक क्षमता का

एक वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए मै. उड़ीसा स्टेट कोआपरेटिव आॅयलसीड्स प्रोवर्स फैडरेशन लि. के पक्ष में फरवरी, 1989 में जारी किया गया है। संयंत्र की अनुमानित लागत (भूमि, भवन तथा मशीनरी) लगभग 230 लाख रुपए है।

दूसरा आशय-पत्र संयुक्त क्षेत्र में तहसील आनन्दपुर, जिला कियोंझर में 15000 मी. टन की वार्षिक क्षमता के लिए मै. इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि. के पक्ष में मई, 1989 में जारी किया गया है। संयंत्र की अनुमानित लागत (भूमि, भवन व मशीनरी) लगभग 429 लाख रुपए है।

आमतौर पर कोई वनस्पति एकक लगभग दो वर्षों में चालू हो जाता है।

श्री के. प्रधानी : मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उड़ीसा में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है—एक खुर्दा में दूसरी आनन्दपुर में है। इन दो परियोजनाओं की प्रति वर्ष 15,000 मी. टन की क्षमता है। इन दो परियोजनाओं की अनुमानित लागत 230 लाख रुपये और 2429 लाख रुपये है... (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : वे वापस आ गये हैं। प्रो. मधु दंडवते जैसे व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है प्रश्न पूछो और फिर सदन से चले जाओ। मधु दंडवते जैसे वरिष्ठ सदस्य जो हम जैसे जूनियर सदस्यों के लिए एक उदाहरण होने चाहिए, इन्हें सदन से बाहर जाने से पहले मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कम से कम प्रो. मधु दंडवते जैसे वरिष्ठ सदस्य से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यदि उनके लिए यह उत्तर इतना अधिक कष्टप्रद है, तो उन्हें सदन में बैठना चाहिए था और उसे सुनना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता हूं महोदय... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है... (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : इन सब बातों से आप प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकते, महोदय... (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों से प्रति किलो चावल पर 15 पैसे अधिक लिये जाते हैं... (व्यवधान) आप उत्तर सुनिये... (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या सरकार चावल के प्रश्न के बारे में तथ्य जानने के लिए संसद की एक समिति नियुक्त करने के लिए तैयार है... (व्यवधान) अगर उनके द्वारा पूछे गए तथ्य ठीक हुए तो हम अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। क्या वे भी ऐसे ही प्रस्ताव के साथ आगे आएंगे... (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : कोई बात नहीं हम 12.00 बजे त्याग पत्र की मांगें कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुख राम।

श्री सुख राम : महोदय, मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं सुन सका था,... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब क्या करना है? मैं हाऊस एड्जर्न करूं ? यह कोई तरीका है, सारे आदमी अपनी-अपनी कह रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। वे सभा को कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, महोदय··· (व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, प्रश्नकाल समाप्त होता है··· (व्यवधान)

श्री मधु दंडवते : वह यह घोषणा क्यों कर रहे हैं कि प्रश्नकाल समाप्त होता है······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को शौक नहीं है तो कल से बन्द कर दें। और क्या करना है जब काम नहीं तो छुट्टी कर दें।

[अनुवाद]

अगर सदन में इस तरह किया जायेगा तो इसकी क्या आवश्यकता है, चलिए अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल

*21. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली और देश के कुछ अन्य भागों में सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ डाक्टरों ने हड़ताल की थी और यदि हां, तो कितने कनिष्ठ डाक्टरों ने हड़ताल में भाग लिया और इस हड़ताल का अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) इस हड़ताल के लम्बे समय तक चलते रहने के क्या कारण है;

(ग) कनिष्ठ डाक्टरों की मुख्य मांगें क्या थी और उनके साथ क्या समझौता हुआ;

(घ) क्या हड़ताल करने वाले डाक्टरों में से किन्हीं डाक्टरों को निलम्बित किया गया अथवा उनकी सेवाएं समाप्त की गयी;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है कि अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में भविष्य में कोई व्यवधान न आए; और

(च) क्या दिल्ली में सर्विस डाक्टरों ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी और यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं क्या इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, और जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी के जूनियर डाक्टर अपनी मांगों को लेकर 16 मई से 1 जुलाई, 1989 तक हड़ताल पर थे। डाक्टरों की थोड़ी सी संख्या को छोड़कर लगभग सभी 3200 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे। जहां हड़ताल का इन अस्पतालों के सामान्य कार्यचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा, वहां इन अस्पतालों की अनिवार्य रोगी परिचर्या सेवाओं को सर्विस डाक्टरों और तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए डाक्टरों तथा राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए डाक्टरों की मदद से बनाए रखा गया।

यह हड़ताल 48 दिन तक जारी रही क्योंकि जूनियर डाक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के अन्तिम दौर में उन्होंने बताया कि परिलब्धियों में वृद्धि करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ, और क्योंकि उनकी मांगों और सरकार की पेशकश के बीच काफी फर्क था। इस हड़ताल को पहली जुलाई, 1989 की लम्बी बात-चीत के बाद हुए समझौते के जरिए समाप्त कर दिया गया।

जूनियर डाक्टरों की मुख्य मांगें और पहली जुलाई, 1989 को जूनियर डाक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ हस्ताक्षर किया गया करार इस प्रकार था :—

1. 600 रुपये का प्रैक्टिसबंदी भत्ता,
2. शत-प्रतिशत परिलब्धियों पर मंहगाई भत्ता,
3. जूनियर रेजिडेन्टों के लिए 100 रुपये प्रति माह और सीनियर रेजिडेन्टों के लिए 200 रुपये आकस्मिक भत्ता और 1.7.87 से बकाया का भुगतान,
4. रेजिडेन्सी की अवधि को वेतन वृद्धि वरीयता, छुट्टी, पेंशन, उत्पादन, सरकारी आवास आदि जैसे सभी सेवा मामलों के लिए सेवा से एक भाग के रूप में मानना। करार की एक प्रति उपाबंध विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

उन जूनियर डाक्टरों की सेवाओं को, जो हड़ताल की अवधि के दौरान समाप्त कर दिया गया था। पहली जुलाई 1989 के करार का हस्ताक्षरित करने और उसके बाद हड़ताल को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, ऐसे डाक्टरों को सेवा में वापिस ले लिया गया है।

पहली जुलाई, 1989 को किए गए करार में वेतन संशोधन के लिए एक निश्चित फार्मूला

रखा गया है और आशा है कि भविष्य में इससे जूनियर डाक्टरों को परिलब्धियों में वृद्धि करने और संशोधन करने से संबन्धित मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। सरकार भी अस्पतालों में रोगी परिचर्या सेवाओं और रेजीडेन्ट डाक्टरों के क्लिनिकल प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए रेजीडेन्सी स्कीम की समीक्षा कर रही है। आशा है कि इन कदमों से भविष्य में अस्पतालों में बिना किसी बाधा के सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सर्विस डाक्टरों ने 19/20 जून, 1989 की मध्य रात्रि से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। लेकिन उन्होंने भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि डाक्टरों की मांगों पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1989 तक ले लिया जाएगा, हड़ताल स्थगित कर दी। उनकी मांगें विवरण-2 में देखी जा सकती है।

विवरण-1

जूनियर डाक्टर संघ के नामित प्रतिनिधियों और श्री टी. एन. शेषन मंत्रिमंडल सचिव, भारत के बीच 1.7.1989 को हुआ समझौता

1. जूनियर रेजिडेंट, जो इस समय 2400/-रुपये प्रति मास के हिसाब से वेतन ले रहे हैं, 2630/-रुपये का वेतन प्राप्त करेंगे जो कि वेतन और जी. डी. एम. ओ. (2200+600) प्रैक्टिसबंदी भत्ते का 94 प्रतिशत है। यदि जी. डी. एम. ओ. के वेतन अथवा प्रैक्टिसबंदी भत्ते का संशोधन होगा तो इसी प्रतिशत को बनाये रखा जायेगा। सीनियर रेजिडेंट इस समय मिल रहे 3000 रुपये प्रति मास के वेतन के स्थान पर 3160 रुपये के हिसाब से वेतन प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ रेजीडेंट की वर्तमान 3,160/- रुपये की वर्तमान परिलब्धियां 3000+600 रुपये का 87.5 प्रतिशत बैठता है। यदि विशेषज्ञ के मूल वेतन 3000/-रुपये में संशोधन कर उसमें किसी प्रकार की वृद्धि की जाएगी और यदि 600/-रुपये के प्रैक्टिसबंदी भत्ते में जो 3000/-रुपये से कम लेने वाले डाक्टरों को उपलब्ध है, भविष्य में संशोधन किया जाता है, तो वहां अनुपात वरिष्ठ रेजीडेंटों की परिलब्धियों का नियतन करने के लिए लागू होगा। जिन वरिष्ठ रेजीडेंटों के पास केवल स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगा तो धनराशि को 100/-रुपये कम कर दिया जाएगा और जिनके पास कोई स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं होगा तो धनराशि 200/-रुपये कम कर दी जाएगी।

2. महंगाई भत्ता शत-प्रतिशत परिलब्धियों पर दिया जाएगा।

3. वेतन में वृद्धि 1.1.1986 से लागू होगी।

4. आकस्मिकता भत्ते की मंजूरी दिए जाने के स्थान पर उन्हें पुस्तक भत्ता दिए जाने की संभावना की तीन व्यक्तियों की एक समिति द्वारा जांच की जायेगी और उनकी सिफारिश को अंतिम माना जाएगा।

5. कार्य बंद करने की अवधि को अकार्य दिवस माना जायेगा।

6. कार्य बन्द करने की मुहिम में भाग लेने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को समाप्त

कर दिया जायेगा। उन सभी को जिनकी सेवाओं की कार्य बन्द करने के कारण समाप्त कर दिया गया था, कार्य पर वापस ले लिया जाएगा। अन्य सभी शर्तें पहले जैसी रहेंगी।

7. जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया है उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जायेगी।

8. हड़ताल की अवधि को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और संबधित विश्वविद्यालय की सहमति से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए माफ कर दिया जायेगा।

9. इस समझौते को उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित मद को छोड़कर इस तारीख तक विचाराधीन सभी मांगों के पूर्ण और अन्तिम समाधान के रूप में माना जायेगा।

10. इसे ध्यान में रखते हुए जूनियर डाक्टर बिना शर्त हड़ताल को वापस लेने और अपना कार्य तत्काल शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं।

विवरण-2

अन्य शर्तों के साथ-साथ सर्विस डाक्टरों की अन्य मांगें इस प्रकार हैं :—

उच्च वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नतियों, प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति या मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाना जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारित न हो, सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 62-65 वर्ष करना' चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व तारीख से रिस्क भत्ता, वाहन भत्ता, आकस्मिक भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, शिक्षण भत्ता, प्रशासनिक भत्ता, ग्रामीण/कठिन क्षेत्र भत्ता, जैसे विभिन्न प्रकार के भत्ते देना/उनमें वृद्धि करना। सेवा संबंधी सभी मामलों में सभी राज्यों की सेवा की गणना करना, सभी सेवा डाक्टरों के लिए समान वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर प्रदान करना, पदोन्नति/पद-समंजन का लाभ 1.1.1986 से दिया जाना। एस. ए. जी. स्तर पर पदों की संख्या बढ़ाना, हड़ताल की अवधि का वेतन देना, सभी भागीदारों को लाभ प्रदान करना।

कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

*24. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में बन्द पड़ी 140 कपड़ा मिलों को पुनः खोलने की नीति तैयार करने हेतु कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों का राज्यवार ब्योरा क्या है और ये कब से बन्द पड़ी हैं;

(ग) इन मिलों के बन्द होने के कारण राज्यवार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) इनमें से कितने श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिनांक 31-5-1989 की स्थिति के अनुसार बंद पड़ी 138 सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलों में से 72 मिलों के मामले की जांच नोडल एजेंसी पहले ही कर चुकी है। इनमें से केवल 22 मिलों को मूलत: अर्थक्षम समझा गया गया था लेकिन अब इनमें से 15 मिलों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सम्मुख हैं। किसी बंद पड़ी मिल को पुन: खोलना नोडल एजेंसी/बी. आई. एफ. आर. के समक्ष उसकी अर्थक्षमता सिद्ध होने पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) इन बंद पड़ी मिलों का विवरण निम्नलिखित है :—

	राज्य	बन्द पड़ी मिलों की संख्या	श्रमिक प्रभावित
1.	आंध्र प्रदेश	4	1796
2.	बिहार	1	621
3.	गुजरात	36	59807
क.	अहमदाबाद शहर	24	42445
ख.	शेष गुजरात	12	17362
4.	हरियाणा	3	6296
5.	कर्नाटक	12	13823
6.	केरल	2	1289
7.	मध्य प्रदेश	3	5813
8.	महाराष्ट्र	15	37493
क.	बम्बई शहर	9	28140
ख.	शेष महाराष्ट्र	6	9353
9.	राजस्थान	6	4787
10.	तमिलनाडु	38	15214
क.	कोयम्बटूर शहर	21	8148
ख.	शेष तमिलनाडु	17	7066
11.	उत्तर प्रदेश	9	11819
12.	दिल्ली	1	5803
13.	पश्चिम बंगाल	8	21030
	कुल	138	185591

इनमें से 31 मिलें 4 वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़ी हैं।

(घ) खपाये गये कामगारों की संख्या उन मिलों पर निर्भर करेगी जो अन्ततः फिर शुरू की जाएंगी।

खाद्यान्नों का अन्तर-राज्यीय आवाजाही पर लगा प्रतिबन्ध हटाना

[हिन्दी]

*26. श्री राम पूजन पटेल
श्री अमर सिंह राठवा
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गेहूं और चावल की अन्तर-राज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को पूरे देश में हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध को कब तक हटा दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार की इस नीति से देश को लाभ होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) गेहूं और चावल के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

राष्ट्रीय रेशम-कीट पालन परियोजना

[अनुवाद]

*28. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रेशम-कीट पालन परियोजना प्रारम्भ करने के लिए विश्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी, हां।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय 1989-90 में राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। क्रियान्वयन एजेन्सियों ने चालू वर्ष के लिए परियोजना के अन्तर्गत अपनी कार्य योजनाएं बनायी हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं।

स्थानीय निकायों के अधिकारियों की विचार-गोष्ठी

*30. शरद दिघे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1989 में नई दिल्ली में पूरे देश से आये नगर निकायों के अधिकारियों की चार दिवसीय विचार-गोष्ठी हुई थी;

(ख) क्या विचार-गोष्ठी में किन्हीं मुद्दों पर सहमति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में लोकतंत्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इन्हें आवश्यक अधिकार और वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेमिनार में शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक मान्यता, नियमित चुनावों, विशिष्ठ कार्यों तथा संसाधनों के निर्धारण और ग्रामीण तथा शहरी विकास के समन्वय के माध्यम से सुदृढ़ बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

(घ) शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ बनाने के लिए उपयुक्त विधान पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

शहरी विकास सम्बन्धी विधान

*31. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचायती राज विधेयक की तरह संसद के चालू सत्र में शहरी विकास सम्बन्धी कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार इस प्रकार के विधान पर सक्रियता से विचार कर रही है तथा उसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कपड़ा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*32. **श्रीमती किशोरी सिंह**
श्री दिनेश गोस्वामी
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा नीति के समुचित कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित आबिद हुसैन पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) समिति का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ङ) जून, 1989 तक इस समिति पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) आबिद हुसैन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। समिति का कार्यकाल 31.8.1989 तक बढ़ा दिया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिक व्यापक और प्रत्यक्ष जानकारी चाहती है।

(घ) समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया है।

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कोई पृथक बजट व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा के व्यय आदि पर लगभग 40,000 रु. की राशि खर्च की गई है।

कपड़ा व्यापार को व्यापार और टैरिफ सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत लाना

***33. श्री बी. तुलसी राम**

श्री कृष्ण सिंह

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कपड़ा व्यापार को व्यापार और टैरिफ सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) जून, 1989 के महीने मे ब्रूसेल्स में भारतीय प्रतिनिधियों की यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सुझाव को किस सीमा तक मानने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ प्राप्त होगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत दोनों ने पुन्टाडेल-एस्टे मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार वस्त्रों तथा पहनावों के व्यापार के क्षेत्र में वार्ताओं का लक्ष्य ऐसी रूपात्मकताएं तैयार करना है जिससे इस क्षेत्र के गाट मे संभावित एकीकरण की अनुमति होगी। जून, 1989 में सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रयोजित एक प्रतिनिधिमण्डल ने सिन्थेटिक फैब्रिकों के निर्यात संवर्धन प्रयोजन से ब्रसेल्स का दौरा किया। सचिव (वस्त्र) इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ गए थे। तब गाट से वस्त्र व्यापार के एकीकरण सहित भारत से वस्त्र निर्यात सम्बन्धी समस्याओं पर यूरीपीय आर्थिक समुदाय के अधिकारियों से अनौपचारिक विचार-विमर्श करने हेतु मिलने का अवसर मिला था। विशेष रूप से ऐसे एकीकरण की रूपात्मकताओं तथा समय-ढांचे के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

(घ) यदि ऐसा एकीकरण हो जाए तो उससे वस्त्र तथा पहनावा व्यापार का उदारीकरण हो जाएगा और उसके परिणामस्वरुप हमारे निर्यातकों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।

"रुपीज 2 करोड़ मशीन एट ए आई.आई.एम.एस. लाइंग अनयूज्ड" शीर्षक से समाचार

*34. श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "रुपीज 2 करोड़ मशीन एट ए.आई.आई.एम.एस. लाइंग अनयूज्ड" शीर्षक से दिनांक 31 मई, 89 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गुर्दे में पथरी को नष्ट करने के लिए आयात की गई मशीन पिछले एक वर्ष से अप्रयुक्त क्यों पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि लिथोट्रिप्सी मशीन पहले ही लगाई जा चुकी है और यह पूरी तरह कार्य कर रही है तथा परीक्षण की स्थिति में है। इसे पहले इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका क्योंकि गरमी के महीनों के दौरान मौजूदा वातानुकूलन की सुविधा पर्याप्त नहीं थी। अब अतिरिक्त वातानुकूलन की व्यवस्था कर दी गई है। मूत्र विज्ञान विभाग ने डमी और सजीव परीक्षण किया है जिससे इस मशीन की प्रभावकारिता साबित हुई है।

"उड़ीसा में चन्दका वन्यजीव अभयारण्य"

*35. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट चन्दका वन्यजीव अभयारण्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी वन्यजीव अभयारण्यों के लिए आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो चन्दका वन्यजीव अभयारण्य हेतु वर्ष 1989-90 के लिए आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) "अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चन्दका वन्यजीव अभयारण्य के लिए 38.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

1986-87	शून्य
1987-88	25.00 लाख रुपये
1988-89	13.80 लाख रुपये
योग :	38.80 लाख रुपये

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी वन्यजीव अभयारण्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान चन्दका वन्यजीव अभयारण्य के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई है ।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाई

*36. डा. ए. के. पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों की समिति के बारे में 15 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2805 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर अब तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) समिति की सिफारिशें अभी भी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं;

वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था लक्ष्य की प्राप्ति

*37. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की वर्तमान दर से वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं—

(1) औसतन 1000 ग्रामीण आबादी के लिए एक स्वास्थ्य गाइड प्रदान करने की योजना।

(2) प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था करने की योजना।

(3) सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या और आदिवासी और पूर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 3000 की आबादी के लिए एक पुरुष और एक महिला बहुउद्देशीय कार्य-कर्ता के साथ एक उप-केन्द्र प्रदान करने की योजना।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मौजूदा ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाने की योजना ताकि अन्ततः सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक 30000 ग्रामीण आबादी और आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो।

(5) प्रत्येक एक लाख ग्रामीण आबादी के लिए चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाने वाले दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों|सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी विशिष्टताओं में उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना जो कि वे प्रति 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एक रेफरल संस्था के रूप में कार्य करेंगे।

(6) समन्वित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोगप्रतिरक्षण परिवार कल्याण सेवाएं, मलेरिया, दृष्टिहीनता, क्षयरोग, कुष्ठ एवं अन्य संचारी रोगों पर नियंत्रण, विटामिन "ए" की कमी एवं रक्ताल्पता से बचाव, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगी परिचर्या के लिए अन्य स्कीमें बनाना।

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि

*38. श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

श्री मोहनभाई पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्यतया, इस वर्ष चीनी के उत्पादन में हुई अप्रत्याशित गिरावट की वजह से बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के कारण हाल ही में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

(1) मुक्त बिक्री के मासिक कोटे की अधिक निर्मुक्त—मई, 1989 के दौरान 5 लाख मीटरी टन और जून, 1989 के दौरान 5.50 लाख मीटरी टन तथा जुलाई, 1989 के दौरान 5.00 लाख मीटरी टन जबकि अप्रैल, 1989 के दौरान 4.50 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी।

(2) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की बिक्री और प्रेषण पर साप्ताहिक प्रतिबंध मई, 1989 से पुन: लगा दिए गए हैं (प्रत्येक सप्ताह में कुल मासिक कोटे का न्यूनतम 20%)

(3) खण्डसारी निर्माताओं को निदेश दिए गए कि वे 7 मई, 1989 को स्थिति के अनुसार 5 दिन की अवधि के अंदर अपने स्टाक घोषित करें और अपने अवशेष स्टाक का कम से कम 25% स्टाक मई, 1989 के दौरान बेच दें तथा जून से सितम्बर, 1989 तक के बाद संबंधित महीनों के दौरान के प्रत्येक महीने के लिए 30% स्टाक की बिक्री करें।

(4) एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में लाइसेंसशुदा व्यापारियों के पास चीनी का स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल और एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के मामले में यह सीमा 250 क्विंटल से घटाकर 125 क्विंटल कर दी गई है। स्टाक को निकालने की अवधि भी 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है।

देश में खंडसारी व्यापारियों के मामले में स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल कर दी गई है।

(5) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं और चीनी, खंडसारी तथा गुड़ के व्यापारियों पर लागू विभिन्न विनियामक नियंत्रणों को लागू करना सुनिश्चित करें।

(6) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों से कहा गया है कि यदि नेपाल और बंगलादेश को चीनी, गुड़ और खंडसारी की तस्करी जाती है तो वे उसे रोकें।

(7) चूककर्ता मिलों के विरुद्ध उपचारी कार्रवाई करने के लिए चीनी मिलों द्वारा साप्ताहिक प्रेषणों पर नजर रखी जाती है।

(8) उद्योग के परामर्श से दिल्ली में सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम आदि जैसे सहकारी खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिये तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में उद्योग द्वारा विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर 7.75 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी की बिक्री करने के प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

राज्य सरकारों को उचित दामों पर चीनी की बिक्री करने के लिए इसी प्रकार के प्रबंध करने का परामर्श दिया गया है।

(9) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में उसी शहर अथवा शहरी क्षेत्र के अंदर एक थोक व्यापारी द्वारा अन्य थोक व्यापारी को चीनी की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

(10) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में स्थित चीनी फैक्ट्रियां बिक्री और प्रेषण के उपबंधों का अनुपालन करती हैं और वैध अवधि के अंदर ही समस्त मात्रा की बिक्री सुनिश्चित करती हैं।

(11) सभी चीनी फैक्ट्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी प्रकार के कागजी सौदों से बचने के लिए प्रथम क्रेता के नाम पर चीनी की बिक्री के ब्यौरों की प्रविष्टि करें।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

*39. श्री डी. बी. पाटिल :

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की राज्य-वार प्रतिमास कितनी मांग रही और उन्हें कितना आवंटन किया गया तथा राज्यों ने कितना-कितना सामान प्राप्त किया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने सप्लाई में वृद्धि किए जाने के निवेदन किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन मदों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण-1 से 4 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 8037/89]

(ख) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समय-समय पर अतिरिक्त आवंटन करने/बढ़ा हुआ आवंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकता अथवा मांग को पूरा करना नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने के लिए केन्द्रीय पूल से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकता, विगत में उठाई गई मात्रा, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेवी चीनी के मामले में आवंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों के आधार पर नहीं बल्कि 1.10.1986 की अनुमानित आबादी के आधार पर आकलित

प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा के समाने प्रतिमान पर किए जाते हैं। मिट्टी के तेल के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान गत वर्ष की इसी अवधि में किए गए आवंटनों पर उपयुक्त वृद्धि करके लगाया जाता है।

श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की रिपोर्ट

[हिन्दी]

*40. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

डा. दत्ता सामंत :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम जीवी पत्रकारों और समाचार पत्रों के गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार ने इनकी जांच की है;

(ग) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान की है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक

[अनुवाद]

231. श्री परसराम भारद्वाज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को नौकरी प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) 30.6.1988 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले इन्जीनियरी (स्नातकोत्तरों सहित) यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अनेक भर्ती करने वाले अभिकरणों में से केवल रोजगार कार्यालय ऐसे अभिकरण हैं जिनके माध्यम से नौकरी चाहने वाले व्यक्ति रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, रोजगार कार्यालय, उन्हें अधिसूचित की गई रिक्तियों के प्रति ही नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों को प्रायोजित करते हैं।

(ग) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इंजीनियरी स्नातकों को नौकरियां प्रदान न करने के कारण जानने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) इंजीनियरों को नौकरी प्रदान करने संबंधी उपाय सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के खण्ड-II के अध्याय 5 में दिए गए है।

विवरण

दिनांक 30.6.1988 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर इंजीनियरिंग स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
1	2
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	8770
2. अरुणाचल प्रदेश	0
3. असम	378
4. बिहार	2295
5. गोवा	139
6. गुजरात	3869
7. हरियाणा	351
8. हिमाचल प्रदेश	591
9. जम्मू व कश्मीर	505
10. कर्नाटक	8807
11. केरल	5339
12. मध्य प्रदेश	3650
13. महाराष्ट्र	4040
14. मणिपुर	826

1	2
15. मेघालय	33
16. मिजोरम	16
17. नागालैण्ड	18
18. उड़ीसा	1568
19. पंजाब	442
20. राजस्थान	2383
21. सिक्किम*	—
22. तमिलनाडु	5240
23. त्रिपुरा	12
24. उत्तर प्रदेश	2396
25. पश्चिम बंगाल	3200
संघ शासित प्रदेश	
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	51
2. चण्डीगढ़	370
3. दादर व नागर हवेली	3
4. दिल्ली	2381
5. दमन व दीव**	—
6. लक्षद्वीप	0
7. पाण्डीचेरी	192
योग :	57865

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा।
**आंकड़े नहीं रखे जाते।

आवास के संबंध में सूचना प्रणाली

232. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तरों पर आवास के संबंध में एक समुचित सूचना प्रणाली की व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर एक डाटा बैंक के विकास के लिए क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) निर्धन लोगों की आवास संबंधी मांगों को पूरा करने के लिये ग़ैर-सरकारी संगठन किस सीमा तक समान निर्माण के कार्य में शामिल हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति में विभिन्न स्तरों पर आवास के बारे में एक उपयुक्त प्रबन्ध सूचना प्रणाली के विकास पर विचार किया गया है। नीति विषयक दस्तावेज, जिसे राज्य सभा द्वारा पहले ही अपना लिया गया है तथा लोक सभा द्वारा इसे अपनाने की प्रतीक्षा की जा रही है, उसे अन्य बातों के साथ एक कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली के रूप में विकसित करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा गया है। केन्द्रीय स्तर पर तीन स्तरीय सूचना प्रणाली राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन में विकसित की जा रही है। आवास तथा विकास निगम लिमिटेड ने ठीक अपने प्रारम्भ से ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पहले ही एक कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली विकसित कर ली है।

(ग) विभिन्न गैर-सरकारी संगठन अपने आप समाज के नाजुक वर्गों के लिए आश्रय तथा शहरी आवास परियोजनाओं से निरन्तर सहयोजित हो रहे हैं। हाल ही में, ऐसे दो गैर-सरकारी संगठन नामतः, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा सैल्फ एम्पलायड वीमन एसोसिएशन ने दिल्ली में सहाधिकार धारण पर कुटुम्ब की मुखिया महिलाओं के लिए दो आश्रय परियोजनाएं चलाई हैं, एक मादीपुर में तथा दूसरी शाहदरा में है। मादीपुर परियोजना बेघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष की राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना के रूप में बनाई गई थी।

कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों और चिकित्सालयों में दवाइयों का उपलब्ध न होना

233. **डा. वी. वेंकटेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों और चिकित्सालयों से निर्धारित दवाईयां नहीं मिल पाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों द्वारा ये दवाइयां खुले बाजार में बेच दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) कर्नाटक सरकार ने जो कि क. रा. बी. योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है, यह सूचित किया है कि क. रा. बी. लाभानुभोगी राज्य में दोनों अस्पताल तथा औषधालय से निर्धारित दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने इससे इंकार किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण

234. **श्री सतोष चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ठेकेदारों के बारे में 10 मई, 1999 के अतारांकित प्रश्न सं. 8899 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितनी और किन-किन मिलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं का ठेका देने के पश्चात् काट-छांट की गई अथवा उन्हें वापिस लिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न मिलों में प्रक्रिया (प्रोसस) में ठेका कार्य की जांच की गई है;

(ग) क्या कांट-छांट के परिणामस्वरूप कार्य अधूरा रह गया है और सम्पूर्ण निवेश की हानि हुई है;

(घ) क्या इस कार्यवाही से ठेका अधिनियम के प्रावधानों और अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कारण मुकद्मेंबाजी से बचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"वन (संरक्षण) अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश की योजनाओं को स्वीकृति दिया जाना"

235. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सड़कों के निर्माण में बाधा पैदा करने वाले वृक्षों को काटने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अधीन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को कुछ योजनाएं प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये योजनायें कब तक स्वीकृत की जायेंगी और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क. सं.	सड़क का नाम	वन क्षेत्र हेक्टेयर में	इस मंत्रालय में प्राप्त होने की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	स्लेपर से हारनोर तक कोल बांध परियोजना के संबंध में सड़क बनाना	7.08	10.2.84	मंत्रालय ने 23.2.1984 और 19.3.1986 को राज्य सरकार स्पष्टीकरण मांगे थे। चूंकि वे ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए, अतः इस प्रस्ताव को सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया गया। तथापि, यदि राज्य सरकार अपेक्षित सूचना भेज दे तो इस मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है।
2.	मल्लारी कल्लार सराहली बुडबुल मार्ग का निर्माण	2.16	28.5.83	20.6.1983 को मंजूर किया गया।
3.	तलाई-देवसिद्ध मार्ग का निर्माण	3.6	27.7.84	31.8.1984 को मंजूर किया गया।

"पश्चिम बंगाल की स्वर्णरेखा बांध परियोजना को स्वीकृत किया जाना"

236. श्री अजीत कुमार साहा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की स्वर्णरेखा बांध परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पश्चिम बंगाल में सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर भोरसाघाट में एक बैरेज के निर्माण का प्रस्ताव, अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत किए बिना अप्रैल, 1988 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भेजा गया था। परियोजना प्राधिकारियों ने 7 जून, 1989 को सूचित किया था कि परियोजना के क्षेत्र में बैरेज को 25. कि. मी. (ऊपर की ओर) स्थानांतरित करके संशोधन किया जा रहा है। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः परियोजना की मंजूरी में विलम्ब हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

थिरुवैपट्टी मिल्स को फिर से चालू करने के लिए सहायता

237. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कन्नानोर स्थित थिरुवैपट्टी मिल्स को फिर से चालू करने के लिए कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस मिल के रुग्ण होने के कारणों की तथा इसे फिर से चालू करने की संभावनाओं की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार वस्त्र मिलों के पुनरुत्थान के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देती है। तिरुवैपति मिल्स कन्नानूर को अग्रणी संस्था (आई आर बी आई) ने 48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। यह सहायता कम्पनी ने इस दलील पर नहीं ली कि वह प्रवर्तक के योगदान के लिए राशि जुटाने में समर्थ नहीं है।

(ग) और (घ) नोडल एजेंसी ने मिल की जाँच की थी और उसे अर्थक्षम पाया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा स्वीकृति वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं करने के कारण, मिल के लिए पहले तैयार की गई पुनर्वास योजना की समीक्षा आवश्यक समझी गई। एकक को इस उद्देश्य से कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन एकक ने कोई जवाब नहीं दिया।

"कोयला खान क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए कार्य योजना"

238. श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

डा. सुधीर राय :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज और झरिया कोयला खान क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कार्य योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजना में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

(1) कोयला निकालने वाले संयंत्रों, कोल-वाशरियों तथा कोयला लादने वाले स्थानों पर धूल उन्मूलन की व्यवस्था के उपाय।

(2) कोयले को इधर-उधर ले जाते समय उठी धूल को रोकने के लिए खान की ओर जाने वाले मार्ग पर पानी छिड़कना और कोयले के बिखराव को कम करना तथा रोकना।

(3) कोयला खान क्षेत्रों में तथा उसके आस-पास बफर जोन और हरित पट्टी मुहैया करके तथा क्षेपण भूमियों पर पौधरोपण करके धूल को न्यूनतम करना।

(4) खुली भट्टा प्रणाली के स्थान पर साफ्ट कोक बनाने को यंत्र-चालित विधि अपनाना।

(ग) कार्य योजना ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

"दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण"

[हिन्दी]

239. **श्री सरफराज अहमद** :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में अपेक्षित कदम कब तक उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में दिल्ली में निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरणीय समस्याओं के नियंत्रण के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों को बताया गया है—

(1) पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करना और आपूर्ति लाइनों से रिसाव को रोकना तथा गंदे पानी को यमुना नदी में जाने से रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्रों में वृद्धि करना।

(2) घरेलू और औद्योगिक स्रोतों से होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान की उपयुक्त विधि।

(3) उद्योगों और वाहनों से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण तथा खोमचे वालों और रेस्तराओं द्वारा उपयुक्त सफाई के जरिए खाद्य पदार्थों की स्वच्छता में सुधार करना।

(ग) इन सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

राष्ट्रीय पटसन सलाहकार बोर्ड

[अनुवाद]

240. श्री रेणुदास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पटसन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या नवगठित राष्ट्रीय पटसन सलाहकार बोर्ड में पटसन उद्योग में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पटसन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पटसन सलाहकार बोर्ड का गठन कच्ची पटसन तथा पटसन वस्त्रों के व्यापारियों को लाइसेंस देने, न्यूनतम समर्थन कीमतों का निर्धारण करने, पटसन वस्त्रों के उत्पादन को नियंत्रित करने, कच्ची पटसन के स्टाक को नियमित करने आदि से संबंधित मामलों में सरकार को सामान्यतया सलाह देने के लिए किया गया था। यह मामले पटसन आदेश, 961 (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) के क्षेत्र में आते हैं। बोर्ड पटसन तथा मेस्टा के अनुमानित उत्पादन पर भी सरकार को सलाह देगा। इस दृष्टि से इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उपजकर्ताओं के प्रतिनिधि, व्यापार तथा उद्योग तथा पटसन अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

विवरण

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. पटसन आयुक्त, भारत सरकार, कलकत्ता।	अध्यक्ष
2. वस्त्र मंत्रालय में पटसन के प्रभारी संयुक्त सचिव	सदस्य
3. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	"
4. आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली।	
5. निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, कलकत्ता।	"
6. औद्योगिक सलाहकार, पटसन आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता।	सदस्य सचिव

उपजकर्ता

7-14. पटसन मेस्टा/उत्पादन करने वाले राज्य असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश

प्रत्येक से एक सदस्य, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाना है।

उद्योग :

15. अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता सदस्य

16. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम, कलकत्ता। "

व्यापार

17. अध्यक्ष, कलकत्ता पटसन फैब्रिक शिपर्स एसोसियेशन, कलकत्ता। "

18. अध्यक्ष, पटसन बैलर्स संघ, कलकत्ता "

19. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता "

पटसन अनुसंधान

21. निदेशक, भारतीय पटसन प्रौद्योगिक अनुसंधान संघ, कलकत्ता। "

22. निदेशक, पटसन कृषिगत अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर।

राज्य सरकारें

20-30. जूट/मैस्टा उपजकर्ता आठ प्रमुख राज्य असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से एक सरकारी सदस्य, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

[हिन्दी]

241. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कितने अधिकारी चार वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें उनके मूल कार्यालय वापिस भेजने का विचार है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 48

(ख) और (ग) 4 मामलों में, सक्षम प्राधिकारी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में उनका स्थायी विलयन का अनुमोदन कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के कतिपय

कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर स्थगन प्रदान करने के कारण उनके मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। एक मामले प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। छठे मामले में, अधिकारी के मामले में 31.3.1990 तक अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। शेष 42 अधिकारियों को उनके मूल विभागों में चरणबद्ध ढंग से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले की खानें बंद होना

]अनुवाद]

242. श्री टी. बाल गौड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुड्डापली जिले में खान मालिकों द्वारा अपनी खानों से खनन कार्य बंद करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप अनेक खान मजदूर की छंटनी किए जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो खनन कार्य बंद करने के क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में खान मालिकों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की शर्तों के अधीन आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में किसी भी खान मालिक से कामबंदी का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में राशन प्रणाली का ठप्प होना

243. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प होने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"शहरी आवश्यक सेवा योजना" के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धन

244. श्री एस पलाकोंड्रायडू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "शहरी आवश्यक सेवा योजना" के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में कितने कस्बों का विकास किया गया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने कस्बों को चुना गया है जिनमें यह योजना लागू की जाएगी और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि रखी गई है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जिन नगरों को शहरी मूलभूत सेवा योजना में शामिल किया गया है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उतने ही संख्या में नगरों को विकसित किया जाता रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत 80.00 लाख रुपये के कुल प्रावधान में से, 11.80 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के भाग के रूप में वर्ष 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को देय है, जो शहरी मूलभूत सेवा योजना का अन्तिम वर्ष है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल नगरों की सूची।

1. महबूब नगर
2. गडवाल
3. वनापरती
3. नारायणपैट
5. अनन्तपुर
6. हिन्दुपुर
7. ताड़ीपत्री
8. कुड्डापाह
9. प्रोदातुर
10. श्रीकाकुलम
11. मिरयालगुडा
12. मौनगिर
13. सूर्यपैटा
14. कादरी
15. पैनुगोंडा
16. नलगोंडा

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के बारे में जानकारी का प्रचार

245. श्री के. एस. राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में व्यापारियों और दुकानदारों को जानकारी देने की दृष्टि से सरकार समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या नमूना सर्वेक्षण से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक निषिद्ध रंगों तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं के इस्तेमाल किये जाने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मच्छरों के खतरे से बचने के लिए विद्युत यांत्रिक के सिद्धांत पर आधारित उपकरण

246. **श्री पी. आर. कुमार मंगलम्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1989 को "इन्डियन एक्सप्रेस" में यथा प्रकाशित रॉक एमेडी एन्वायरमेंट रिसर्च सेंटर बंगलौर के एक वैज्ञानिक ने मच्छरों के अभिशाप से बचने के लिए विद्युत-यंत्र के सिद्धान्त पर आधारित एक उपकरण विकसित किया है;

(ख) इस सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या हैं, मच्छरों पर इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और क्या वाणिज्यिक दृष्टि से यह उपकरण व्यवहार्य होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपकरण के बारे में और अधिक अनुसंधान करने तथा व्यापक जन प्रयोग के लिए इसको स्वीकृति देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, डा. एल. देवदास ने 12 युक्तियां तैयार की हैं जिनका व्यापक उपयोग मच्छरों के प्रजनन की समस्या पर काबू पाने में काफी प्रभावशाली होगा। उनके द्वारा तैयार की गई युक्तियां पानी में उगे हाइसिन्थ पौधों को हटाने में मदद करती है जिसके फलस्वरूप उस पानी में मच्छरों का प्रजनन मुश्किल हो जाता है।

क्योंकि इन युक्तियों का बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है इसलिए इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

(ग) युक्ति के आविष्कारक द्वारा इस युक्ति को मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराने के बाद ही सरकार जनता में इसके व्यापक इस्तेमाल की सम्भाव्यता पर विचार कर सकती है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरण का खराब होना

[हिंदी]

247. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के कार्डि एक लेबोरेट्री (हृदय

प्रयोगशाला) में ट्रेड मिल स्ट्रेस (टी.एम.एल.) और अन्य जीवन रक्षक उपकरण अधिकांशत: खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उपकरणों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। परन्तु, इस समय ट्रेड मिल स्ट्रेट (टी. एम. टी.) और एक इकोकार्डियोग्राफ, पुर्जे न होने के कारण खराब पड़े हुए हैं। खराब पड़े उपकरणों की तरफ तत्काल ध्यान दिया जाता है। ट्रेड मिल स्ट्रेस (टी. एम. टी.) और इको-कार्डियोग्राफ को शीघ्र ही कार्य करने लायक बना दिए जाने की आशा है।

केरल सरकार द्वारा मेडिकल कालिजों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध

[अनुवाद]

248. **श्री टी. बशीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मेडिकल कालेजों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम): (क) केरल राज्य सरकार ने राज्य में मेडिकल कालेजों के विकास तथा उनके लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में दोषपूर्ण "पानी की टंकियां'

[हिन्दी]

249. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में बनायी जा रही पानी की टंकियों में इनके डिजाइन तथा निर्माण में गम्भीर दोषों के कारण दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी टंकियों में दरारें पड़ी हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) नई दिल्ली

नगरपालिक द्वारा बनाये गये 19 टैंकों में से, केवल एक टैंक में दरारें पड़ गई थीं। मामले की जांच-पड़ताल की करवाई जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किसी टैंक में उनके डिजाइनिंग और निर्माण में गम्भीर त्रुटियों के कारण कोई दरार नहीं पड़ी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सूचना एकत्र जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठन

[अनुवाद]

250. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वयं-सेवी संगठनों का वित्त पोषण करती है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने के मानदंड क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार देश में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी स्वयंसेवी संगठनको धनराशि नहीं देती है। तथापि, पंजीकृत समितियों/स्वायत्त/गैर-सरकारी संगठनों को सेमीनार/कार्यशालायें आयोजित करने तथा शहरी विकास के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन करने के लिये निधियां दी जाती हैं।

(ख) इन संगठनों के नाम, परियोजनाओं के ब्यौरे तथा 1988-89 में दी गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सेमीनार/कार्यशालायें आयोजित करने या अनुसंधान अध्ययन करने के लिए निधियां देने के अनुरोध पर अनुसंधान समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसके अध्यक्ष शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं।

विवरण

वर्ष 1988-89 में विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों हेतु स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज किये गये अनुदान।

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजनाओं के ब्यौरे	राशि
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	निर्धनता पर अनुसंधान अध्ययन	75,000 रुपये

1	2	3	4
2.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों में एकीकृत विकास पर मूल्यांकन अध्ययन	45,000 रुपये
3.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	चुनीदा नगर पालिकाओं में सम्पत्ति कर के लिए मूल्यांकन पद्धति की विवेचनात्मक जांच	30,000 रुपये
4.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास का मूल्यांकन अध्ययन	1,00,000 रुपये
5.	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, कलकत्ता	भूमि के मूल्यांकन पर अखिल भारतीय सेमिनार	20,000 रुपये
6.	क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	2 अनुसंधान अध्ययन	64,000 रुपये
7.	अखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान, बम्बई	9.11.88 से 8.12.88 तक दक्षिण एशियाई देशों के लिये शहरी प्रबन्ध पर आयोजित यू. एन. सी. एच. एस. प्रवर्तित कार्यशाला	85,000 रुपये
8.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	दो अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिये	2,00,000 रुपये
9.	आर. आई. टी. ई. एस.	शहरी परिवहन पर सेमिनार	50,000 रुपये
10.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	शहरी गरीबी के कार्यक्रम की प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने के लिये	17,000 रुपये
11.	टाटा परामर्शी सेवायें	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एवं डिजाइन किये गये सार्वजनिक भवनों की वास्तु एवं सौन्दर्यपरक कोटि का अध्ययन	35,000 रुपये
12.	आर. आई. टी. ई. एस.	शहरी परिवहन पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने वालों दोपहर का भोजन	22,113 रुपये

1	2	3	4
13.	अखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान, बम्बई	शहरी प्रबन्ध को प्रभावी बनाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार	1,00,000 रुपये
14.	स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकीटैक्चर	भारत में महानगर क्षेत्रों की योजना तथा विकासीय प्रशासन पर कार्यशाला	20,000 रुपये
15.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास मूल्यांकन अध्ययन	1,50,000 रुपये
16.	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, कलकत्ता	नगरपालिका करों के लिए भूमि एवं भवनों के मूल्यांकन पर अखिल भारतीय सेमीनार	10,000 रुपये
17.	आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता	हैदराबाद में औपचारिक क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन	50,000 रुपये
18.	विकास अध्ययनों की राष्ट्रीय आवास बैंक समिति	विकास अध्ययन	28,600 रुपये
19.	क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास पर कार्यशाला	35,000 रुपये
20.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास मूल्यांकन अध्ययन	1,25,000 रुपये
21.	भारत राष्ट्रीय मानचित्र एसोसिएशन, हैदराबाद	वार्षिक सेमीनार आयोजित करने के लिये	10,000 रुपये
22.	मानव बस्तियों का राष्ट्रीय केन्द्र	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली में ग्रामीण भूमिहीनों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता आवंटनार्थ योजना का मूल्यांकन अध्ययन	3,00,000 रुपये
23.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल में ग्रामीण भूमिहीनों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता आवंटनार्थ योजना का मूल्यांकन अध्ययन	3,00,000 रुपये

1	2	3	4
24.	क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण भूमिहीनों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता आबंटनार्थ योजना का मूल्यांकन अध्ययन	3,00,000 रुपये
25.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	2001 में दिल्ली में शहरी विकास वित्त पर रिपोर्ट की छपाई	20,000 रुपये
26.	नगर नियोजक संस्थान, नई दिल्ली	पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर नई दिल्ली में प्रबन्ध विकास पर सेमीनार का आयोजन	40,000 रुपये
27.	विकास अध्ययन समिति, नई दिल्ली	राष्ट्रीय आवास नीति के लिये आयोजना तैयार करना	1,50,000 रुपये
28.	—वही—	इनस्क्रेपट का गठन	1,70,000 रुपये
29.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई	वाई. वाई. एस. एच. कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए	1,50,000 रुपये
30.	क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	अनुसंधान अध्ययन	64,000 रुपये
31.	—वही—	शहरी परिवहन पद्धति की आयोजना तथा प्रबन्ध पर सेमीनार	30,000 रुपये
32.	स्कूल आफ प्लानिंग तथा आरकीटैक्चर	अनुसंधान अध्ययन	40,000 रुपये
33.	विकास अध्ययन समिति नई दिल्ली	—वही—	1,00,000 रुपये
34.	अखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान, बम्बई	—वही—	50,000 रुपये
35.	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	—वही—	40,000 रुपये
36.	स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकीटैक्चर	—वही—	50,000 रुपये

"आंध्र प्रदेश की स्वीकृति हेतु विचाराधीन परियोजनाएं"

251. श्री जी. भूपति :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो 7 जुलाई, 1987 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजी गई केवल आठ सिंचाई, विद्युत तथा थर्मल पावर परियोजनाएं 7 जुलाई, 1989 तक लम्बित थी। इन सभी परियोजनाओं पर अन्तिम निर्णय पहले ही ले लिया गया है तथा राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

7 जुलाई, 1987 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए सताईस प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए लंबित थे। इन प्रस्तावों में से केवल एक प्रस्ताव अर्थात सुगालियों को कृषि प्रयोजन के लिए भूमि सौंपना प्राधिकारियों से मांगे गए आवश्यक ब्यौरे न भेजे जाने के कारण अभी लंबित है।

असम में पटसन खरीद केन्द्र खोलना

252. श्री अब्दुल हमीद :

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन उत्पादन में असम राज्य का दूसरा स्थान है;

(ख) क्या असम में भारतीय पटसन निगम के पर्याप्त मात्रा में विभागीय खरीद केन्द्र है;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम का गुवाहाटी और नौगोंग में पटसन की खरीद हेतु कोई उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) भारत में कच्ची पटसन और मैस्टा के कुल उत्पादन का लगभग 12 से 14 प्रतिशत भाग असम में होता है। जूट कार्पोरेशन आफ इन्डिया के भारत में कुल 133 विभागीय खरीद केन्द्र (डी पी सी एस) और 66 उप-केन्द्र हैं जिनमें से 24 विभागीय केन्द्र और दो उप-केन्द्र असम में स्थित हैं। असम में इन केन्द्रों का वर्तमान क्षेत्र-विस्तार पर्याप्त है।

जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया फिलहाल किसी नए केन्द्र या उप-केन्द्र के खोलने पर विचार नहीं कर रहा है।

"चारे का उत्पादन"

253. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्रों से बाहर चारे का उत्पादन करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वनों को असीमित चराई से बचाया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी हां। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य लोगों की ईंधन और चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वन क्षेत्रों में चराई के दबाव को कम करने के लिए सामुदायिक, निजी तथा राजस्व परती भूमि पर सिल्वी चरागाह फार्म स्थापित करने के लिए वर्ष 1986-87 में एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना आरम्भ की थी। इस परियोजना के अन्तर्गत किसानों को चारा प्रदान करने वाले वृक्ष, घास तथा फलीदार वृक्ष उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब तक नौ राज्यों में 14,250 हैक्टेयर क्षेत्र में यह कार्य किया गया है तथा चालू वर्ष में 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर इसे आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। कृषि मंत्रालय भी अपने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से चारा और हरा चारा उत्पादन तथा अनुसंधान की प्रोन्नति में कार्यरत है।

दृष्टिहीनता और अन्धापन के कारण

254. **डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्धापन और आंख की अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इस संबंध में कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) भारत सरकार ने देश में 2000 ईसवी तक दृष्टिहीनता को 1.4% से कम करके 0.3% तक लाने के मूलभूत उद्देश्य से 1976 में समस्त देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य-शिक्षा उपायों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर कई स्तरों की विशेषज्ञता से युक्त शिविरों के द्वारा और स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा रोगियों को तत्काल राहत प्रदान की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इस संबंध में दी गई सहायता इस प्रकार है—

1986-87	—	565.87 लाख रुपये
1987-88	—	606.16 लाख रुपये
1988-89	—	540.91 लाख रुपये

आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेजों को वित्तीय सहायता

255. श्री सोमनाथ रथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेजों की संख्या का राज्यवार और संघराज्य क्षेत्रवार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन्हें वर्ष 1988-89 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार कार्य कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेजों की संख्या इस प्रकार है—

आंध्र प्रदेश	4
असम	1
बिहार	9
गुजरात	9
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	8
केरल	5
मध्य प्रदेश	7
महाराष्ट्र	19
उड़ीसा	5
पंजाब	3
राजस्थान	5
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	10
पश्चिम बंगाल	1
दिल्ली	3
चंडीगढ़ प्रशासन	1
योग	97

(ख) 1988-89 के दौरान प्रत्येक निम्नलिखित राज्य के एक कालेज को सहायता अनुदान की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी :

1.	हरियाणा	1.60 लाख रुपये
2.	केरल	1.60 लाख रुपये
3.	उड़ीसा	1.60 लाख रुपये
4.	तमिलनाडु	1.60 लाख रुपये
5.	राजस्थान	1.60 लाख रुपये
	योग	81.00 लाख रुपये

तकुओं (स्पिंडल) की क्षमता

256. **श्री कादम्बूर जर्नादन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कताई मिलों की तकुओं (स्पिंडल) की क्षमता कितनी है;

(ख) मिलों की रुग्णता और तालाबंदी की वजह से उनके बन्द होने के कारण कितने तकुए (स्पिंडल) बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तकुओं (स्पिंडल) के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिनांक 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित कताई क्षमता 26.25 मिलियन तकुओं की थी।

(ख) दिनांक 30.6.1989 की स्थिति के अनुसार, सूती/मानव-निर्मित रेशा वस्त्र मिलों के बन्द होने की वजह से बेकार पड़े तकुओं की संख्या 35.77 लाख थी।

(ग) और (घ) सरकार कताई क्षमता के सृजन/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण आदि से संबंधित नीतिगत मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा करती है। फिर भी, ऐसे मुद्दों से संबंधित प्रस्तावों ब्यौरे दे पाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक सरकार उन पर निर्णय नहीं ले लेती है।

अपने घर पर काम करने वाली महिला श्रमिकों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला पर गोष्ठी

257. **श्री एच. एम. पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अहमदाबाद में अपने घर पर काम करने वाली महिला श्रमिकों के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) सरकार को जानकारी है कि घर पर काम करने वाली महिला श्रमिकों के संबंध में स्व नियोजित महिला एसोसिएशन, अहमदाबाद तथा गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशाप 10 से 12 अप्रैल, 1989 तक आयोजित की गई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस वर्कशाप से घर पर काम करने वाली महिला श्रमिकों की समस्याओं का पता लगाना सरल हो गया है तथा इसने आगे अध्ययन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

विवरण

वर्कशाप की सिफारिशें संक्षेप में निम्नानुसार हैं—

(1) घर पर काम करने वाले श्रमिकों की संकल्पना इतनी व्यापक होनी चाहिए; ताकि विभिन्न कार्य दशाओं में काम कर रहे कर्मकारों की श्रेणियों को संरक्षण के अन्तर्गत लाया जा सके।

(2) श्रम कानूनों की उपेक्षा करने की प्रेरणा, उत्पादन तकनीकों की सरलता और घर से बाहर काम शुरू करने या विशेष प्रकार से काम को शुरू करने के बारे में रूढ़िवादी समाज में सामाजिक प्रतिबंध ऐसे कुछ कारण हैं जो घर पर काम करने के लिए प्रेरित करते है।

(3) उत्पाद माल के लिए बाजार के माध्यम से सहकारिता के रूप में उत्पादन कार्यकलाप आयोजित करने के वैकल्पिक ढंग के प्रोत्साहन, संबंधी आश्वासन का सुझाव दिया गया हैं। यह महसूस किया गया है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा उन्हें संगठित करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।

(4) जहां तक कानूनों का संबंध है, वर्कशाप ने महसूस किया कि श्रम कानूनों को कारगर रूप से लागू करने के लिए जब कभी प्रयास किए जाते हैं तो निम्न आय के लिए रोजगार और मजदूरी के बीच ट्रेड आफ की समस्या आती है। उद्योग भी अपना स्थान बदल लेता है और विस्थापित कर्मकारों के लिए तत्काल कठिनाइयां होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि निम्न पहलुओं पर विचार किया जा सकता है—

(I) न्यूनतम मजदूरी के प्रयोजन के लिए अनुसूचित नियोजनों की सूची का विस्तार किया जा सकता है ताकि उन विभिन्न कार्यकलापों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके जहां ऐसा घरेलू कार्य पाया जाता है।

(II) स्वयं श्रमिकों को अभियोजन की शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

(III) मजदूरी और कामकाज की दशाओं को विनियमित करने के लिए स्वायत्त बोर्ड की स्थापना।

(IV) "घर पर काम करने वाले" कर्मकारों के लिए "विधेयक" शुरू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए।

(v) यह भी महसूस किया गया कि कल्याण योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और ग्रुप बीमा, आवास, व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच और सेवाएं, कर्मकारों प्रशिक्षण, ऐसे क्षेत्रों में जहां इस प्रकार का काम किया जाता है, उनके बच्चों के लिए शिशु सदन आदि जैसी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है और वर्तमान योजनाओं के बारे में कर्मकारों, गैर सरकारी एजेंसियों तथा ट्रेड यूनियनों को तत्काल आधार पर सूचना दी जाए।

(VI) सामान या कच्चे माल का स्टाक रखने के लिए उधार सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे लाभप्रद कीमत के लिए इन्तजार कर सकें।

कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल के दौरान हुई मौतें

258. **डा. चन्द्र शेखर वर्मा :**

श्री हेत राम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कनिष्ठ डाक्टरों की हुई हड़ताल के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मरने वाले व्यक्तियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान सामान्य अवधि की तुलना में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कितने रोगी आए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल के कारण आम जनता को कुछ परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि अस्पतालों में हुई मौतें चिकित्सा परिचर्या की कमी के कारण हुई थी।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हड़ताल के दौरान रोगियों की उपस्थिति के तुलनात्मक आंकड़े तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के सदृश आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

अवधि	सफदरजंग अस्पताल	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
16.5.88 से 2.7.88 तक	1,20,155	1,24,761	20,3,770
15.5.89 से 2.7.89 तक	82,292	75,876	17,015

"दिल्ली में वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए भूमि"

259. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए भूमि के बारे में 5 अप्रैल, के उत्तर के सम्बन्ध में यह 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4853 यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए विशाल भूमि-क्षेत्र अधिग्रहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित भूमि की लागत समेत, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) । (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन का असोला, सहुरपुर और मैदानगढ़ी गांवों की ग्रामसभा की भूमि में एक वन्यजीव अभयारण्य विकसित करने का प्रस्ताव है । मैदानगढ़ी गांव में 211.17 हेक्टेयर (2526 बीघा) क्षेत्र और सहुरपुर गांव में 243.78 हेक्टेयर (2916 बीघा) क्षेत्र अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है । असोला गांव के सम्बन्ध में अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है । मैदानगढ़ी गांव के लिए भूमि का मुआवजा 1,50,31,475.40 रुपये और सहुरपुर गांव के लिए 1,79,-6,080.10 रुपये प्राक्कलित किया गया है ।

(ग) अभयारण्य के विकास की अनुमानित लागत 2.93 करोड़ रुपये है जिसमें भूमि के अधिग्रहण की लागत शामिल नहीं है ।

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए फाइलों का अन्तरण

260. **श्री विष्णु मोदी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवासीय भूखंड के आवंटितियों, जिन्होंने अपने मकानों के नक्शों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से पास करवा रखा है, को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देने से संबंधित फाइलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अन्तरित फाइलों में उन आवंटितियों की भी फाइलें शामिल हैं, जिन्होंने कम्प्लीशन प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करके पहले ही कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रखा था, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन आवंटितियों को, जिनकी फाइलें दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दी गई हैं, विशेषकर उनको जिनके कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लंबित पड़े हुए हैं, इस अन्तरण के बारे में सूचित कर दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 19.1.88 20.1.88 और 29.1.88 की अधिसूचना सं. एफ 12(22)/87-पी/भूमि एवं भवन के अनुसार 118

कालोनियों/पाकेटों के संबंध में भवन निर्माण क्रियाकलापों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दिया गया था। इन कालोनियों से संबंधित सभी फाइलों को भी "जहां है जैसी हैं के आधार पर" दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दिया गया है।

(घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में आम जनता की जानकारी के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।

धागे की कमी

261. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मोहनभाई पटेल :

श्रीमति लाल हंसदा :

श्री वी. तुलसीराम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धागे की कमी है और गैर-सरकारी क्षेत्र के कई बुनकर तथा सहकारी समितियों के बुनकर उचित मूल्य पर अपनी आवश्यकता के अनुसार धागा प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करते हैं;

(ख) क्या हथकरघा बुनकरों और निर्यातकों के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने हाल ही में सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध कराने हेतु कमी वाले राज्यों में धागा डिपो खोलने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने-कितने डिपो खोले जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में यार्न की कमी की कोई सूचना नहीं है, हालांकि यार्न की कीमतों में वृद्धि की वजह से बुनकरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यार्न की कीमतें ऊंची चलती रही हैं किन्तु उनमें पिछले पखवाड़े के दौरान मामूली गिरावट का रुख रहा है।

(ख) और (ग) हथकरघा बुनकरों तथा निर्यातकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हथकरघा क्षेत्र में यार्न की सप्लाई की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है। कताई उद्योग तथा एन. टी. सी. से सम्बन्धित सभी संघों ने निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया है—

(1) स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से यार्न कीमतों में कमी तथा उद्योग द्वारा स्वानुशासन को बढ़ाना;

(2) यार्न की कीमतों में किसी और वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना;

(3) भारी मांग में हैंक यार्न के काउण्टों के बारे में फीडबैक प्राप्त करना तथा इससे सम्बन्धित उत्पादन/सप्लाई में सुधार लाने के लिए कदम उठाना; और

(4) एक उच्च स्तरीय यार्न कीमत मानीटरिंग समिति की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया है जो यार्न में होने वाले कीमत के उतार-चढ़ाव को मानीटर करेगी, हथकरघा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यार्न की नाजुक काउण्टों की उपलब्धता का अनुमान लगाएगी तथा हैंक यार्न दायित्व योजना को पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

(घ) और (ङ) प्रतियोगी कीमतों पर हैंक यार्न की सप्लाई करने के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा यार्न डिपो की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य हथकरघा एजेन्सियों/शीर्ष समितियों के परामर्श तथा सहयोग से यार्न बेचने के लिए बीस डिपो की स्थापना का प्रस्ताव है।

दिल्ली के निवासियों के लिए पेयजल

262. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान और बड़े भवनों की पानी की टंकियों में प्रदूषित जल पाये जाने की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली निवासियों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में पर्यावरणात्मक समस्याओं पर विश्व-स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाता है कि यद्यपि शोधन संयंत्रों पर उत्पादित पानी की गुणवत्ता राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तर की है, फिर भी वितरण प्रणाली के लिए भूतल और उपभोक्ता भवनों में अनेक भण्डारण टैंक सन्देहास्पद निरापद हैं और और इन स्थानों पर पानी के संदूषण की घटनाएं दर्ज की हैं। हैण्डपम्प नलकूपों अथवा खुले कूओं, जो या तो अत्यधिक उथले हैं अथवा उनका त्रुटिपूर्ण निर्माण किया गया है, के माध्यम से पानी की आपूर्ति नालियों से पानी की सफाई स्थल पर स्वच्छता सुविधायें और खुले तालाब संदूषण के लिए उत्तरदायी है। बरसात के मौसम के दौरान बाढ़ के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है और आंत्र-शोथ और अथवा हैजा की महावारी को बढ़ावा देती है।

(ग) दिल्ली जलमल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सप्लाई किये जा रहा पेयजल पीने योग्य और पौष्टिक है तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुरूप है। पानी की गुणवत्ता की जाँच कच्चे पानी की अवस्था से शोधन के प्रत्येक स्तर पर तथा भूतल पर जलाशय तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचने की वितरण प्रणाली स्तर पर की जाती है। इसके अलावा रैनी कुओं तथा नलकूपों से सप्लाई किये जाने वाले पानी की भी नियमित आधार पर जांच की जाती है ताकि पालिका की मुख्य लाइनों के माध्यम से पानी के अन्तरण के दौरान किसी किस्म के सन्दूषण को रोका जा सके। वितरण प्रणाली अर्थात व्यक्तिगत नलों और सार्वजनिक नलों से प्रतिदिन पानी के नमूने लिये जाते हैं। उपकरण और पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराके चन्द्रावल, वजीराबाद, भागीरथी, हैदरपुर, ओखला जल संयंत्रों में स्थित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़

करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इन प्रत्येक प्रयोगशालाओं के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों से नमूनों के संग्रहण की सुविधा के लिये इन प्रत्येक प्रयोगशालाओं को वाहन उपलब्ध किये गये हैं। उनके अधीन क्षेत्र से वितरण प्रणाली से प्रतिदिन कम से कम 25 नमूने इकट्ठे करने के अलावा उनके अधिकार क्षेत्र में रैनी कुओं, नलकूपों तथा गहरे खोदे गये हैण्ड पम्पों के पानी की गुणवत्ता की भी इन प्रयोगशालाओं द्वारा दैनिक निगरानी रखी जा रही है। यमुनापार क्षेत्र में भूमिगत पानी के प्रदूषित होने पर विचार करते हुये दैनिक आधार पर प्रत्येक रैनी कुओं से तथा नलकूपों से एकान्तर दिनों में पानी की जांच करने और वितरण प्रणाली से 50 नमूने एकत्र करने जैसे उपाय यमुनापार क्षेत्र में किये गये हैं। समाचार पत्रों में संबधित अधिकारियों तथा प्रयोगशालाओं के दूरभाष नम्बर का प्रचार किया गया है ताकि पानी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत होने की स्थिति में उपभोक्ता सम्पर्क कर सकें।

पानी के सभी मुख्य जलाशयों का वर्ष में एक बार सफाई तथा कीटाणुमुक्त किये जाते हैं।

कुष्ठ रोग की बहु-औषधीय चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए जिले

263. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री जी. एस. बासवराजू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुष्ठ रोग की बहु-औषधीय चिकित्सा योजना के अन्तर्गत और जिलों को सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 1989 तक बहु-औषधीय चिकित्सा के अन्तर्गत कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वियन से कुष्ठ रोग कम करने में कितनी सफलता मिली है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) प्रति हजार आबादी के पीछे 5 या उससे अधिक व्याप्ततादर के साथ स्थानिकमारी जिलों के रूप में पता लगाये गये। 96 जिलों में से 112 जिलों को मार्च 1989 तक पहले ही कवर किया जा चुका है। शेष 84 जिलों को वर्ष 1992 तक बहु-औषध उपचार (एम. डी. टी.) के अधीन कवर किए जाने का प्रस्ताव है। इन 84 जिलों की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बहु-औषध उपचार पद्धति के शुरू किए जाने से कुष्ठ रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। 1981 के दौरान यथानुमानित 39.19 लाख मामलों में से कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या मार्च, 1989 तक घटकर 27.70 लाख रह गई है। व्याप्तता दर में भी 30 प्रतिशत तक कमी आई है। 1981 में प्रतिहजार जनसंख्या के पीछे 5.72 व्याप्तता दर के मुकाबले, मार्च, 1989 तक व्याप्तता दर घटकर 4.04 प्रतिहजार रह गई है।

विवरण

स्थानिकमारी वाले जिन जिलों को 1989-92 के दौरान कवर किए जाने की सम्भावना है, उनकी सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	राज्य
1	2	3
1.	रोहतास	बिहार
2.	भागलपुर	—तदैव—
3.	धनबाद	—तदैव—
4.	सिवान	—तदैव—
5.	पटना	—तदैव—
6.	औरंगाबाद	—तदैव—
7.	नवादा	—तदैव—
8.	भोजपुर	—तदैव—
9.	पूर्णया	—तदैव—
10.	कटिहार	—तदैव—
11.	मुजफ्फरपुर	—तदैव—
12.	सीतामढ़ी	—तदैव—
13.	पश्चिमी चम्पारण	—तदैव—
14.	दरभंगा	—तदैव—
15.	संथाल परगना	—तदैव—
16.	केसरगोढे	केरल
17.	पालघाट	—तदैव—
18.	त्रिवेन्द्रम	—तदैव—
19.	क्विलोन	—तदैव—
20.	एर्नाकुलम	—तदैव—
21.	मल्लापुरम	—तदैव—
22.	केन्नानोर	—तदैव—
23.	कोजीकोड़	—तदैव—

1	2	3
24.	भिण्ड	मध्य प्रदेश
25.	रीवा	—तदैव—
26.	भोपाल	—तदैव—
27.	उज्जैन	—तदैव—
28.	इन्दौर	—तदैव—
29.	खंडवा	—तदैव—
30.	ग्वालियर	—तदैव—
31.	विदिशा	—तदैव—
32.	सागर	—तदैव—
33.	टीकमगढ़	—तदैव—
34.	छतरपुर	—तदैव—
35.	जबलपुर	—तदैव—
36.	बालाघाट	—तदैव—
37.	सतना	—तदैव—
38.	शहडोल	—तदैव—
39.	सरगुजा	—तदैव—
40.	बम्बई	महाराष्ट्र
41.	बोलनगीर	उड़ीसा
42.	फूलबानी	—तदैव—
43.	मयूरभंज	—तदैव—
44.	कोरापुट	—तदैव—
45.	कालाहांडी	—तदैव—
46.	कोणार्क	—तदैव—
47.	मदुरै	तमिलनाडु
48.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
49.	गोरखपुर	—तदैव—
50.	लखनऊ	—तदैव—
51.	उन्नाव	—तदैव—

1	2	3
52.	रामपुर	—तदैव—
53.	बदायूं	—तदैव—
54.	शाहजहांपुर	—तदैव—
55.	बलिया	उत्तर प्रदेश
56.	मिर्जापुर	—तदैव—
57.	इटावा	—तदैव—
58.	फतेहपुर	—तदैव—
59.	बांदा	—तदैव—
60.	हमीरपुर	—तदैव—
61.	जालौन	—तदैव—
62.	औरिया	—तदैव—
63.	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल
64.	हावड़ा	—तदैव—
65.	हुगली	—तदैव—
66.	जलपाई गुड़ी	—तदैव—
67.	मालदा	—तदैव—
68.	24-परगना (दक्षिण)	—तदैव—
69.	मुर्शिदाबाद	—तदैव—
70.	नादिया	—तदैव—
71.	24-परगना (उत्तरी)	—तदैव—
72.	प. दिनापुर	—तदैव—
73.	तिराप	अरुणाचल प्रदेश
74.	प. सियांग	—तदैव—
75.	पूर्वी सियांग	—तदैव—
76.	टोवांग	—तदैव—
77.	विष्णुपुर	मणिपुर
78.	टमेमग्लांग	—तदैव—
79.	चंदेला	—तदैव—

1	2	3
80.	पूर्वी जिला	सिक्किम
81.	उत्तरी जिला	—तदैव—
82.	दक्षिण जिला	—तदैव —
83.	पश्चिम जिला	—तदैव—
84.	अण्डमान	अण्डमान और निकोबार

"वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन"

264. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस आशय का कानून कब बनाया जायेगा; और

(ग) नया कानून देश के वन्य जीवन के संरक्षण और देखरेख की दृष्टि से कितना सक्षम होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह कानून छानबीन पूरी हो जाने के बाद ही लाया जाएगा।

(ग) नए कानून संदेश में वन्यजीव के वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिए बेहतर ढांचा सुलभ होने और वन्यजीवों चोरी-छिपे शिकार व अवैध व्यापार पर कठोर नियन्त्रण लगने की उम्मीद हैं।

"इनसैट" द्वारा प्रदूषण संबंधी परीक्षण

[हिन्दी]

265. **डा. प्रभात कुमार मिश्र :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा नगर से "इनसैट" द्वारा वायु प्रदूषण की जांच हेतु परीक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप वायु और जल में कितनी मात्रा में प्रदूषण होने का पता चला है; और

(ग) क्या पूर्व-परीक्षण रिपोर्ट और "इनसैट" रिपोर्ट में अन्तर है और यदि हां, तो यह कितना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अन्तरिक्ष विभाग आई आर एस-आई ए तथा लैण्डस्टेट सेटेलाइट मल्टीटैम्पोरल डाटा का प्रयोग करके राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से पारिस्थितिक अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों और उस क्षेत्र में खनन गतिविधियों दोनों के प्रभाव शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"पर्यावरणिक प्रभाव का पता लगाना"

[अनुवाद]

266. श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री जी. एस. बासवराजू :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल ही में "एनवायरन्मेंटल इन्पैक्ट एसेसमेंट आफ अरबन डेवलपमेंट एण्ड प्लानिंग" विषय में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुमति उरांव) : (क) और (ख) मंत्रालय ने बंगलौर में "एनवायरन्मेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट आफ अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग" पर कोई गोष्ठी आयोजित नहीं की है; और

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि

267. श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्पादकों द्वारा मूंगफली के तेल के मूल्य में कमी करने की घोषणा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो पैक-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में मूंगफली तेल के उत्पादकों ने मूंगफली के तेल का मूल्य 5 रुपये से 75 रुपये के विभिन्न पैकों के प्रत्येक पैक में बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक हित में मूंगफली के तेल के मूल्यों में कमी सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां, माननीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री की अपील पर खाद्य तेल के कुछ लोकप्रिय ब्रांडों के निर्माताओं तथा पैकरों ने मार्च, 1989 के दौरान स्वैच्छिक रूप से परिष्कृत मूंगफली के तेल के मूल्य में 1000 रु. प्रति मी. टन अर्थात प्रति कि. ग्राम. 1 रु. की कमी करना स्वीकार किया है।

(ग) और (घ) अपरिष्कृत मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिष्कृत मूंगफली के तेल के विभिन्न पैकों के मूल्यों में हाल में 3 रु. से 18 रु. तक की वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) किसानों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बाजार दखल कार्य करना।

(2) भंडारण नियंत्रण सीमाओं/भारतीय रिजर्व बैंक ऋण सीमाओं में छूट देना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित तेल का कारगर आपूर्ति प्रबंध करना।

(4) जमाखोरी-विरोधी उपाय करना।

नाभिकीय परीक्षण और एड्स रोगी

[हिन्दी]

268. श्री मदन पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों के अनुसार नाभिकीय परीक्षणों के कारण एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सरकार को वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए ऐसे अनुमानों की कोई जानकारी नहीं है जिनमें यह दावा किया हो कि न्यूक्लियर परीक्षण एड्स के रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

क्षय रोग का उन्मूलन

[अनुवाद]

269. श्री मग्नेश्वर तांती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से क्षय रोग का उन्मूलन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में इस बीमारी से सबसे अधिक मौतें होती हैं; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) देश की लगभग 1.5 प्रतिशत जनसंख्या विकिरण चिकित्सीय रूप से सक्रिय क्षय रोग से ग्रस्त है जिसमें से 0 4 प्रतिशत जनसंख्या पाजेटिव थूक वाले रोगियों की है। चूंकि क्षयरोग देश में व्याप्त खराब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से निकट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय इस रोग का उन्मूलन करना कठिन है। भारत सरकार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करके इस रोग को फैलने रोकने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला क्षय रोग केन्द्र थूक/एक्स-रे की जांच करके और अधिक से अधिक क्षय रोगियों का पता लगा रहे हैं। और क्षय रोग रोधी औषधों की सप्लाई करके तथा रसायन चिकित्सा कोसों के द्वारा रोगियों का उपचार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) क्षय रोग न तो एक सूचनीय रोग है और न ही हमारे देश में अलग अलग मौतों के सही कारण के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। तथापि, अनुमान है कि हमारे देश में हर वर्ष प्रति एक लाख जनसख्या के पीछे 50 व्यक्तियों की क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है।

फुलवाड़ी काटन मिल

270. **डा. सी. पी. ठाकुर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार फुलवाड़ी काटन मिल को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मिल को फिर शुरू करने का निर्णय नोडल एजेंसी/औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष इसकी अर्थ क्षमता सिद्ध होने पर निर्भर करता है। नोडल एजेंसी ने फुलवाड़ी काटन मिल को गैर-अर्थक्षम पाया है। इसी लिए नोडल एजेंसी ने इसका एनर्वास पैकेज नहीं बनाया है।

विस्कोस-स्टेपल फाइबर का वितरण और बिक्री

272. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

273. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बाजार में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय बाजार में इन पदार्थों का क्या मूल्य चल रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 24.6.89 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान मूल्यों का रुख मिश्रित स्वरूप का रहा है। जहां चना, मसूर, उड़द जैसी कुछ दालों; आलू, चाय, लाल मिर्च, गुड़, चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हुई है वहां बाजरा, मूंग, अरहर, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और प्याज जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई हैं । साफ्ट कोक और मिट्टी के तेल के मूल्य स्थिर रहे हैं ।

(ख) कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः 1987 के सूखे के परिणामस्वरूप देशीय उत्पादन और उपलभ्यता में कमी आने, खपत में वृद्धि होने और व्यापारियों द्वारा स्टाक की पुनः पूर्ति किए जाने आदि के कारण हुई है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें चुने केन्द्रों में 23.6.1989 को चुनी हुई वस्तुओं के खुदरा मूल्य दिखाए गए हैं ।

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित रखने और उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई उपाय किए गए हैं । सरकार की नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, के उत्पादन को बढ़ाने पर दिया गया है । दालों, खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है । आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया गया है, ताकि देशीय उपलभ्यता में वृद्धि हो सके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरन्तर मजबूत बनाया जा रहा है और इसे योजना प्रक्रिया का एक अंग बना दिया गया है । चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल जैसी वस्तुएं उचित दर की दुकानों के तंत्र के जरिए दी जा रही हैं । इन दुकानों की संख्या 3.51 लाख है । राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू करें । दूर तक फैले क्षेत्रों में मोबाइल वैनों के जरिए भी वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है । 1988-89 में बढ़े हुए उत्पादन और 1989-90 में मानसून के प्रत्याशित अच्छे रुख के कारण आवश्यक कृषि जन्य वस्तुओं के उच्च उत्पादन की संभावनाओं से यह आशा की जाती है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकना संभव हो सकेगा ।

विवरण

चुने केन्द्रों में 23.6.1989 को समाप्त सप्ताह में चुनी वस्तुओं के खुदरा मूल्य

वस्तु	23.6.89 को खुदरा मूल्य	वस्तु	23.6.89 को खुदरा मूल्य
1	2	1	2
केन्द्र		दिल्ली	9.25
चावल (मोटा कामन)		लखनऊ	9.00
रु. प्रति कि. ग्रा.		मूंग (धुली हुई)	
हैदराबाद	3.80	रु. प्रति कि. ग्रा.	
बंगलौर	5.00	हैदराबाद	11.00
बम्बई	5.00	बंगलौर	12.50
मदुरई	4.70	बम्बई	13.00
जलपाईगुड़ी	4.50	मदुरई	11.00
लखनऊ	3.80	जलपाईगुड़ी	12.00
ज्वार		दिल्ली	12.50
रु. प्रति कि. ग्रा.		गेहूं	
हैदराबाद	4.25	रु. प्रति कि. ग्रा.	
बम्बई	4.00	करनाल	2.20
राउरकेला	3.00	इन्दौर	2.60
मदुरई	2.70	बम्बई	4.00
लखनऊ	3.00	मदुरई	3.60
दिल्ली	3.75	लखनऊ	2.50
चना (दला हुआ)		भटिण्डा	2.10
रु. प्रति कि. ग्राम		दिल्ली	3.20
हैदराबाद	9.00	बाजरा	
करनाल	9.00	रु. प्रति कि. ग्रा.	
नागपुर	10.00	हैदराबाद	2.50
मदुरई	9.50	हुबली	3.00
		बम्बई	4.00

1	2	1	2
मदुरई	2.80	लखनऊ	11.00
लखनऊ	3.30	दिल्ली	12.50
दिल्ली	2.50	आलू	
अरहर (दली हुई)		रु. प्रति कि. ग्रा.	
रु. प्रति कि. ग्रा.		हैदराबाद	3.00
हैदराबाद	10.50	बंगलौर	2.80
बंगलौर	11.00	बम्बई	3.50
बम्बई	10.00	कोयम्बतूर	3.00
मदुरई	11.50	जलपाईगुड़ी	2.80
लखनऊ	11.00	दिल्ली	3.00
जलपाईगुड़ी	11.00	मछली (रोहू)	
दिल्ली	10.00	रु. प्रति कि. ग्रा.	
मसूर (दली हुई)		बंगलौर	20.00
रु. प्रति कि. ग्रा.		विशाखापटनम	22.00
हैदराबाद	9.00	दिल्ली	36.00
बंगलौर	10.00	लखनऊ	20.00
बम्बई	10.50	लाल मिर्च	
मदुरई	9.00	रु. प्रति 100 ग्राम	
जलपाईगुड़ी	9.50	हैदराबाद	2.70
दिल्ली	10.00	अरनाकुलम	3.50
उड़द (दली हुई)		नागपुर	3.20
(रु.प्रति कि. ग्रा.)		लखनऊ	6.00
हैदराबाद	10.00	दिल्ली	4.00
बंगलौर	12.00	दूध (डेयरी)	
बम्बई	13.00	रु. प्रति लीटर	
मदुरई	10.00	बंगलौर	5.00
कलकत्ता	9.80	मदुरई	4.40

1	2	1	2
जलपाईगुड़ी	5.00	बंगलौर	7.50
दिल्ली	4.50	लखनऊ	8.00
लखनऊ	5.50	जलपाईगुड़ी	8.40
प्याज		दिल्ली	8.50
रु. प्रति कि. ग्रा.		बम्बई	8.00
हैदराबाद	1.25	वनस्पति (खुला)	
बंगलौर	1.40	रु. प्रति कि. ग्रा.	
बम्बई	2.50	करनाल	26.00
कोयम्बतूर	2.00	बम्बई	27.00
जलपाईगुड़ी	2.00	मदुरई	26.00
दिल्ली	2.00	लखनऊ	26.00
गोश्त		दिल्ली	25.00
रु. प्रति कि. ग्रा.		सरसों का तेल	
बंगलौर	37.00	(रु. प्रति कि. ग्रा.)	
हैदराबाद	36.00	करनाल	17.00
अर्नाकुलम	34.00	रांची	19.00
बम्बई	40.00	सिलचर	19.00
जलपाईगुड़ी	45.00	जलपाईगुड़ी	19.00
दिल्ली	40.00	दिल्ली	18.00
चाय (ब्रुक बांड-रेड लेबल)		लखनऊ	19.00
रु. 250 ग्राम प्रति पैकेट)		नारियल का तेल	
हैदराबाद	10.00	(रु. प्रति कि. ग्रा.)	
अर्नाकुलम	10.85	कोझीकोड	27.50
नागपुर	11.25	बम्बई	38.00
लखनऊ	10.00	दिल्ली	45.00
दिल्ली	11.00	पणजी	32.00
चीनी			
रु. प्रति कि. ग्रा.			
हैदराबाद	7.50		

1	2	1	2
नमक (सामान्य)		दिल्ली	28.00
रु. प्रति कि. ग्रा.		मदुरई	24.30
हुबली	1.00	जिंजली का तेल	
हैदराबाद	0.80	(रु. प्रति कि. ग्रा.)	
एर्नाकुलम	0.75	कोयम्बतूर	24.20
बम्बई	1.00	चित्तूर	26.50
कोयम्बतूर	0.60	लखनऊ	24.00
लखनऊ	1.00	दिल्ली	30.00
दिल्ली	2.00	आटा	
(आयोडाइज्ड)		(रु. प्रति कि. ग्रा.)	
गुड़		हैदराबाद	4.00
(रु. प्रति कि. ग्रा.)		हुबली	3.00
हैदराबाद	7.00	नागपुर	4.75
बंगलौर	6.00	कोयम्बतूर	4.00
लखनऊ	6.00	लखनऊ	3.00
जलपाईगुड़ी	7.00	दिल्ली	3.50
दिल्ली	6.50	मिट्टी का तेल	
मूंगफली का तेल		(रु. प्रति लीटर)	
(रु. प्रति कि. ग्रा.)		हैदराबाद	2.40
हैदराबाद	21.50	बम्बई	2.17
गांधीनगर	23.00	लखनऊ	2.52
हुबली	23.00	दिल्ली	2.25
बम्बई	24.00		

कपास एकाधिकार योजना जारी रखने की अनुमति

[अनुवाद]

274. श्री एस. एम. गुरड्डी :

श्री शांतीलाल पटेल :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को कपास एकाधिकार क्रय योजना

जोकि 10 जून, 1989 तक वैध है को अगले दस वर्षों तक जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र रुई एकाधिकार खरीद योजना को फिलहाल दिनांक 1-7-89 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों अथवा प्लाटों के लिए कब्जा-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां

275. **श्री राजकुमार राय** : : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों और प्लाटों के लिए कब्जा-पत्र प्राप्त करने में आवंटियों को काफी कठिनाइयां होती हैं;

(ख) क्या फ्लैटों/प्लाटों का कब्जा देने में विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सभी प्रकार से भुगतान की प्राप्ति तथा पूर्ण दस्तावेजों को पूरा करने पर प्लाटों के संबंध में कब्जा पत्र शीघ्र जारी किया जाता है। फ्लैटों के मामले में, कब्जा पत्र में निर्धारित तारीख के भीतर सामान्यत: कब्जा दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपनाये गये शिकायत निवारण पद्धति के मुताबिक व्यक्तिगत शिकायतें दूर की जाती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी कर्मचारी दुराचरण से संबंधित कोई शिकायत लापरवाही का मामला बन जाता है।

हड़ताल के कारण अव्यवस्थित हुई स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए डाक्टरों की भर्ती

[हिन्दी]

276. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के परिणामस्वरूप अव्यवस्थित हुई स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए कितने डाक्टरों की भर्ती की गई है; और

(ख) हड़ताली डाक्टरों के पुन: ड्यूटी पर आने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं जारी रखने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) अब हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अस्पतालों की सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

तथापि, हड़ताल की अवधि के दौरान 502 डाक्टरों को तदर्थ डाक्टरों के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था। चयन किए गए जिन डाक्टरों ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की उन्हें 6 मास के लिए नियुक्ति दे दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इन्जीनियरों की प्रतिनियुक्ति

277. डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अन्य विभागों से इन्जीनियरों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन करता है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बाहर से प्रतिनियुक्ति पर आये तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण में ही से नियुक्त किए गए इन्जीनियरों की संख्या क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। भर्ती नियमों के उपलब्धों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण पद के लिए अपेक्षित सुविज्ञता और अनुभव पर निर्भर करते हुए अन्य विभागों से इन्जीनियर लेता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग में, भर्ती नियमों में 50 प्रतिशत खाली पदों को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नतियों द्वारा भरने की व्यवस्था है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित भर्ती नियमों का अनुसरण करता है।

(ग) 1987 और 1988 की स्थिति इस प्रकार है :—

सीधी भर्ती	...	20
प्रतिनियुक्ति	...	26
पदोन्नति	...	81
योग	...	127

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अनुपात

[अनुवाद]

278. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या और डाक्टरों के बीच अनुपात क्या है; और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात क्या है और

(ख) इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) ग्रामीण/शहरी आबादी के बारे में 1981 के जनगणना आंकड़ों तथा डाक्टरों के बारे में नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 18686 आबादी पर तथा शहरी क्षेत्रों में 2666 आबादी पर एक डाक्टर है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को कार्य करने के लिए आकर्षित करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर आठवें वित्त आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राज्यों के लिए विशेष धन की व्यवस्था की है और प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं दी है :

(I) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को मूल वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर ग्रामीण भत्ता, जिसकी अधिकतम सीमा 250/- रुपये प्रतिमाह होगी।

(II) जहां पर डाक्टरों के लिए आवासीय सुविधा नहीं दी गई है वहां उन्हें 150/- प्रति-माह की दर से मकान किराया भत्ता।

इसके अतिरिक्त आठवें वित्त आयोग ने डाक्टरों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण हेतु 53.52 करोड़ रुपयों का विशेष प्रावधान किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत अधिक निर्माण लागत की व्यवस्था की गई है। नवें वित्त आयोग ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण हेतु 94.63 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

"पंजाब में वायु प्रदूषण"

279. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में वायु प्रदूषण युक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, और

(ग) इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है और इन औद्योगिक एककों द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पंजाबी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लुधियाना, मंडी गोबिन्दगढ़ और भटिण्डा का वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है।

इन्जीनियरी उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, ईंधन के रूप में धान की भूसी का उपयोग करने वाले स्टील रिरोलिंग मिलों और बायलरों से होने वाले उत्सर्जन वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

(ग) पंजाब में वायु प्रदूषण फैलाने वाली 260 मझौली और बड़ी औद्योगिक यूनिटों की शिनाख्त की गई है।

विशेष वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

— ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर) लगाए गए हैं।

— राज्य प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों को अपनी मौजूदा भट्ठियों को फिर से तैयार करने के निदेश दे दिए हैं ताकि ईंधन के रूप में धान की भूसी का प्रयोग करने वाले बायलरों और स्टील रिरोलिंग मिलों में ईंधन की पूर्ण खपत के लिए उनको उपयुक्त बनाया जा सके।

— उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के भी निदेश दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम का पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार बन्द करना

280. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार (नेटवर्क) बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजेन्द्र सेवाश्रम अनुग्रह नगर, बिहार को केन्द्रीय अनुदान राशि की अदायगी किया जाना

[हिन्दी]

281. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सिवान जिले में अनुग्रह नगर मैरवा में राजेन्द्र सेवाश्रम को पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय अनुदान राशि की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष के 1984-85 से 1988-89 की अवधि के दौरान देय अनुदान राशि कितनी है; और

(ग) अनुदान राशि कब तक रिलीज किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजेन्द्र सेवाश्रम अनुग्रह नगर, मैरवां, जिला सिवान, बिहार को निम्नलिखित अनुदान दिए गये :—

वर्ष	राशि
1986-87	13,15,89.00 रुपये
1987-88	6,33,00.00 रुपये
1988-89	11,54,50.00 रुपये

(ख) 1984-85 से 1988-89 की अवधि के लिए देय अनुदान 12,01,944.00 रुपये है।

(ग) इसका भुगतान संगठन से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

नगरपालिका अध्यक्षों की गोष्ठी

282. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मन्त्रालय ने देश में की गयी नगरपालिकाओं, नगर क्षेत्रों अथवा अधिसूचित क्षेत्रों और महानगर नगर निगमों के अध्यक्षों की कुल गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किये थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें पारित मुख्य प्रस्तावों और विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा इन गोष्ठियों और सम्मेलनों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन परिणामों को स्वीकार कर लिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार में शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक मान्यता, नियमित चुनावों, विशिष्ट कार्यों और संसाधनों के निर्धारण तथा ग्रामीण और शहरी विकास के समन्वय के माध्यम से सुदृढ़ बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

(ग) शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त विधान पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

नसबन्दी कराने के बाद मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

[अनुवाद]

283. श्री उत्तम राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान नसबन्दी कराने के बाद कितने व्यक्तियों के मरने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) ऐसे मरने वाले व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस समय कितनी अनुग्रह राशि दी जा रही है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे मामले में अनुग्रह राशि बढ़ाने की माँग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) निम्नलिखित वर्ष के दौरान सूचित की गई मौतें :

1986-87	447
1987-88	397

(ख) भारत सरकार के निदेशों के अनुसार मृतक के कानूनी वारिस को इस समय 10,000/- रुपये अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में दिए जा रहे हैं;

(ग) जी, हां।

(घ) इस पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पटसन की मिलों में हड़ताल

284. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में 37 पटसन मिलों के 16,000 से अधिक कामगारों द्वारा 26 जून 1989 को एक दिन की, की गई सांकेतिक हड़ताल, जो उन्होंने केन्द्रीय मजदूर संघों के आह्वान पर की थी, की ओर दिलाया गया है जिसमें बन्द पड़ी पटसन मिलों को पुन: खोलने और भविष्य निधि उपदान आदि की विधि-सम्मत बकाया राशि के भुगतान में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कार्यरत जूट मिलों के कामगारों ने केन्द्रीय मजदूर संघों के आह्वान पर, बन्द पड़ी जूट मिलों को पुन: खोलने और सांविधिक बकाया राशियों के भुगतान आदि की मांगों के संबंध में 26 जून, 1989 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी।

औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ऐसा पता लगा है कि उन्होंने इस संबंध में वार्ताओं के कई दौर किए हैं।

जूट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कई नीतिगत उपाय प्रारंभ किए हैं, जैसे जूट आधुनिकीकरण निधि योजना, विशेष जूट विकास निधि योजना, स्वदेशी और विदेशी बाजार सहायता के लिए योजना, आदि मिलों को कच्ची पटसन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भी कदम उठाए गये हैं।

"उड़ीसा में वर्ष 1989-90 में वन रोपण कार्यक्रम"

285. श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान अतिरिक्त भूमि में वन रोपण करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में उड़ीसा में कुल कितनी हैक्टेयर भूमि पर वन रोपण का विचार है, और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए वनीकरण लक्ष्य और योजना आबंटन क्रमश: 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 19.36 करोड़ रुपये है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले सामाजिक वानिकी कार्य जिसके लिए पंचायतों को धनराशि दी जा रही है, इसमें शामिल नहीं है।

दिल्ली में परिवहन गतिरोध

286. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्यमान परिवहन गतिरोध की समस्या के बारे में प्रथम बार सर्वेक्षण किस-किस तारीख को किया गया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) उसके बाद उस समस्या के बारे में कब-कब अध्ययन सर्वेक्षण आदि किया गया और तत्संबंधी रिपोर्ट सरकार को कब-कब प्रस्तुत की गयीं;

(ग) प्रत्येक सर्वेक्षण आदि कराने पर कितना खर्च हुआ;

(घ) परिवहन समस्या के समाधान के लिये प्रत्येक बार सुझाई गई योजनाओं पर कितनी राशि के व्यय होने का अनुमान लगाया गया; और

(ङ) उनके कार्यान्वयन में देरी के कारण उनके लिए अनुमानित लागत धनराशि में कितनी वृद्धि हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार दिल्ली में परिवहन समस्याओं का प्रथम सर्वेक्षण दिल्ली के लिए वृहत योजना तैयार करते समय नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन में 1957 में किया गया था।

(ख) 1971 के बाद किए गए अनुवर्ती कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ अध्ययनों/सर्वेक्षणों के लिए भुगतान किया गया था और कुछ अध्ययन/सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए थे जिनके लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते आदि जैसे आम व्ययों के अलावा कोई विशेष भुगतान नहीं किया गया था। जिन प्रक्रियायों की सूचना उपलब्ध है, उनकी लागतों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ.) समय समय पर किए गये विभिन्न अध्ययनों/सर्वेक्षणों से कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे जिनमें संरेखण प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कई विकल्प थे। तथापि, इस प्रकार तीव्र जन-परिवहन प्रणाली के लिए विस्तृत अनुमानित लागत का हिसाब विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन के बाद ही लगाया जा सकता है।

विवरण-1

1. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा वृहत दिल्ली के लिए व्यापक यातायात तथा परिवहन आयोजना अध्ययन-1971.

2. दिल्ली के लिए "तीव्र परिवहन गलियारों" पर रिपोर्ट-महानगरीय परिवहन दल (योजना आयोग) जून, 1974.

3. महानगरीय परिवहन संगठन (रेलवे) पर सिफारिशें, 1975.

4. दिल्ली वृहत योजना-2001 की सिफारिशें।

5. रेलवे मंत्रालय द्वारा गठित अन्त: मंत्रालय दल-1986.

6. दिल्ली के लिए तीव्र जन परिवहन प्रणाली पर शहर विकास मंत्रालय द्वारा गठित कर्मी दल।

7. दिल्ली के पुराने शहरी क्षेत्र के लिए एक व्यापक यातायात व्यवस्था अध्ययन जो कि दिल्ली प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय परिवहन योजना तथा अनुसंधान के माध्यम से कराया गया था रिपोर्ट अप्रैल, 1989 में प्रस्तुत की गई।

8. विवेक विहार से विकासपुरी तक पूर्वी-पश्चिमी गलियारे में मैट्रो के निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुये निश्चित वर्ष-2001 के लिए पूर्ण जन परिवहन नेटवर्क की रुपरेखा प्रस्तुत करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने 25.4.1989 को मैसर्ज रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड (आर. आई. टी. ई. एस.) के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर निर्णय लिया। आर. आई. टी. ई. एस. को सौंपे गये काम को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है।

9. दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय ने "यातायात आवागमन आंकड़ा आधार" और "वृहत योजना-सड़कों का सृजन" पर दो और अध्ययनों का कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को सौंपा है। ये अध्ययन इस समय प्रगति पर हैं।

विवरण-2

1. विभिन्न प्रमुख अध्ययनों की लागत—

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान :

(i) बृहत दिल्ली के यातायात के प्रारम्भ-लक्ष्य सर्वेक्षण (1957 में) :	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कोई राशि प्राप्त नहीं की थी।
(ii) दिल्ली शहरी क्षेत्र के लिए व्यापक यातायात तथा परिवहन आयोजना अध्ययन :	12.00 लाख रुपये
(iii) ऊपर बताए गए स्थल सुधारों से संबंधित विभिन्न अवधियों में अन्य अध्ययन :	प्रत्येक अध्ययन के लिए लागत 10,000/-रुपये से 1.50 लाख रुपये तक अलग-अलग थी।
(iv) दिल्ली के शहरी क्षेत्र में सड़कों के लिए यातायात तथा परिवहन आवागमन आंकड़ा आधार का विकास :	12.00 लाख रुपये
(v) दिल्ली के लिए सड़क प्रणाली के विकास के लिए प्राथमिकतायें :	15.30 लाख रुपये

(उपर्युक्त क्रम सं. (iv) तथा (v) पर अध्ययन इस समय प्रगति पर हैं)

2. "महानगरीय परिवहन संगठन (रेलवे), 1975 की सिफारिशों" के अध्ययन के लिए रेलवे मंत्रालय ने लगभग 1.25 करोड़ रुपये व्यय किए।

3. रेलवे मंत्रालय द्वारा गठित अन्तः-मंत्रालय दल-1986 के अध्ययन पर रेलवे मंत्रालय ने लगभग 0.5 लाख रुपये व्यय किये।

4. दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय ने "दिल्ली के पुराने शहरी क्षेत्र के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था अध्ययन" के लिए राष्ट्रीय परिवहन आयोजना तथा अनुसंधान केन्द्र को 9.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। रिपोर्ट अप्रैल, 1989 में प्रस्तुत की गई।

5. विवेक विहार से विकासपुरी तक पूर्वी-पश्चिमी गलियारे में मैट्रो के निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए निश्चित वर्ष 2001 के लिए दिल्ली के लिए पूर्ण जन परिवहन नेटवर्क की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु दिल्ली प्रशासन ने 25.4.1989 को मैसर्ज रेल इण्डिया टैक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर निर्णय लिया। मैसर्ज रेल इण्डिया टैक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज के साथ इस समझौते की लागत 255 लाख रुपये होगी।

आदिवासी क्षेत्रों को खाद्यान्नों की सप्लाई

287. श्री श्री. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की सप्लाई कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य-वार विभिन्न किस्म के चावल की कितनी-कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1985 से शुरू की गई योजना के अधीन चावल तथा गेहूं समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन आने वाले इलाकों और नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादर तथा नगर हवेली के आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किया जाता है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारें इस योजना के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उन्हें किए गए मासिक आवंटनों में से चावल का वितरण करती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन किस्मवार नहीं किए जाते हैं। अतः इस योजना के अधीन किस्मवार वितरण वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा और वह मास-प्रति-मास भिन्न-भिन्न होगा। इस प्रकार की अलग-अलग सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी-मई, 1989 की अवधि के दौरान इस योजना के अधीन वितरित की गयी कुल मात्रा का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1989 के दौरान समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल सप्लाई करने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए चावल की मात्रा

(आंकड़े हजार मिटरी टन में*)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 89	फरवरी, 89	मार्च, 89	अप्रैल, 89	मई, 89
1. आंध्र प्रदेश	14.1	11.9	9.8	11.8	12.0
2. असम	2.9	1.3	0.5	0.2	0.5
3. बिहार	2.9	नग.	2.2	1.6	5.6
4. गुजरात	6.8	8.1	5.6	5.6	8.3
5. हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1	—	0.1
6. कर्नाटक	5.5	5.5	5.2	4.9	5.2
7. केरल	2.4	2.5	1.7	1.6	1.6
8. मध्य प्रदेश	9.3	7.8	6.9	6.4	5.1
9. महाराष्ट्र	2.5	2.1	4.6	2.2	4.4
10. मणिपुर	2.2	1.4	3.1	—	2.2
11. उड़ीसा	13.6	6.1	15.7	11.9	15.6
12. राजस्थान	0.4	0.1	0.5	0.1	0.7

13.	सिक्किम	—	—	—	—	—
14.	तमिलनाडु	नग.	—	—	—	—
15.	त्रिपुरा	3.0	3.0	3.8	4.9	5.3
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	3.0	2.5	2.3	2.0	2.7
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
19.	दमन	—	—	—	—	—
20.	अरुणाचल प्रदेश	6.0	4.1	5.6	5.1	7.5
21.	मेघालय	10.3	9.8	11.3	7.4	8.8
22.	मिजोरम	7.3	7.7	8.1	8.7	8.3
23.	नागालैंड	6.8	5.6	6.1	6.6	4.1
24.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—	—
25.	लक्षद्वीप	0.3	1.1	1.0	0.7	0.2
		99.4	80.7	94.1	81.7	98.2

*अनन्तिम

"प्रोवरसीज डेवलपमेंट एजेन्सी द्वारा पश्चिमी घाटों के विकास हेतु सहायता"

288. **श्री के.पी. उन्नीकृष्णन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की प्रोवरसीज डेवलपमेंट एजेन्सी पश्चिमी घाटों के समन्वित विकास की परियोजना को सहायता प्रदान कर रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समूची प्रावंटित राशि कर्नाटक राज्य को प्रदान कर दी गई है जबकि इसमें से केरल तथा महाराष्ट्र को उनका हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह परियोजना केरल और महाराष्ट्र में भी पूर्णतः कार्यान्वित की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं। तथापि, ब्रिटेन के एक प्रोवरसीज डेवलपमेंट एजेन्सी परामर्शदाता दल ने पश्चिमी घाटों में वनों के समन्वित विकास पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्य सरकार को मदद देने के लिए हाल ही में कर्नाटक दौरा किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

घटिया किस्म के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के प्रयोग से मानव शरीर में जहर पहुंचना

289. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के प्रयोग से मानव शरीर में जहर पहुंचता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार घटिया किस्म के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के प्रयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को जानने के लिए कोई अध्ययन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय लोगों को चावल वितरण में वितरण एजेन्सियों द्वारा लाभ

290. **प्रो. के.वी थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जनजातीय लोगों को राज-सहायता प्राप्त दरों पर चावल सप्लाई कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वितरण एजेन्सियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या ये वितरण एजेन्सियां इस चावल से लाभ अर्जित कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1985 से शुरू की गई योजना के अधीन चावल तथा गेहूं समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन आने वाले इलाकों और नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादर तथा नगर हवेली के आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किया जाता है ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के भिन्न-भिन्न प्रकार के वितरण नेटवर्क होते हैं । विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का उठान राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों अथवा थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है जो तदुपरान्त इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचने हेतु उचित दर की दुकानों अथवा खुदरा विक्रेताओं को सुपर्द करते हैं । कुछ राज्यों में मोबाइल वाहनों के जरिये वितरण किया जाता है .

(ग) और (घ) इस स्वरूप की कोई विशिष्ट घटना इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आयी है ।

बिहार में वनस्पति एकक

[हिन्दी]

291. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर वनस्पति एकक चल रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इन क्षेत्रों में ऐसे नये एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कहां और इनमें कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बिहार राज्य में सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में कोई वनस्पति एकक नहीं चल रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"केरल में सबरीमाला तीर्थस्थल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी"

[अनुवाद]

292. **श्री वक्कम पुरूषोत्तमन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित सबरीमाला तीर्थस्थल के विकास का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक मजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न

293. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य को खाद्यान्न सप्लाई किए जाने के बारे में उनसे भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) शिष्टमण्डल को यह स्पष्ट किया गया था कि पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य के साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में कोई भेद-भाव नहीं किया गया। खरीफ मौसम, 1988-89 को भरपूर फसल होने के बाद तथा खुले बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता होने तथा स्टाक की कठिन स्थिति होने से भारत सरकार ने सभी प्रमुख चावल उपभोक्ता राज्यों के मामले में केंद्रीय पूल से चावल के मासिक आवंटन में फरवरी, 1989 से 20 प्रतिशत की एक समान कटौती कर दी थी।

न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अधीन श्रेणी परिवर्तन की अनुमति

294. **श्रीमती डी. के. भण्डारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अधीन कुछ पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक उनकी श्रेणियों में प्राथमिकता नम्बर आवंटित कर दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) क्र. सं.	श्रेणी	
1.	मध्यम आय वर्ग से स्ववित्त पोषित योजना	1686
2.	निम्न आय वर्ग से मध्यम आय वर्ग	600
3.	निम्न आय वर्ग से स्ववित्त पोषित योजना	13
4.	जनता से निम्न आय वर्ग	163
5.	जनता से मध्यम आय वर्ग	816

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) परिवर्तनकर्ताओं के वरीयता नम्बरों के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

कपड़ा मिलों में महिला श्रमिक

295. प्रो. मधु दंडवते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन 1980 में भारत की कपड़ा मिलों में कुल कितनी महिला श्रमिक कार्य कर रही थी;

(ख) कपड़ा मिलों में इस समय कार्य करने वाली महिला श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्याओं में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) महिला श्रमिकों की संख्या में कमी न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) कपड़ा मिलों में महिलाओं के नियोजन के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) महिलाओं को अधिकतर पैकिंग तथा फोल्डिंग विभाग में नियोजित किया जाता है और चूंकि मिल क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में गिरावट आई है, इसलिए महिला श्रमिकों की संख्या में तुलनात्मक कमी हुई है।

(ङ) उपरोक्त (घ) में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए मिल क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या में कमी को केवल तभी रोका जा सकता है जब मिल क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हो।

विवरण

कपड़ा मिलों में महिलाओं का रोजगार

नियोजित महिलाओं की संख्या (हजारों में)

	1.1.1980	31.3.1980
पुरुष	1106	1166
महिलाएं	55	40
कुल	1161	1206

महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रसूति गृह

[हिन्दी]

296. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कितनी महिला बीड़ी श्रमिक है;

(ख) क्या बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष से महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रसूति गृह बनाये गये हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजना के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मकारों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। हालांकि महिला बीड़ी कर्मकारों की संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है, यह समझा जाता है कि देश में अधिकतर बीड़ी कर्मकार महिलाएं हैं।

(ख) और (ग) हालांकि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए कोई प्रसूति गृह स्थापित नहीं किए गए हैं, निधि के अधीन स्थापित किए गए औषधालयों आदि के माध्यम से सभी बीड़ी कर्मकार निःशुल्क चिकित्सा इलाज के पात्र हैं।

(घ) और (ङ) सभी बीड़ी कर्मकारों को उपलब्ध निःशुल्क इलाज के अतिरिक्त, 1.4.1988 से प्रसूति प्रसुविधा की एक नई योजना लागू है। इस योजना के तहत, कोई महिला बीड़ी कर्मकार अपने जीवन में दो 250/- रु. की एक मुश्त राशि प्रति प्रसव के आधार पर पाने की पात्र है। यह प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अधीन उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त है।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों का राज्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	बीड़ी कर्मकारों की संख्या (लाखों में)
1. कर्नाटक	3.55
2. केरल	1.11
3. उत्तर प्रदेश	4.50
4. राजस्थान	1.16
5. गुजरात	0.75
6. उड़ीसा	1.60
7. पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय	4.50
8. आन्ध्र प्रदेश	2.00
9. तमिलनाडु	2.55
10. मध्य प्रदेश	5.78
11. महाराष्ट्र	2.05
12. बिहार	3.50
कुल	32.75

नमक का उत्पादन और उसकी खपत

297. श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नमक के उत्पादन और उसकी खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल उत्पादन में से कितना नमक आयोडीन युक्त बनाया जा रहा है,

(ग) आयोडीन विहीन नमक का इस्तेमाल करने से क्या हानि होती है, और

(घ) क्या सरकार का विचार केवल आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन करने का है और यदि हां, तो कब तक,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) देश में नमक का कुल उत्पादन लगभग 100 लाख टन है जबकि इसका वार्षिक मानवीय उपभोग करीब 50 लाख टन है। अतिरिक्त बची हुई मात्रा का प्रयोग औद्योगिक कार्यों और पड़ोसी देशों में निर्यात के लिए होता है।

(ख) 1988-89 के दौरान नमक की 21.90 लाख टन मात्रा को आयोडीकृत किया गया। 1989-90 के दौरान 30 लाख टन आयोडीकृत नमक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) आयोडीकृत नमक का उपयोग पोषक आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है जिसके कारण घेघा और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य रोग जैसे बौनापन गूंगा बहरापन आदि हो जाते हैं।

(घ) भारत सरकार ने चरणवार तरीके से देश में नमक के सर्वव्यापी आयोडीनीकरण की एक स्कीम चलाई है जो वर्ष 1992 तक पूरी होगी।

"बिल्डर्स ग्राम प्लाट आन चितरंजन पार्क" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

298. डा. वी. वेंकटेश : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1989 के "पेट्रियट" में "बिल्डर्स आन एलाट आन चितरंजन पार्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये हैं। तथापि, रेजीडेन्ट्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली के महासचिव से एक शिकायत प्राप्त होने पर, भूमि तथा विकास कार्यालय के फील्ड स्टाफ द्वारा संपत्तियों का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि भवनों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (इस कालोनी के नक्शे स्वीकृत करने के लिये स्थानीय निकाय) से नक्शे स्वीकृत कराने के पश्चात किया जा रहा है।

जहां तक कालोनी में बहुमंजिले भवनों के निर्माण का संबंध है, रेज़ीडेन्ट्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, चितरंजन पार्क के महासचिव द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में उल्लिखित भवनों में ऐसे कोई निर्माण ध्यान में नहीं आये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है चित्तरंजन पार्क में स्थित भूखण्डों के भवन नक्शे भवन उप-नियमों में निहित विनियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार मैज्जानीन और बेसमेन्ट के प्रावधान के साथ 2½ मंजिल के भवन नक्शे केवल मूल आबंटियों को स्वीकृत किये गये हैं।

मलजल शोधन एकक

299. डा. वी. वेंकटेश :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगली योजना अवधि में जलप्रदूषण से बचने हेतु मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) चालू योजना अवधि में कितने एककों की स्थापना की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के विचारार्थ मलजल के विपथन, शोधन और उपयुक्त व्ययन के लिए चयनित नगर पालिकाओं को निधियों की व्यवस्था करके नदी-जल की कोटि में सुधार करने की एक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान, गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न-लिखित स्थानों पर मलजल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं :—

1. हरिद्वार
2. फरुखाबाद और फतेहगढ़
3. कानपुर
4. इलाहाबाद
5. मिर्जापुर
6. वाराणसी
7. छपरा
8. पटना
9. मुंगेर
10. भागलपुर
11. बहरामपुर
12. नबोद्वीप
13. हुगली-चिनौरा
14. चन्दन नगर
15. भटपोरा
16. बैरेकपुर
17. सोरमपुर
18. टीटागढ़

19. पाणिहाटी

20. बाली

21. कामरहाटी

22. बड़ा नगर

23. साउथ दमदम

24. जादवपुर

25. गार्डन रीच

26. नेहाटी

27. साउथ सबअर्बन

28. कलकत्ता एम. सी.

29. हल्दिया

रेशम का उत्पादन और मांग

300. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री चिन्तामणि जैना :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में रेशम के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में रेशम की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या घरेलू मांग को पूरा करने तथा रेशम उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कच्चे रेशम का आयात किया जा रहा है; और

(घ) प्रति वर्ष कितने रेशम का आयात किया जाता है तथा कितने देशों से एवं इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है; और

(ङ) क्या सरकार अन्य राज्यों में भी रेशम का उत्पादन करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इस कार्य के लिए चुने गये राज्यों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कच्ची रेशम के राज्य वार उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) कच्चे रेशम की वार्षिक आवश्यकता घरेलू उत्पाद और विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न देशों से रु. 53·49 करोड़ मूल्य की कच्ची रेशम की 1857 मी. टन की कुल मात्रा का आयात किया गया था। इन देशों की सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं काश्मीर इन 5 परंपरागत राज्यों के अलावा, 12 गैर-परम्परागत राज्यों (अर्थात् केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश) को उस राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना के अन्तर्गत शहतूती रेशम कीट पालन के विकास के लिए चयन किया गया है जो विश्व बैंक/स्विस सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कच्चे रेशम का देश-वार उत्पादन

(टनों में)

क्रम सं.	राज्य	कच्ची रेशम का उत्पादन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2588
2.	असम	377
3.	अरुणाचल प्रदेश	7
4.	बिहार	410
5.	हिमाचल प्रदेश	8
6.	जम्मू और काश्मीर	29
7.	कर्नाटक	5317
8.	मध्य प्रदेश	59
9.	महाराष्ट्र	10
10.	मणिपुर	128
11.	मिजोरम	22
12.	मेघालय	91
13.	नागालैंड	8
14.	उड़ीसा	80
15.	पंजाब	3
16.	तमिलनाडु	762
17.	त्रिपुरा	3
18.	उत्तर प्रदेश	19
19.	पश्चिम बंगाल	385

1	2	3
20.	राजस्थान	नग.
21.	गुजरात	नग.
22.	केरल	नग.
23.	सिक्किम	शून्य
	योग	10,806

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान जिन देशों से कच्ची रेशम का आयात किया गया उनकी सूची

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रिया

ब्राजील

चिली

चीन पी. आर. पी.

चीन आर. ई. पी.

हांडरास

हांगकांग

इटली

जापान

दक्षिण कोरिया जनवादी गणराज्य

कोरिया गणराज्य

नीदरलैंड

सिंगापुर

सोवियत संघ

वियतनाम एस. आर. पी.

एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) का आधुनिकीकरण

301. श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड का चरणबद्ध आधुनिकीकरण के बारे में 3 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7834 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन किन-किन एककों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में कटौती कर दी गई है;

(ख) ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम सम्बन्धी लागत का ब्यौरा क्या है जिन्हें आर्थिक कठिनाइयों के के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ग) इस कटौती का सम्बन्धित एककों की आर्थिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस कटौती के कारण कुछ ऐसी परियोजनाएं भी रोक दी गई हैं, जिनमें आधुनिकीकरण का काम चल रहा था, और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें बीच में ही रोक दिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. एँड ओ.) के अन्तर्गत 3 एककों में, तकुओं का प्रसार कार्यक्रम जोकि छठी योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित था, बाद में वित्तीय स्रोतों के अभाव में कम कर दिया गया। इन 3 एककों में कुल 39,000 तकुओं को जोड़ने का प्रस्ताव था। इस विस्तार कार्यक्रम को कांट-छांट करने सम्बन्धी मिलवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं.	मिल का नाम	विस्तार के लिए पहले से प्रस्तावित तकुओं की संख्या	वास्तविक जोड़े गए तकुओं की संख्या	कम किए गए तकुओं की संख्या	कम की गई परियोजनाओं की लागत (लाख रु. में)
1.	बनारसी काटन मिल्स	10,400	शून्य	10,400	102,90
2.	आरती काटन मिल्स	13,000	7,980	5,020	80,10
3.	बंगाल फाइन स्पी. एण्ड वीविंग मिल्स नं. 2	12,500	शून्य	12,500	144,26
		35,900	7,980	27,920	327.26

(ग) कुछ अंश तक योगदान में इससे होने वाला अतिरिक्त फायदा प्रभावित हुआ है जोकि उन परिस्थितियों में इसलिए अपरिहार्य था क्योंकि उस समय अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भर्ती

302. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ग्रुपवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक ग्रुप में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए;

(ग) प्रत्येक ग्रुप में भर्ती की प्रक्रिया का श्रेणीबार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1988-89 में सामान्य प्रक्रिया से हट कर तदर्थ आधार पर भर्ती की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या गठित की गई चयन समितियों में अल्पसंख्यक समुदायक के प्रतिनिधि को शामिल किया गया था; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक चयन समिति में शामिल किए गए प्रतिनिधि के नामों और पद-नामों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन और मांग

303. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1989-90 में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान बढ़िया किस्म के सूती धागे के मूल्य की मासिक औसत क्या रही थी;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कपास की वास्तविक/अनुमानित घरेलू खपत कितनी थी और वर्ष 1989-90 में यह कितनी होने का अनुमान है; और

(घ) इन दो वर्षों में निर्यात के लिए कपास जारी करने का क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) रुई वर्ष 1988-89 के दौरान रुई के उत्पादन का अनुमान 104 लाख गांठों का लगाया गया है। वर्ष 1989-90 के लिए अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रुई वर्ष 1988-89 के दौरान घरेलू खपत के लिए रुई की आवश्यकता 104 लाख गांठें आंकी गई है। वर्ष 1989-90 के लिये अनुमान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) रुई वर्ष 1989-90 के लिए कोई निर्यात कोटा रिलीज नहीं किया गया है। चालू रुई वर्ष के लिए निर्यात हेतु रुई इसकी उपलब्धता, और रुई उपभोक्ताओं के हितों और विदेशी मुद्रा अर्जन में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों को ध्यान में रखकर रिलीज की गई थी।

विवरण

रुई वर्ष 1988-89, सितम्बर, 1988 से मई. 1989 तक, के दौरान सूची यार्न मासिक डब्ल्यू टी. औसत कीमत

रुई यार्न	सितम्बर, 88	अक्टूबर, 88	नवम्बर, 88	दिसम्बर, 88	जनवरी, 89	फरवरी, 89	मार्च, 89	अप्रैल, 89	मई 89
हैंक्स	39.30	37.89	38.49	39.82	41.36	40.40	41.31	42.91	44.14
कोंस	44.03	44.67	46.67	46.85	47.34	47.59	50.85	53.68	53.66

खेतिहर श्रमिकों की कार्य शर्तें

304. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेतिहर श्रमिकों की कार्य करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्योरा क्या है; और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) हालांकि देश में कृषि श्रमिकों की कार्य दशाओं के निर्धारण के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं पर कुछ मूल ब्योरे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर आयोजित कृषि श्रम सर्वेक्षण/ग्रामीण श्रम जांचों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा कार्य दशाओं का अध्ययन भी शामिल है।

केरल मे भारतीय खाद्य निगम के नये गोदाम खोलना

305. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने कितने नये गोदाम खोले हैं;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष में केरल में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतीय खाद्य निगम के ऐसे और गोदाम खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये गोदाम किन-किन स्थानों पर खोले जाने का विचार है और ऐसे प्रत्येक गोदाम का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1988-89 के दौरान केरल में कोई नया गोदाम नहीं खोला है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में तीन केन्द्रों पर गोदामों का निर्माण शुरू किया है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

केन्द्र	क्षमता (मीटरी टन)	जिस हद तक कार्य पूरा किया गया	कार्य को पूरा करने की संभावित तारीख
चिक्कोडी	5,000	फाउंडेशन कार्य प्रगति पर है।	मार्च, 1990
मावेलीकारा	10,000	फाउंडेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। सुपर-स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर है।	जून, 1990
करुणागापल्ली	10,000	फाउंडेशन कार्य शुरू कर दिया गया है।	सितम्बर, 1990

तथापि, निगम का वर्तमान वर्ष के दौरान केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है।

केरल में प्रसूति एवं बाल कल्याण गृह खोलने का प्रस्ताव

306. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान केरल में कोई प्रसूति एवं बाल कल्याण खोले हैं अथवा खोलने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अथवा इसकी सहायता से कितने प्रसूति एवं बाल कल्याण गृह चलाये जा रहे हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान नवशिशुओं/शिशुओं के जीवित रहने की सम्भावना में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान केरल में कोई जच्चा-बच्चा परिचर्या गृह नहीं खोला है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की राज्यों में जच्चा-बच्चा परिचर्या गृह स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के लिए स्वीकृत कार्यनीति के अंग के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र जैसे संस्थाएं खोली जाती हैं। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है, वहां उपकेन्द्रों के व्यय का एक भाग के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि महिला कार्यकर्ता के वेतन, आवश्यक औषधों की आपूर्ति तथा अनुषंगी व्यय के लिए होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 1989 तक 18.938 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1,20,767 उपकेन्द्र और 1631 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जीवन प्रत्याशा के आंकड़े जनगणना कार्य के आधार पर उपलब्ध होते हैं इसलिए पिछले पांच वर्षों के सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना के लिए स्विटजरलैंड की सहायता

307. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड विकास निगम ने राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड को 38 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान प्रदान किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि के उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) स्विस डेवलपमेंट को आपरेशन विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना की वित्त व्यवस्था में भागीदारी के लिए सहमति दे दी है और इसके लिए 40 मिलियन

लियन डालर की सहायता दी है। विश्व बैंक की राशि के साथ इस राशि निधि का उपयोग परियोजना के जिन कार्यों के लिए किया जाएगा वे हैं पूंजीगत निर्माण कार्य, उपस्कर, केन्द्रीय कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों जैसे रेशम बोर्ड और राज्य सरकारों की प्रचालन लागत, रीलरों को ऋण प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं।

कैंसर निवारक उपचार की खोज

308. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" (चंडीगढ़ संसकरण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कैंसर के उपचार का दावा किया गया है;

(ख) क्या इस दावे के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में पर्यावरण जागरुकता संवर्धन कार्यक्रम के लिए सहायता

309. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में सामान्य पर्यावरण जागरुकता संवर्धन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग ने वर्ष 1988 में उड़ीसा में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के कार्यान्वियन के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से उड़ीसा में कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार को 5.00 लाख रुपए की राशि मंजूर की।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में की गई "सीटू" द्वारा शिकायत

310. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भारतीय मजदूर संघ "सीटू" ने वर्ष 1988 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एक शिकायत दर्ज कराई थी (मामला संख्या 1479 के रूप में पंजीकृत);

(ख) यदि हां, तो इस शिकायत का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) जी, हां। सैन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने एक शिकायत दर्ज कराई थी।

(ख) सैन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ने यह आरोप लगाया है कि उनकी सम्बद्ध हैवी वाटर प्रोजेक्ट एरपलाइज यूनियन जो कि बहुमत प्राप्त यूनियन थी, की कार्यकारी समिति को सरकारी एजेंसियों की सहायता से अनुचित ढग से हटा दिया गया था और एक प्रतिद्वंदी यूनियन को प्रबंधमंडल द्वारा मान्यता दे दी गई थी।

(ग) उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, हैवी वाटर प्रोजेक्ट एम्प्लाइज यूनियन मई, 1987 में विभाजित हो गई और प्रबंधमंडल ने नई कार्यकारी समिति को श्रम आयुक्त द्वारा यह सत्यापित करने के बाद की नई कार्यकारी समिति का चुनाव वैध रूप से हुआ है और उसके पक्ष में बहुमत है के आधार पर अस्थायी मान्यता प्रदान की थी। विधि मंत्रालय ने इस विचार का समर्थन किया था।

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल

311. **श्री डी. बाल गौड** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1989-90 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा के कुछ अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृति की गई और जारी की गई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का राज्य में दो नए अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) अभी तक कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है। क. रा. बी. निगम प्रस्तावित अस्पतालों के लिए प्लान तथा अनुमानों की मंजूरी होने के उपरांत ही अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करता है।

चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

312. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू पिराई मौसम में चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो देश में मई, 1989 तक चीनी का कितना उत्पादन हुआ है और इसमें कितनी कमी होने का अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि चीनी का उत्पादन कम हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चीनी उत्पादन में और कमी न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान मौसम के दौरान 31 मई, 1989 तक 85.32 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो कि पिछले वर्ष तदनुरूपी तारीख तक हुए उत्पादन की तुलना में 2.84 लाख मीटरी टन कम है।

(ग) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने के शीघ्र पुष्पन और उसकी परिपक्वता के कारण गन्ने के उत्पादन में गिरावट आने की वजह से चीनी के उत्पादन में गिरावट आयी है जिसके परिणामस्वरूप प्रति हैक्टेयर पैदावार में कमी हुई और इसके अलावा गन्ने को गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं को बेच देने से भी ऐसा हुआ।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे चीनी के उत्पादन को बढ़ाने तथा चीनी फैक्ट्रियों के लिए गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से गुड़ और खाण्डसारी के उत्पादन को विनियमित करने के लिए विभिन्न उपाय करें।

"नन्दन कानन चिड़ियाघर का विकास"

[अनुवाद]

313. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दन कानन चिड़ियाघर में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं जिससे इसका तुरन्त विकास किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या योजनायें तैयार की गई; और

(ग) इन योजनाओं को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने नन्दन कानन चिड़ियाघर में पशुओं के बाड़ों के सुधार, सड़कों के विकास, पार्किंग सुविधाओं के विस्तार तथा हाल ही में अधिग्रहण किए गए क्षेत्र के लिए अहाता दीवार के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव मई, 1989 में भेजे हैं। केन्द्र सरकार ने "चुने हुए चिड़ियाघरों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 1989-90 में पशु बाड़ों के सुधार के लिए केन्द्र के अंश के रूप में 3.0 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के मामले

314. श्री पी. एम. सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को खाद्य अपमिश्रण के कितने मामलों की जानकारी मिली है,

(ख) इसी अवधि के दौरान खाद्य अपमिश्रण के लिए उत्तरदायी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं और ये कहां तक प्रभावी सिद्ध हुए है;

(घ) क्या दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण की व्यापकता का पता लगाने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) 1.7.87 से 30.6.1989 तक की अवधि के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के 562 नमूनों को मिलावटी/बिना ब्रांड के पाया है और 382 मामलों में न्यायालय में मुकद्में दायर कर दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली में व्यापारियों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक सर्वेक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम और अन्य प्रचार उपाय शुरू किए गए हैं, ताकि उन्हें खाद्य अपमिश्रण की समस्या के बारे में जागरुक किया जा सके और मिलावट के संदिग्ध मामलों को खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के ध्यान में लाया जा सके।

खाद्य वस्तुओं में मिलावट के स्रोत का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांचे और निरीक्षण किए जाते है।

इन उपायों से उपभोक्ताओं में अत्यधिक जागरुकता पैदा हुई है और दिल्ली में मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री में स्पष्ट रूप से कमी हुई है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में वर्ष 1988-89 के दौरान 71 स्थानों के सर्वेक्षण किए गए हैं। यह देखा गया है कि मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री में कमी आई है।

वनस्पति के मूल्य में कमी लाना

315. **श्री पी. एम. सईद :**

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वनस्पति तथा अन्य परिष्कृत तेलों के मूल्यों में कमी करवाने में सफलता मिली है;

(ख) इस प्रणाली को विश्वसनीय, स्थायी एवं प्रभावी बनाने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के आयात में कमी हुई है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा इससे विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) वनस्पति उद्योग को 15000 रु. प्रति मी. टन की रियायती दर पर आयातित तेल की आपूर्ति को बंद करने के साथ

ही 1.12.1988 से स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण वापिस ले लिया गया है। खाद्य तेलों के लोकप्रिय ब्रांडों के विनिर्माताओं तथा पैकरों ने मार्च, 1989 के दौरान परिष्कृत तेल के कुछ ब्राडों के मूल्यों में स्वैच्छिक रूप से कमी करना स्वीकार कर लिया था।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) खाद्य तेलों/वनस्पति के सम्बन्ध में मूल्यों की परिवीक्षा करना;

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बाजार दखल कार्य;

(3) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे खाद्य तेलों, परिष्कृत तेलों तथा वनस्पति की उपलभ्यता और मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखें;

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति प्रबंध करना;

(5) जमाखोरी—विरोधी उपाय करना।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के आयात में कमी की गई है। आयात किए गए तेल की कुल मात्रा तथा उसका तदनुरूपी मूल्य नीचे दिया गया है :—

अवधि	मात्रा	मूल्य
1987-88 (नवम्बर से अक्तूबर)	8.19	1060.98
1988-89 (नवम्बर से जून)	2.58	183.80

समाचारपत्र कर्मचारियों द्वारा रैली

316. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री शांता राम नायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों से जून, 1989 के तीसरे सप्ताह में श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के सामने एक रैली आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी उनसे भेंट की थी;

(ग) बैठक में उनकी किन मुख्य मांगों पर चर्चा हुई थी; और

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में अवैध निर्माण कार्य

317. श्री पी.एम सईद :

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान दिल्ली में अवैध निर्माण कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कालोनियों में अवैध निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार को विशेष रूप से वाणिज्यिक संगठनों द्वारा अवैध निर्माण कार्य के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत/गैर-कानूनी निर्माण के 9304 मामले दर्ज किए हैं ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के समस्त दिल्ली में अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनधिकृत/गैर कानूनी निर्माण का पता लगाया ।

(घ) सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण के मामलों से निपटने के लिए कानून के अन्तर्गत सभी तीनों ही स्थानीय निकाय सक्षम हैं । अनधिकृत निर्माण तथा अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाही के अतिरिक्त, वे अपराधकर्ता के विरुद्ध स्थानीय पुलिस के पास अपराधिक मामला दायर करने के लिए भी स्वतंत्र हैं ।

सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन

318. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन शहरी ग्रुप हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भूमि आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है और जिनके आवेदन पत्र 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े हैं;

(ख) उक्त समितियों में से कितनी समितियां दिल्ली प्रशासन की पेशकश के प्रत्युत्तर में वर्ष 1983 में पंजीकृत की गई थीं;

(ग) वर्ष 1983 में पंजीकृत समितियों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1983 से पूर्व और वर्ष 1983 के बाद पंजीकृत की गई कितनी समितियों को अब तक भूमि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त समितियों के आवंटन हेतु भूमि अर्जित की है; और

(च) भूमि का आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1983 के दौरान 1411 समितियां पंजीकृत थीं। बाद के वर्षों में 8 समितियां पंजीकृत की गई हैं, 1297 समितियों के मामलों को पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा भूमि आवंटनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया है। शेष 122 समितियां भी भूमि आवंटन के पात्र हैं लेकिन इनके मामले अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में संयोजक, सहकारी समिति के पास लंबित पड़े हुए हैं।

(ग) 1,57,678।

(घ) 1983 से पूर्व : 518

1983 के बाद : शून्य

(ङ) सहकारी ग्रुप आवास समितियों के आवंटनार्थ कोई विशिष्ट भूमि अधिग्रहीत नहीं की जाती है। सारी भूमि दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए अधिग्रहीत की जाती है।

(च) इन समितियों की आवश्यकताओं को पच्चन कलां परियोजना में भूमि के नियतन में यथासम्भव ध्यान में रखा जायेगा जिसका कार्यान्वयन निकट भविष्य में किया जाना है।

तम्बाकू कम्पनियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रयोजन किए जाने पर प्रतिबन्ध

319. **डा. वी. विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं, शराब पीने और एड्स से होने वाली मौतों की तुलना में धूम्रपान से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ख) देश में प्रत्येक वर्ष धूम्रपान से उत्पन्न रोगों से अनुमानतः कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ग) क्या धूम्रपान के खतरनाक प्रभाव को देखते हुए सरकार का विचार तम्बाकू कम्पनियों द्वारा खेलकूद संगीत, तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रयोजन किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) अनुमान लगाया गया है कि भारत में तम्बाकू से जुड़े रोगों के कारण प्रतिवर्ष 6 से 10 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है :

(ग) और (घ) तम्बाकू उत्पादकों के उपयोग को कम करने के लिए किए गए उपायों में शामिल है—

(i) तम्बाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों जैसे हृदय सम्बन्धी रोग, उच्च रक्तचाप, मुंह और गले का कैंसर आदि को बताकर तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग के विरोध में जन-शिक्षा प्रदान करना।

(ii) सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध।

(iii) सिगरेट के पैकेटों पर कानूनी चेतावनी छापना।

कारखानों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

320. श्री अजय विश्वास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों के बन्द होने के कारण 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार राज्य वार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) क्या सरकार का कारखानों को बन्द करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार हुए श्रमिकों को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता देने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर जनवरी से मई, 1989 की अवधि के दौरान राज्य वार कामबंदियों द्वारा प्रभावित कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) औद्योगिक कामबंदियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संगत उपबंधो के अनुसार कारंवाई की जाती है। इस अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के अन्तर्गत अवैध कामबंदियों के लिए विद्मान दंडों को अधिक बढ़ाए जाने की मांग की गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि बंद पड़े एककों को पुन: चालू करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए समुचित पुनर्वास पैकेजिज्स के माध्यम से उन्हें राहत और रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। केन्द्रीय सरकार एक वस्त्र पुनर्वास निधि भी चला रही है जिसमें कि बंद कपड़ा मिलों के कर्मकारों को 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: कम करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

जनवरी से मई, 1989 की अवधि के दौरान कामबन्दियों द्वारा प्रभावित कर्मकारों की राज्य-वार संख्या

(अनन्तिम)

राज्य	प्रभावित कर्मकार
1	2
हरियाणा	25

1	2
केरल	19
महाराष्ट्र	856
पंजाब	31
तमिलनाडु	65
त्रिपुरा	48
गोआ	51
कुल	1,095

"वन क्षेत्रों को अत्यधिक चराये जाने से बचाना"

321. **श्री अजय विश्वास :**
श्री अनिल बसु :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों को अत्यधिक चराये जाने से बचाने हेतु किए गए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वन, कृषि, पशु चिकित्सा और राजस्व विभाग परस्पर सहयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुमति उरांव) : (क) वन क्षेत्रों को अत्यधिक मात्रा में जानवरों के चरने से बचाने के लिए राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय निर्धारित किए गए हैं। अल्पावधि उपायों में चराई शुल्क लगाना शामिल है ताकि वन क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक रूप से अत्यधिक पशु रखने से हतोत्साहित किया जा सके। दीर्घावधि उपायों में जन समुदाय को सहयोजित करके चराई के क्षेत्रों का नियमन करना शामिल है। इससे विशेष संरक्षण क्षेत्रों, पुनर्जनन क्षेत्रों और छोटे पौधों को पूरी सुरक्षा मिलती है।

(ख) और (ग) वनों को अत्यधिक चराई से बचाने के लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में विभिन्न मंचों से कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखकर पशुओं को खूंटे पर बांधकर खिलाने की सिफारिश की गई है। फिर भी, इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं। प्रत्येक राज्य ने राज्य स्तर पर समन्वय की अपनी ही प्रणाली अपनाई है।

अक्षम कपड़ा मिलों को आंशिक रूप से बंद किया जाना

322. श्री विजय कुमार यादव :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अक्षम कपड़ा मिलों को आंशिक रूप से बन्द करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अक्षम कपड़ा मिलों के बारे में कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) मिल को बन्द करने (आंशिक तौर पर बन्द करने सहित) की अनुमति देने सम्बन्धी विषय राज्य सरकार का है।

पटना स्थित इन्दिरा गांधी हृदय रोग विज्ञान संस्थान को सहायता

323. श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना (बिहार) में इन्दिरा गांधी हृदय रोग विज्ञान संस्थान में "ओपन हार्ट सर्जरी" की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या बिहार और इसके आस-पास के राज्यों के लोगों को बेहतर सेवा करने हेतु इस संस्थान में अनेक अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संस्थान को कितनी वित्तीय एवं अन्य सहायता दिए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) इन्दिरा गांधी हृदयरोग संस्थान, पटना (बिहार) को भारत सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। प्रश्न में उठाए मुद्दों संबंधी सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है।

(घ) भारत सरकार की इस संस्थान को सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है।

शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए नई योजना

324. श्री कान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए एक नई योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह योजना कब प्रारम्भ करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) शहरी निर्धनता के उन्मूलन के लिए उपयुक्त योजनाओं का कार्यक्षेत्र और रूपात्मकताओं का परिकलन विभिन्न सम्बन्धित विभागों और अभिकरणों के परामर्श से किया जाएगा। अतः योजना की मुख्य-मुख्य बातें और समय-सारिणी इस अवस्था में नहीं दी जा सकती।

महाराष्ट्र में घटिया चावल की सप्लाई

325. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र को और विशेष रूप से बम्बई को, सार्वजनिक वितरण हेतु सप्लाई किए जाने वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा 35 प्रतिशत होती है जबकि इसकी मात्रा 30 नवम्बर, 1988 तक 19.5 प्रतिशत होती थी;

(ख) यदि हां, तो टूटे चावल की मात्रा में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गए है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1988 के दौरान पंजाब/हरियाणा में कटाई के समय अभूतपूर्व वर्षा होने/बाढ़ आने के कारण किसानों को पेश आयी कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिकतम वसूली करने के उद्देश्य से टोटा चावल के लिए अस्वीकृति सीमा उत्तम चावल (कच्चे) के मामले में 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत और बढ़िया तथा साधारण चावल (कच्चे) के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी थी। इस प्रकार वसूल किया गया चावल महाराष्ट्र सहित उपभोक्ता राज्यों को सप्लाई किया गया था।

(ग) शिथिलित विनिर्दिष्टयों के अधीन वसूल किया गया चावल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है और वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित किए गए मानकों के अन्दर है।

"प्राणि-उद्यान"

326. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये प्राणि-उद्यान खोलने की अनुमति न दिये जाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान प्राणि-उद्यानों में सुधार करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान चिड़ियाघरों के सुधार के लिए "चुने गए चिड़ियाघरों के विकास के लिए सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 60. 2 लाख रुपए खर्च किए जाने की सम्भावना है।

खाद्यान्नों का खरीद लक्ष्य

327. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ मौसम के लिए विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत रबी मौसम के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्य को पूरा कर लिया गया था; और

(घ) विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास कितना खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि चावल की वसुली मिलमालिकों और व्यापारियों पर सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है तथा गेहूं और धान की वसूली सामान्यता केन्द्रीय पूल के लिए सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा स्वैच्छा से की गई पेशकश के प्रति की जाती है। तथापि, वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.6.1989 से गेहूं पर व्यापारी लेवी भी लगायी है।

पिछले तथा वर्तमान विपणन मौसमों के दौरान चावल और गेहूं की वसूली निम्नानुसार की गई :—

चावल (चावल के हिसाब से धान सहित)		गेहूं	
विपणन मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	वसूली (लाख मीटरी टन में)	विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च)	वसूली (लाख मीटरी टन में)
1987-88	68.94	1988-89	65.35
1988-89 (13.7.89 की स्थिति के अनुसार)	76.29	1989-90 (13.7.89 की स्थिति के अनुसार)	88.03

(घ) 1.6-1986 को स्थिति के अनुसार विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास कुल 136.60 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक उपलब्ध होने का अनुमान था। इसमें से, केन्द्रीय सरकार के खाते में स्टाक 127.46 मीटरी टन था।

"बार्न टु बान्डेज" शीर्षक से समाचार

328. श्री बी. तुलसीराम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में 'बॉर्न टु बॉन्डेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता राशि का भुगतान न लिये जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार ने ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का बन्धुवा मजदूरों का पता लगाने तथा उन्हें मुक्त कराने हेतु अपना एक स्वतन्त्र संगठन गठित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रति बन्धुआ श्रमिक के लिए 6250.00 रु. की राशि की वित्तीय सहायता का अधिकांश हिस्सा नकद न देकर पुनर्वास योजना के एक भाग के रूप में वस्तु के रूप में दिया जाता है जो कि जमीन-आधारित, शिल्प-आधारित या पशु-पालन आधारित हो सकता है। बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित सभी रिपोर्टें/शिकायतें समुचित कारंवाई हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। बन्धुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराना जिला प्राधिकारियों का सांविधिक कार्य है।

बिहार की कोयला खानों में मजदूरों की मृत्यु

329. श्री बी. तुलसीराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार राज्य में कोयला खानों के ढह जाने के कारण अनेक मजदूर मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खानों में कार्यरत मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) मृत मजदूरों के आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है; और

(ड.) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ड.) बिहार राज्य में भारत कोकिंग कोल लि. की कोयला खानों में छत व साइडों के गिरने के कारण हाल ही में तीन घातक दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

खान का नाम	दुर्घटना की तारीख	कारण	मारे गए व्यक्तियों की सं.	घायल हुए व्यक्तियों की सं.
बरारी	29.6.89	साइड का गिरना	1	—
सिरका	30.6.89	छत का गिरना	1	—
दक्षिण गोविन्दपुर	30.6.89	—यथोक्त—	5	2

खान अधिनियम, 1952 की धारा 23 (2) के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा इन दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है। तथापि, दक्षिण गोविन्दपुर खान में हुई दुर्घटना के बारे में में प्रबन्धतन्त्र ने पहले ही प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक की सेवाएं समाप्त कर दी हैं तथा एजेन्ट, सुरक्षा अधिकारी, ओवरमैन और खनन सरदार को निलम्बित कर दिया है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 22(3) के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें खान के उन कतिपय क्षेत्रों में नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है जहां व्यक्तियों के जीवन तथा उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे की आशंका है।

राज्य सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजा दिया जाता है। तथापि, यह पता चला है कि प्रबन्धतन्त्र ने दक्षिण गोविन्दपुर कोलियरी में हुई दुर्घटना में मारे गए कर्मकार के वारिस को तथा बरारी कोलियरी में हुई दुर्घटना में मारे गए कर्मकार की पत्नी को अनुग्रह पूर्वक भुगतान दिया है।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

330. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री हरिहर सोरन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने तथा रूग्ण चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा इन्हें पुनः चालू करने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो देश विभिन्न भागों में ऐसी कितनी चीनी मिलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा में भी ऐसी किसी मिल का पता लगा है; और

(घ) देश में ऐसी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा इन्हें पुन: चालू करने के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में 2 चीनी फैक्ट्रियों सहित ऐसी 50 चीनी फैक्ट्रियां हैं, जोकि या तो उप-इष्टतम क्षमता (1250 टी. सी. डी. से कम) की हैं अथवा जिनका प्लांट और मशीनरी 25 वर्षों से भी अधिक पुरानी है।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें देश में चीनी यूनिटों का आधुनिकीकरण और पुनर्वास करने के लिए चीनी विकास निधि से अब तक मुहैया की गई धनराशि की राज्यवार स्थिति दी गई है।

विवरण

देश में चीनी यूनिटों का आधुनिकीकरण और पुनर्वास करने के लिए मुहैया की गई निधियों की राज्यवार स्थिति

क्रम सं.	राज्यों के नाम	वितरित की गई राशि
		(लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	40.00
2.	बिहार	216.02
3.	कर्नाटक	42.00
4.	महाराष्ट्र	1185.00
5.	पंजाब	429.00
6.	तमिलनाडु	274.00
7.	उत्तर प्रदेश	3470.92
	जोड़	5656.94

"दून घाटी की परिस्थितिकी का संरक्षण"

331. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून के आस-पास बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने और चूना पत्थर की खदानों के कारण इस घाटी की पारिस्थितिकी को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस घाटी की पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना, खनन कार्यों और ऐसी ही अन्य गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं, जिनका घाटी की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(2) अवक्रमित भूमि के विकास, वनरोपण, मृदा और जल संरक्षण के लिए स्कीमें आरम्भ की गई हैं; और

(3) देहरादून-मसूरी क्षेत्र में चूना पत्थर खदानों को अपने खनन कार्य बन्द करने के निदेश दे दिए गए हैं। जिन तीन खदानों को उनके पट्टे की अवधि समाप्त होने तक कार्य करने की अनुमति दी गई है, उनके मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है कि खनन कार्य आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ ही किये जा रहे हैं ।

मन्त्रियों को उपलब्ध सुविधाओं पर व्यय

332. **डा. ए. के पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा जल एवं विद्युत के उपयोग पर कोई सीमा नहीं है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक सेवा के लिए सदस्य वार कितनी-कितनी धनराशि अदा की गई; और

(ग) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक सदस्य के लिए प्रत्येक सेवा पर औसतन कितना मासिक व्यय हुआ ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पप्पन कलां में भूमि का विकास

[हिन्दी]

333. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पप्पन कलां योजना, दिल्ली के बारे में अर्जित और विकसित की गई भूमि के संबंध में शहरी विकास कमीशन अर्बन आर्ट कमीशन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि के उपयोग करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि का एक हिस्सा सहकारी आवास समितियों को आवंटित किया जायेगा और शेष भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय मकानों का निर्माण करेगा;

(घ) यदि हां, तो यहां कुल कितनी सहकारी आवासीय समितियों को भूमि आवंटित की जायेगी; और

(ङ.) अन्य सहकारी आवास समितियों को कब तक और कहां पर भूमि आवंटित की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ.) पप्पन कलां परियोजना जिसे निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाना है, में जहां तक सम्भव होगा भूमि के नियतन में सहकारी सामूहिक आवास समितियों की अपेक्षताओं पर विचार किया जाएगा।

सहकारी समूह आवास समितियों का पंजीकरण

334. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1984 के बाद से सहकारी समूह आवास समितियों का पंजीकरण बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में सन् 1984 के बाद की कुछ समितियों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों के तथ्यों का ऐसी समितियों के नामों तथा स्थानों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समितियों का पंजीकरण किए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का ऐसी अन्य समितियों का पंजीकरण करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां :

(ग) संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित 8 समितियों को विशेष मामले के रूप में दिल्ली के उप-राज्यपाल के अनुमोदन से पंजीकृत किया गया है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यथा उल्लिखित, दिल्ली के उप-राज्यपाल के विशेष अनुमोदन से 8 समितियों को पंजीकृत किया गया है। दिल्ली उप-राज्यपाल ने एक और समिति नामतः मेनवाली डिस्ट्रिक कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पंजीकरण का अनुमोदन किया है। परन्तु इस समिति ने अभी तक पूर्ण पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अलावा कुछ सहकारी सामूहिक आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास सरकार योजना

के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसके अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृतों को स्वयं में सहकारी सामूहिक आवास समितियां बनाने के लिये कहा गया है ।

दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि उपयुक्त विनिर्दिष्ट 8 समितियों में से दो समितियां विधवाओं की हैं, एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की है, चार नेहरू कला कुंज के कलाकारों की ओर एक उन अधिकारियों की है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उस क्षेत्र में अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं ।

विवरण

1. स्वयंभू सिद्ध सी. जी. एच. एस. लि.,
   6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली ।

2. स्वयम् सेवा सी. जी. एच. एस. लि.,
   डी-1/1^0, लाजपत नगर, नई दिल्ली ।

3. महर्षि बालमीकि सी. जी. एच. एस. लि.,
   बी-14, हरिजन कालोनी, समयपुर,
   बादली, दिल्ली ।

4. दस्तकार नेहरू कला कुंज, सी. जी. एच. एस. लि.,
   5, दीन दयाल उपाध्यक्ष मार्ग,
   नई दिल्ली ।

5. बुनकर नेहरू कला कुंज सी. जी. एच. एस. लि.,
   5, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
   नई दिल्ली ।

6. लोक कलाकार नेहरू कला कुंज,
   सामूहिक आवास सी. जी. एच. एस. लि.,
   5, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
   नई दिल्ली ।

7. संगीतकार नेहरू कला कुंज,
   सामूहिक गृह आवास सी. जी. एच. एस. लि.,
   5, दीन दयाल उपाध्यक्ष मार्ग,
   नई दिल्ली ।

8. नॉर्थ ईस्ट ऑफीसर्स सी. जी. एच. एस. लि.,
   9, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली ।

चीनी का आयात

335. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान चीनी आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी का आयात करने का विचार है; इसे किन-किन देशों से आयात किया जायेगा और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1989-90 चीनी मौसम के दौरान आयातित चीनी की आवश्यकता का मूल्यांकन 1988-89 और 1989-90 के चीनी वर्षों के दौरान चीनी के कुल उत्पादन तथा चीनी की प्रत्याशित खपत पर निर्भर करेगा। अतः फिलहाल आयात सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का स्पष्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है।

"टी. एन. ट्रेवल एजेन्ट्स इन मैनपावर रैकेट" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

336. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टी. एन. ट्रेवल एजेण्ट्स इन मैनपावर रैकेट" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने धोखाधड़ी करने वाले उक्त ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाया है और गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) मामलों को समुचित कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है।

भवन-निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि

337. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में प्रारम्भ से भवन-निर्माण सामग्री की लागत में काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1989 से प्रत्येक सामग्री की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जनवरी, 1989, से जून 1989 तक आवश्यक भवन-निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस्पात सीमेंट, लकड़ी इत्यादि जैसी दुर्लभ परम्परागत भवन सामग्रियों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से अभिनव और कम लागत वाली भवन सामग्रियों का विकास करने में काफी अनुसंधान किया गया है।

विवरण

जनवरी, 1989 से जून, 1989 तक भवन निर्माण सामग्री की मदों का थोक मूल्य सूचकांक
(आधार 1970-71=100)

मद	जनवरी 1989	फरवरी 1989	मार्च 1989	अप्रैल 1989 (अनन्तिम)	मई 1989	जून 1989 (अनन्तिम)
ईंटें	1035.0	1044.9	1058.0	1058.0	1058.0	1058.0
टाइल्स सिरैमिक	614.6	630.4	630.4	630.4	630.4	630.4
शीट ग्लास	549.3	549.3	551.2	551.2	551.2	551.2
सीमेंट	457.7	457.7	481.6	512.4	534.4	533.9
स्ट्रक्चरल्स	616.7	624.0	636.7	636.7	636.7	645.8
बारस और राड्स	695.0	704.3	721.5	721.5	721.5	732.5
प्लाईवुड	421.0	421.0	421.0	421.0	421.0	421.0
वुड स्क्रू	421.3	421.3	421.3	421.3	421.3	421.3
रंग-रोगन (पेंट्स)	07.1	511.0	522.7	522.7	522.7	547.0
वार्निश	545.3	547.4	552.3	552.3	552.3	552.3
इमारती लकड़ी के लट्ठे	1186.5	1321.7	1203.4	1250.1	1250.1	1250.1

वस्त्र निर्यात का लक्ष्य

338. श्री कृष्ण सिंह :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री वी. एस. बासवराजु :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1989-90 के लिए वस्त्र निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष 1988-89 तथा 1987-88 में वास्तव में किए गए निर्यात से यह कम है अथवा अधिक है; और

(ख) किस प्रकार के वस्त्रों का और अधिक निर्यात होने की सम्भावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूती वस्त्रों, सिले सिलाए परिधानों, रेशमी उत्पादों, मानव निर्मित वस्त्रों और ऊनी उत्पादों के लिए अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

विवरण		(करोड़ रु. में/ कयर और जूट को छोड़कर)
वास्तविक निर्यात 1987-88	वास्तविक निर्यात 1988-89	1989-90 के लक्ष्य
3785	4360	5090

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिए गए गोदाम

339. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने इस समय गोदामों के रूप में उपयोग करने के लिए राज्य वार कितने भवन किराये पर लिए हुए हैं; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन सदनों के लिए प्रतिमाह कितने किराये का भुगतान किया जाता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, राज्य भांडागार नियमों और प्राइवेट पार्टियों से भण्डारण क्षमता किराये पर लेता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें 31.3.1989 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिए गए भण्डारण डिपुओं की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1987-88 के दौरान किराये/भण्डारण प्रभारों के भुगतान पर लगभग 4.80 करोड़ रुपये का औसत मासिक खर्च किया गया।

विवरण

31.3.1989 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिए गए भण्डारण डिपुओं की कुल संख्या के राज्यवार अलग-अलग ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य नियम द्वारा किराये पर लिए गए भण्डारण डिपुओं (ढके हुए और कैप) की कुल संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
2.	आन्ध्र प्रदेश	56

1	2	3
3.	असम	28
4.	बिहार	54
5.	चण्डीगढ़	10
6.	दिल्ली	4
7.	गोआ	4
8.	गुजरात	22
9.	हरियाणा	41
10.	हिमाचल प्रदेश	14
11.	जम्मू तथा कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	37
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	78
15	महाराष्ट्र	8
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	17
21.	पंजाब	168
22.	पाण्डिचेरी	शून्य
23.	राजस्थान	32
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	19
26.	त्रिपुरा	6
27.	उत्तर प्रदेश	138
28.	पश्चिम बंगाल	44
		811

नई कपड़ा नीति का विद्युतकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

340. प्रो. मधु दंडवते : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति का विद्युतकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार, विद्युतकरघा उद्योग को संकट से उबारने के उद्देश्य से इस नीति पर पुनर्विचार कर रही है; जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है, और

(ग) यदि हां, तो नई कपड़ा नीति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में विद्युतकरघों की संख्या और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इस उद्योग को नई वस्त्र नीति के परिणाम स्वरूप घाटा हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते । फिर भी, सरकार ने वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर नीति के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ।

बम्बई में बन्द कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

341. प्रो. मधु दंडवते : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में बन्द पड़ी कुछ कपड़ा मिलों के अधिग्रहण के बारे में कोई नया प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिग्रहण-प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) बम्बई में कुछ बंद पड़ी वस्त्र मिलों का अधिग्रहण करने का कोई निश्चित प्रस्ताव फिलहाल इस मंत्रालय में लंबित नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी की तस्करी

[हिंदी]

342. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों को चीनी की तस्करी की जा रही है और उसके परिणामस्वरूप इसके मूल्य में प्रतिदिन निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां तो सरकार ने इसको रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) मुख्यतया, इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कुछ गिरावट आने की वजह से बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां होने के कारण हाल ही में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार

को संबंधित एजेंसियों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे नेपाल और बंगलादेश को चीनी, गुड़ और खंडसारी की तस्करी रोकें।

सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में नियुक्त करना

[अनुवाद]

343. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार की भूतपूर्व सेना अधिकारियों को इनके पुनर्वास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने की नीति के बावजूद, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में चिकित्सकों की भर्ती करने के सिवाय सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : विभिन्न सेवाओं के भूतपूर्व सेना अधिकारियों के पुनर्वास के लिए सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व सेना चिकित्सा कोरों के डाक्टरों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती करने के लिए 30 वर्ष की निर्धारित आयु सी में 3 से 10 वर्ष तक की छूट दी जाती है। भूतपूर्व सेना चिकित्सा कोरों के डाक्टरों को सीधे शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सेना चिकित्सा कोरों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चयन के मानक भिन्न-भिन्न हैं और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में, जो सांविधिक हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भूतपूर्व चिकित्सा कोरों के कार्मिकों को सीधे रूप से शामिल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

पश्चिम जर्मन के एड्स किट्स की सहायता से किए गए एड्स परीक्षण

344. **चौधरी खुर्शीद अहमद** :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री हेतराम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन की एक फर्म ने एड्स का पता लगाने के लिए रियायती दर परीक्षण किट्स बेचे थे जिन्हें पश्चिम जर्मन के औषध नियंत्रण प्राधिकरण ने यूरोपीय बाजार से वापस मंगा लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ये दोष युक्त एड्स किट भारत द्वारा किस कारण खरीदे गए और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) इन किटों के खरीदे जाने के बाद इन दोष युक्त किटों से अनुमानतः कितने परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जर्मन की एक फर्म-बेहरिंग द्वारा निर्मित एड्स का पता लगाने वाले किटों के तीन बैच खराब

पाए गए थे और यूरोप के बाजारों से उन्हें वापस ले लिया गया था।

इन बैचों के 45 किट मैसर्स हाचेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई द्वारा भारत में आयात किए गए थे। इस फर्म ने सामान्य जांच के बाद ये किट बाजार में बेच दिए और इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि इन किटों में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है।

(ग) इन किटों से किए गए परीक्षणों की संख्या के बारे में इस मंत्रालय को सूचना नहीं दी गई है।

(घ) मैसर्स हाचेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत एड्स परीक्षण किटों के आयात के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सभी पत्तन अधिकारियों को निम्नलिखित हिदायतें जारी की गई हैं :—

(I) यह जांए की जाच कि एड्स किटों के आयातकर्ता के पास निर्माता फर्म द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र हो कि ये किट मानक गुणवत्ता के हैं। और उनके द्वारा इनकी विधिवत् रूप से जांच की गई है।

(II) किटों को आयात करने वाली फर्म को, औषध नियंत्रक या आयात करने वाले देश के समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि एड्स किटों का निर्माता उस देश में एक पंजीकृत या एक अनुमोदित निर्माता है।

दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

345. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) अब तक भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में तुलनात्मक रूप से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी भवनों की निर्माण लागत में औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसका समग्र रूप से नगर में निर्माण कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) दिल्ली में वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के किराये में असाधारण वृद्धि के लिए भवन निर्माण सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि किस हद तक जिम्मेदार है; और

(घ) भवन निर्माण सामग्री के मूल्य में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं। करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन वर्ष 1950 को आधार मानकर दिल्ली में 1954 से रिहायशी भवन निर्माणों की लागत की सूचकांक को समेकित करता आ रहा है। भवन निर्माण सामग्रियां तथा मजदूरों की

मजदूरी सूचकांक अलग-अलग रूप में कम्प्यूटर से की जाती हैं। भवन निर्माता सामग्रियों, मजदूरी और लागत के सूचकांक गत तीन वर्षों के नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए है :—

वर्ष	निर्माण सामग्रियों के लिए सूचकांक (वजन 73.00)	निर्माण के लिए मजदूरी का सूचकांक (वजन 27.00)	निर्माण लागत सूचकांक संख्या (वजन 100.00)
1986	1164.09	1023.11	1126.03
1987	1193.04	1279.71	1216.44
1988	1327.66	1376.69	1340.90
मार्च			
1989	1440.23	1376.69	1423.07

सूचकांक के कम्प्यूटरीकरण में सम्मिलित सामग्री ईंटें, बालू, पूर्ण यांग (रोड़ी), सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा इस्पात सामग्रियां हैं। सूचकांक के कम्प्यूटरी करवाये राज (मिस्त्री) तरखान (बढ़ई) तथा अकुशल मजदूरों की मजदूर मद शामिल हैं।

(ग) जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है, गत 2 वर्षों के दौरान भवन निर्माण साम-ग्रिलों के भाव बढ़ गए हैं, जिन्होंने अन्य घटकों के सहित आवासीय तथा वाणिज्यिक परिसरों के किरायों का वृद्धि में योगदान किया है।

(घ) भवन निर्माण सामग्रियों की मांग में वृद्धि और कुल लागत के सूचकांक में वृद्धि के कारण कुछेक निर्माण भवन सामग्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। दरें आदि जैसी परम्परागत भवन निर्माण सामग्रियों की समस्या से निपटने के लिए, अनेकों वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों का विकास किया गया है तथा कुछ क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ होले ककरीट ब्लाक, लाइट वेट सेलूलर ब्लाक, स्टेबलाइजड साइल ब्लाक पत्थर ब्लाक हैं। परम्परागत भवन निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में दरारें

346. चौधरी खुर्शीद अहमद :

श्री हेतराम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के जिन फ्लैटों को वर्ष 1938 में असुरक्षित घोषित किया गया था, उन्हें ठहराते समय वहां पर स्थित अन्य दूसरे फ्लैटों में भी नई गहरी दरारें आ जाने से वे फ्लैट भी असुरक्षित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली अथवा दिल्ली के किसी अन्य क्षेत्र में डी. डी. ए. के कितने फ्लैटों में गहरी दरारें आ गई हैं;

(ग) पहले असुरक्षित घोषित किये गये डी. डी. ए. के कितने फ्लैटों को ढा दिया गया है अथवा ढाया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे फ्लैटों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के लिए संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध और ऐसे दोषपूर्ण फ्लैटों को "कम्पलीशन सर्टिफिकेट" देने के जिम्मेदार डी. डी. ए. अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कालकाजी एक्सटेंशन में असुरक्षित घोषित 42 फ्लैटों में से, 16 फलैटों को गिरा दिया गया है।

(घ) फ्लैटों में दरारें पड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। ठेकेदारों और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण उसकी रिपोर्ट की जांच कर रही है।

"रणथम्भोर नेशनल पार्क राजस्थान द्वारा पारिस्थितिकी-विकास परियोजना

347. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 79 करोड़ 20.9 लाख रुपए की लागत वाली रणथम्बोर नेशनल पार्क, की पारिस्थितिकी-विकास परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इसे अब मंजूरी दे दी गई है और यदि हां, तो कब, और;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने 5.9.1988 को "रणथम्भौर बाघ रिजर्व के लिए समेकित पारि-विकास परियोजना" नामक एक परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना पर 8 वर्षों में 643.19 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी।

(ग) और (घ) परियोजना सिद्धान्ततः 9.6.1989 को मंजूर कर दी गई है चालू वित्त वर्ष के दौरान रणथम्भौर बाघ रिजर्व के लिए राज्य सरकार को 65.01 लाख रुपये की राशि दे दी गई है जिसमें पारिविकास परियोजना के लिए 50.00 लाख रुपए शामिल है।

रिहायशी क्षेत्रों को बदलना

348. **श्री विष्णु मोदी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों जिनकी भुगतान के भिन्न-भिन्न तरीके थे, के कुछ आबंटियों, को दिल्ली में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवास बदलने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को ऐसे परिवर्तन की अनुमति दी गयी; और

(ग) क्या रिहायशी क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तनों की अनुमति देने के लिए कोई दिशा-निर्देश हैं; और यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रकार के परिवर्तनों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ग) कालोनियों की बदली आमतौर पर अनुमेय नहीं है। तथापि, अत्यधिक अनुकम्पा मामलों में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से बदली दी गई है।

महालक्ष्मी मिल्स अजमेर

349. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जिला अजमेर (राजस्थान) में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावार के श्रमिकों में बढ़ते हुए असन्तोष की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल्स के कार्य की कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा पता लगा है कि महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर और एडवर्ड मिल्स, ब्यावर के कामगारों में असन्तोष 57.50 रु. प्रति माह प्रति कामगार की दर से अन्तरिम सहायता की भुगतान सम्बन्धी उनकी मांग की वजह से है। यह भुगतान इन मिलों के प्रबन्ध-मण्डल द्वारा उनके कामगारों के संशोधित कार्यभार के मानदण्डों से संयोजित करके ही किया जा सकता है जैसा कि राजस्थान की अन्य एन. टी. सी. मिलों में किया गया है। मामला अदालत के विचाराधीन है।

महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी की प्रतिमाएं

350. **श्री चिन्तामणि जेना** :
श्री मोहनभाई पटेल :
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया गेट पर राष्ट्रपिता "महात्मा गांधी" की प्रतिमा स्थापित किए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमा कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा की स्थापना के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा जिसे इस वर्ष के अन्त से पहले इण्डिया गेट पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है, को कांस्य में ढलने का कार्य दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

"भारत-भूटान सीमा पर वनों और वन्य जीवों का संरक्षण"

351. श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री एस. बी. सिदनाल :
श्री एस. एम. गुरड्डी :
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और भूटान ने सीमाओं पर वनों के संरक्षण के लिए वन और वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने वनों के संरक्षण के लिए क्या नीति तैयार की है; और

(ग) इन उपायों से वन संरक्षण में किस हद तक सहायता मिली है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) सीमाओं पर वनों की सुरक्षा के लिए भारत और भूटान के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति की पहली बैठक 8 मई, 1989 को नई दिल्ली में हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिनको भारत और भूटान की सीमाओं के आर-पार के वनों के संरक्षण के लिए एक नीति के रूप में अपनाया जाएगा :—

(1) हाथियों तथा अन्य वन्यजीवों के भ्रमण के लिए कोरिडोर बनाने के लिए वनों के मौजूदा अलग-अलग खण्डों को जोड़ा जाए।

(2) साझा प्रबन्ध प्रयासों पर जोर देते हुए सीमा के आर-पार के सुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए मौजूदा वास स्थलों में पाकेटों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और खोज की जानी चाहिए।

(3) चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए एक सांझा-बेतार बारम्बारता युक्त विशेष-संयुक्त सुरक्षा दल गठित किया जाना चाहिए।

(4) आम संरक्षण समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सीमा के आर-पार दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच परस्पर विचार-विमर्श अधिक तेजी से होना चाहिए।

गेहूं की कमी

352. श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री जी. एस. बासवराजू :
श्री कांतिलाल पटेल :
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं उत्पादक राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब में भारी फसल के बावजूद गेहूं की कुल खरीद आशा के अनुकूल नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गेहूँ की कमी की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाऊसिंग डिवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गृह निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जाना

353. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री जी. एस. बासवराजू :

श्री शांतिलाल पटेल :

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाऊसिंग डिवेलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड देश में गृह निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं प्रारम्भ कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें हैं; और

(ग) ये योजनाएं किन-किन राज्यों में प्रारम्भ की जायेंगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास विकास वित्त निगम ने 1 जुलाई, 1989 से गृह सुधार ऋण (एच. आई. एल.) तथा गृह विस्तार ऋण (एच. ई. एल.) नामक दो योजनायें आरम्भ की हैं।

(ख) इन योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

(1) गृह सुधार ऋण—विद्यमान आवास भण्डार की कोटि के रखरखाव/सुधार के लिए छत की मरम्मत, टाइलिंग, रंग-रोगन, नलसाजी (प्लम्बिंग), विद्युत कार्यों, जल शोधक कार्य आद जैसे आन्तरिक और बाह्य मरम्मतों/नवीकरण हेतु निधियों के जरूरतमन्द व्यक्तियों की सहायता करना।

(2) गृह विस्तार ऋण—निधियों के जरूरतमन्द व्यक्तियों को उनके विद्यमान रिहायशी एकक का विस्तार करने में सहायता अर्थात् एक अतिरिक्त शौचालय या छत पर एक अतिरिक्त कमरा या कब्जाधारी को अतिरिक्त फर्शी स्थान मुहैया करने के लिए खुली बालकोनी को बन्द करना।

आवास विकास वित्त निगम के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियो की पुनर्भुगतान क्षमता को देखते हुए दोनों मामलों में ऋण राशि निर्धारित की जाएगी। गृह सुधार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम राशि सामान्यतः 1.00 लाख रुपये तथा गृह विस्तार ऋण योजना के मामले में 3.00 लाख रुपये प्रति एकक से अधिक नहीं होगी। इन दोनो योजनाओं में ब्याज की दर 20,000 रुपये की ऋण राशि तक 12.5 प्रतिशत, 20,001 रुपये से 50,000 रुपये तक 13.5

प्रतिशत, 50,001 से 1,00,000 रुपये तक 14 प्रतिशत और 1,00,000 रुपये से अधिक ऋण राशि पर 14.5 प्रतिशत होगी।

गृह सुधार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण की राशि किए जाने वाले मरम्मत/सुधारों/परिवर्धनों के अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत से अधिक तथा गृह विस्तार ऋण के मामले में विस्तार की अनुमानित लागत के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) दोनों योजनायें समस्त भारत में प्रचालित हैं।

"प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करना"

354. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के किनारे स्थापित अनेक औद्योगिक एककों ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया है जिसके कारण गंगा सफाई योजना के कार्यान्वयन में गंभीर रूप से बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक एककों को ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) सरकार का ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध और गंगा सफाई योजना के चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डी. डी. टी. तथा अन्य कीटनाशकों के प्रति मलेरिया के कीटाणुओं में प्रतिरोधक शक्ति का उत्पन्न होना

355. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. डी. टी. तथा अन्य कीटनाशकों के प्रति मलेरिया के कुछ किस्म के कीटाणुओं में प्रतिरोधक शक्ति विकसित हो गई है;

(ख) क्या सेंट्रल वेक्टर कंट्रोल सेन्टर, पांडिचेरी तथा किसी अन्य केन्द्र में इन प्रतिरोधक शक्ति वाले कीटाणुओं को समाप्त करने के तरीकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या अन्य सामान्य रोगाणु वाद, को जैसे, फाइलेरिया, मेनिन्जाइटिस, कालाजार, इत्यादि के लिए इसी प्रकार के अध्ययन किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। ए. कुलिसिफेमीज, ए. स्टीफेंसी तथा ए. एन्युलरीज, जैसे मलेरिया परजीवियों की कुछेक

किस्मों में डी.डी.टी. तथा सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो गई बताई गई है।

(ख) जी, हां। कीटनाशक प्रतिरोधक शक्ति विकसित होने सम्बन्धी समस्या तथा अलक्षित अवयवी (नॉन/टार्गेट ऑरगनिज्म) सम्बन्धी वैकल्पिक कीटनाशकों के सम्भावित हानिकारक प्रभावों पर काबू पाने के लिए वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सैंटर, पांडिचेरी तथा मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली ने एक जीव पर्यावरणिक नियंत्रण विधि तैयार की है। गुजरात, के खेड़ा नामक स्थान पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों से पता चला है कि कीटनाशक प्रयोग के प्रचलित तरीके स्थान पर मलेरिया के जीवपर्यावरणिक नियंत्रण की विधि व्यवहारिक और समाजिक दृष्टि से स्वीकार्य है।

(ग) जी, हां। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेण्टर, पांडिचेरी तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने फाइलेरिया और कालाजार के सम्बन्ध में अध्ययन किए हैं।

स्तन दूध में डायोक्सिन का बनाना

356. श्री पी. आर. कुमारमंगलम्: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की जानकारी है कि खाद्य-पदार्थों एवं पर्यावरण में रासायनिक मिलावट के कारण स्तन के दूध में घातक डायोक्सिन का निर्माण हो रहा है, जैसा कि दिनांक 16 मई 1989 के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या भारत में इसी प्रकार का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य-वार कितने नमूने लिये गये;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बच्चों को रासायनिक विषों से बचाने के लिए स्थिति के मूल्यांकन हेतु कोई प्रक्रिया आरम्भ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्तन के दूध में डायोक्सिनी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययनों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

भारत में डायोक्सिनों के इस्तेमाल को कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए देश में खाद्य सामग्री में इसकी मौजूदगी के प्रश्न की सामान्यतः सम्भावना नहीं होती।

राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी गई है कि वे खाद्यों में नाशकजीवनाशी और कीटनाशी दवाओं के अवशिष्टों पर कड़ाई से नजर रखें।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड में घाटा

357. श्री सतीश चन्द्र सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और इसके सहयोगी निगमों को गत छः महीने के दौरान पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि की अपेक्षा घाटे में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) वर्ष 1986 से 1989 तक हर वर्ष पहले छ: महीनों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुए निवल घाटे के वर्षवार अनन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

अवधि	निवल घाटा
	(करोड़ रुपये में)
जनवरी-जून 1986	106.23
फरवरी-जून 1987	140.39
जनवरी-जून 1988	143.17
जनवरी-जून 1989	118.31

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जनवरी-जून, 1989 की अवधि के दौरान निवल घाटा 1987 तथा 1988 में उसी अवधि की तुलना में कम हुआ है। परन्तु 1986 की इसी अवधि की तुलना में घाटा कुछ बढ़ा है।

"दलदली भूमि का संरक्षण"

358. श्री प्रतापराव बी. भोंसले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संरक्षण प्रयोजनों के लिए कुछ दलदली भूमि को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और अब तक कितने दलदली भूखंडों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे दलदली भूखंडों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और अब तक इसके संरक्षण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) देश में दलदली भूमि के संरक्षण के लिए एक योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत कार्य योजना तैयार करने के लिए 16 दलदली भूमियों को चुना गया है। 9 दलदली भूमियों के सम्बन्ध में कार्य योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत सरकार कार्य योजना और अनुसंधान की स्कीम के तहत शत-प्रतिशत सहायता देती है।

महाराष्ट्र में उजनी, चुनी गई 16 दलदली भूमियों में से एक है। अब तक कोई राशि मंजूर नहीं की गई है क्योंकि इस बारे में कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्रम सं.	चयन की गई दलदली भूमि	राज्य	क्या कार्य योजना मंजूर कर दी गई	बंटित राशि (लाख रुपयों में)
1.	कोलेरू	आंध्र प्रदेश	हां	7.50
2.	वूलर	जम्मू और कश्मीर	हां	7.70
3.	चिल्का	उड़ीसा	हां	7.45
4.	लोकटक	मणिपुर	हां	17.90
5.	भोज	मध्य प्रदेश	हां	4.75
6.	सांभर	राजस्थान	नहीं	शून्य
7.	पिचोला	राजस्थान	हां	7.00
8.	अष्टमुडी	केरल	नहीं	शून्य
9.	सस्थाम कोटा	केरल	नहीं	शून्य
10.	हरिके	पंजाब	हां	11.90
11.	कंजलि	पंजाब	हां	7.42
12.	सुखना	चंडीगढ़	हां	6.60
13.	उजनी	महाराष्ट्र	नहीं	शून्य
14.	रेनुका	हिमाचल प्रदेश	नहीं	शून्य
15.	काबर	बिहार	नहीं	शून्य
16.	नालसरोवर	गुजरात	नहीं	शून्य

सुपर-बाजार की मूल्य सूची

359. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से बेची जाने वाली विभिन्न मदों की तुलनात्मक दरें स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि वह मदें एक दिन पहले के समाचार पत्र तक में छपी दरों पर भी नहीं मिलती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) जी हां। सुपर बाजार, दिल्ली प्रत्येक शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न अखबारों में अपनी मूल्य सूचियां

भेजता है। इस प्रकार भेजी गई दरें सुपर बाजार, दिल्ली में खुले रूप में बिक्री (जहां लागू हों) के लिए लागू होती हैं। सुपर बाजार, दिल्ली दालों, चीनी, चावल आदि की बिक्री खुले रूप में तथा पोलिथीन के थैलों में पैक करके, दोनों ही प्रकार से करता है। पोलिथीन के थैलों में पैक की गई दालों, चीनी, चावल, आदि जैसी वस्तुओं के लिए ली जाने वाली दरें, उनकी पैकिंग की लागत को पूरा करने के लिए, 20 पैसे अधिक होती हैं।

कभी-कभी सुपर बाजार, दिल्ली को अखबारों में छपी दरों तथा सुपर बाजार दिल्ली द्वारा ली जाने वाली दरों में अन्तर होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। यह अन्तर खुले रूप में की जाने वाली बिक्री की दरों (जैसी कि अखबारों में छपी होती हैं) तथा पहले से पैकशुदा रुप में बेची जाने वाली वस्तुओं की दरों की तुलना के कारण होता है।

छोटे शहरों के लिए मास्टर प्लान

[हिन्दी]

360. श्री मदन पांडे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे शहरों के लिए भी मास्टर प्लान में तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में कितने शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उक्त योजना को कब तक तैयार किए जाने की सम्भावना है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोल्ड आदि को शामिल करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ड.) शहरों तथा कस्बों की बृहत योजनायें तैयार करने के प्राधिकारी और उत्तरदायित्व सम्बन्धी राज्य सरकारों में निहित है।

दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के वेतन-मान

361. श्री मदन पांडे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों को 1 मई, 1989 से संशोधित वेतन-मान नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें संशोधित वेतन-मान की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन ने 1 मई, 1989 से औद्योगिक कर्मकारों सहित कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना 28.4.89 को पहले ही जारी कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अपंजीकृत निदान गृहों (नर्सिंग होम) का सर्वेक्षण

[अनुवाद]

362. श्री भद्रेश्वर तांती :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अपंजीकृत निदान गृहों (नर्सिंग होम) के कार्यकरण तथा उनके काम काज की परिस्थितियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अनेक विशेष बातें जैसे उपचर्या गृहों में कार्य कर रहे डाक्टरों/अर्ध चिकित्सा कार्मिकों की संख्या पलंगों की कुल संख्या, पानी और बिजली की सुविधाओं की उपलब्धता और उपचर्या-गृह के स्थान को लिया गया है। यह सूचना सारणी के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 8038/89]

गुजरात में हड़ताल और तालाबन्दी

363. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात हैं में जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 की अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों में हुई तालाबन्दियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन हड़तालों आदि के क्या कारण थे; और

(ग) इस अवधि के दौरान वापस ली गयी हड़तालों और तालाबन्दियों और श्रमिकों तथा प्रबंधकों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी-मार्च 1989 की अवधि के दौरान गुजरात में 44 हड़तालें तथा 6 तालाबन्दियां थीं। हड़तालों तथा तालाबन्दियों के लिए अन्यों के साथ-साथ मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक एवं छटनी तथा अनुशासनहीनता तथा हिंसा के मामले थे। इनमें से 34 हड़तालें वापिस ले ली गई तथा 2 तालाबन्दियां उठा ली गई। समाप्त

की गई हड़तालों तथा तालाबन्दियों के सम्बन्ध में कर्मचारों तथा प्रबन्धतंत्र के बीच हुए करारों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल, का राजाजीनगर से विजय नगर स्थानान्तरण

364. श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में राजधानी नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का अस्पताल कार्य कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त अस्पताल को विजयनगर स्थानान्तरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

हड़ताल के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईस के जूनियर डाक्टरों को जारी किए गए बर्खास्तगी आदेश

365. श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई-जून, 1989 के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईसस, बंगलौर के जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जूनियर डाक्टरों की संख्या कितनी है जो हड़ताल पर थे;

(ग) उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं;

(घ) क्या जूनियर डाक्टरों और सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों को बर्खास्तगी के आदेश जारी किये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साईसिज, बंगलौर के 106 जूनियर डाक्टर हड़ताल पर थे।

(ग) जूनियर डाक्टरो द्वारा की गई प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं :—

1. सभी रेजीडेंटों (जूनियर और सीनियर) को वर्तमान 250/-रुपये प्रतिमास के बजाय सम्बद्ध केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों पर लागू प्रैक्टिसबन्दी भत्ता दिया जाना चाहिए।

2. मंहगाई भत्ता प्रैक्टिसबन्दी भत्ते पर दिया जाना चाहिये।

3. उपर्युक्त के लिए बकाया धनराशि 1.1.86 से दी जाए।

4. जूनियर रेजिडेंटों के लिए 100/-रुपये प्रतिमास और सीनियर रेजिडेंटों के लिए 250/-रुपये प्रति मास का आकस्मिक भत्ता।

5. 1.1.87 से आकस्मिक भत्ते का बकाया।

6. यदि वे बाद में सरकारी नौकरी करते हैं तो जूनियर और सीनियर रेजीडेंसी अवधि को सेवा काल माना जाये और रेजीडेंसी और सरकारी सेवा के बीच 3 वर्षों की सेवा भंग अवधि को माफ कर दिया जाए।

7. मकान किराया भत्ता-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अनुसार रेजीडेंटों को मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाए।

8. रेजीडेंटों के लिए बीमारी की छुट्टी के लाभ।

(घ) और (ङ.) सभी 106 जूनियर डाक्टरों को सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए गए थे।

समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड की रिपोर्ट

366. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित बछावत वेतन बोर्ड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और यदि हां; तो कब;

(ख) क्या पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों ने बछावत वेतन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों में सुधार करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। 30-5-89 को।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने अभी मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार

[हिन्दी]

367. **श्री सरफराज अहमद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने कर्मचारी सेवा के दौरान मरे;

(ख) प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों में मृतकों के परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया गया और कितने मामलों में रोजगार अभी दिया जाना है; और

(ग) मृतकों के परिवार के सदस्यों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कार्य प्रभारित कर्मचारियों सहित 498 (केवल चार सौ अठानवे) कर्मचारी सेवा के दौरान मरे।

(ख) 100 मामलों में दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को रोजगार दिया गया है। 238 मामले विचाराधीन हैं। शेष मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया है। कानूनी उत्तराधिकारियों ने नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ग) सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने और पदों की उपलब्धता पर अनुकम्पा आधारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। इस प्रकार से समय सीमा निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि कब तक नियुक्ति की जाती है।

तिलहनों का आयात

[अनुवाद]

368. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्याप्त सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्य तेल उद्योग ने खाद्य तेलों का आयात करने के बजाय तिलहनों का आयात करने का समर्थन किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार का देश में खाद्य तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेल उद्योग से खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, 1988 में हुई सामान्य वर्षा तथा उसके परिणामस्वरूप हुई भरपूर फसल के बाद इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) यद्यपि सरकार विभिन्न बातों, जैसे पौध संगरोध आवश्यकता, तिलहनों के आयात संबंधी विभिन्न आर्थिक पहलुओं, उनसे मिलने वाले तेल को प्राप्त करने तथा उसके वितरण से संबंधित नीतिगत व प्रकाशकीय समस्याओं के कारण, आमतौर पर तिलहनों के आयात के पक्ष में नहीं है, तथापि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जरिए सहायता आधार पर केवल 5 लाख मी. टन तिलहनों के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कोई आयात नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"क्यूीज 1.5 करोड़ मेडिसिन्स आउटडेटेड" शीर्षक से समाचार

369. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "क्यूीज 1.5 करोड़ मेडिसिन्स आऊटडेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल में उपयोग की अवसान तिथि 36 प्रकार की दवाइयों के बारे में रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले की जांच आदेश देने का विचार है, विशेष रूप से जबकि 12 वर्ष पहले निर्मित औषधियां एवं दवाइयां इस डिपो से सप्लाई की जाती रही है;

(घ) यदि हां, तो जांच के आदेश कब तक दिये जायेंगे; और

(ङ.) क्या सभी सात केन्द्रीय डिपो में पड़ी सभी दवाइयों की जांच की जायेगी ताकि अवसान-तिथि वाली औषधियों को उपयोग में न लाया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

370. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन के बारे में 17 अगस्त 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कितने पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को मकान आवंटित किये गये;

(ख) क्या सातवीं योजना के शेष वर्ष के दौरान शेष पंजीकृत व्यक्तियों को मकान आवंटित करने के लिए भी कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना 1994 तक की वार्षिक योजनाओं में भी तैयार की जायेगी; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन में कोई प्राथमिकताएं अथवा विशेष वरीयता दी गयी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) वर्ष	स्व-वित्त पोषित योजना	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
1987-88	3957	4840	2682	2935	14414
1988-89	113779	4675	8319	7774	32147
कुल योग :	15336	9515	11001	10709	46561

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए 26489 मकानों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई है। जहां तक अनुवर्ती वर्षों 1994 तक की योजनाओं का सम्बन्ध है, वे बनाई जाएंगी। तथापि, आशा है कि विभिन्न श्रेणियों में सभी पंजीकृत व्यक्तियों को वर्ष 1994 तक फ्लैटों का आवटन कर दिया जाएगा।

(घ) 25 प्रतिशत फ्लैट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं; 1 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, 1 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये और 1 प्रतिशत युद्ध में शहीद रक्षा कार्मिकों की विधवाओं के लिए हैं।

इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांगों, हाल ही में हुई विधवाओं और अन्य मामले जिनमें बहुत ही दुःख तकलीफ से ग्रस्त व्यक्ति हों, ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों, कलाकारों इत्यादि और रक्षा कार्मिक जो विभिन्न शौर्य पदकों आदि के विजेता हैं, को कुल फ्लैटों के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आवंटन बिना बारी के आधार पर करने का प्रावधान है।

"लीज" प्रणाली को "फ्री होल्ड" प्रणाली में परिवर्तित करना

371. प्रो. नारायण चन्द पराशर :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "लीज प्रणाली को "फ्री होल्ड" प्रणाली में बदल कर "लीज" प्रणाली को समाप्त करने का कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किस तारीख को लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और और देरी के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) इस मामले में वित्तीय और अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावों सहित एक सुविचारित और विस्तृत जांच अपेक्षित है।

इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है।

स्कूली बच्चों के अंधापन, रोहे जैसी आंख की बीमारियों के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम का आकलन

372. **प्रो. नारायण चंद पराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में स्कूली बच्चों में अंधापन, रोहे जैसी आंख की बीमारियों के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आकलन का राज्यवार संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा आकलन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) रोहे कोई नेत्र रोग नहीं है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का अभी तक कोई आकलन/मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की प्रति-पुष्टि सामग्री/कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भेजते हैं। इन रिपोर्टों में स्कूल जाने वाले बच्चों में नेत्र रोगों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

केरल को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

373. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल राज्य से उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए अतिरिक्त और अच्छे किस्म के चावल की सप्लाई हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस राज्य ने किसी अन्य आवश्यक वस्तु की सप्लाई का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की गई वस्तुओं की घटिया किस्म के सम्बन्ध में वर्ष 1989 की प्रथम छमाही के दौरान शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च) केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त आवंटन के लिए किए गए अनुरोधों तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

चावल : मई, 1989 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के मासिक आवंटन को 1,00,000 लाख मी. टन से बढ़ाकर 1,60,000 मी. टन करने का अनुरोध किया था ;

गेहूं : मई, 1989 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का आवंटन 15,750 मी. टन से बढ़ाकर 25,000 मी. टन करने का अनुरोध किया था।

आयातित खाद्य तेल : मई, 1989 में मासिक आवंटन बढ़ाकर प्रतिमाह 5,000 मी. टन करने का अनुरोध किया था।

मिट्टी का तेल : अप्रैल, मई तथा जून, 1989 के महीनों में 1,000 मी. टन अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया था।

2. केन्द्रीय पूल में कठिन स्थिति के कारण चावलों का अधिक आवंटन करने के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है। देशीय तेलों की आसान उपलभ्यता के कारण सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन घटे स्तरों पर किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी एजेंसियां

374. **श्री कमल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही पंजीकृत और गैर पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : पंजाब में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों की कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, दिल्ली में बच्चा उठाए जाने की घटना

375. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1989 को दिल्ली स्थित सुचेता कृपलानी अस्पताल से बच्चा उठाये जाने की कथित घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी घटनाएं आम बात हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां।

(ख) श्री सी. पी. शर्मा की उनके बच्चे को उठाने संबंधी शिकायत के बारे में डा. बी. एम. एस. बेदी, उप प्रधानाचार्य. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड सम्बद्ध अस्पताल द्वारा एक प्राथमिक जांच की गई है लेकिन आरोपों के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिए गये हैं। पुलिस को की गई श्री सी. पी. शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी जांच के लिए एक मामला दर्ज किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रोजगार के अवसर जुटाना

[हिन्दी]

376. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "जवाहर रोजगार योजना योजना" के अलावा रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई अन्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार के लिये "जवाहर रोजगार योजना" को छोड़कर अन्य कोई नई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, जिसमें रोजगार की संभावनाएं अधिक हों, तैयार नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

झुग्गी निवासियों के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

*377. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) दिल्ली में झुग्गी-निवासियों के उत्थान संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किस सीमा तक कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मलिन बस्ती तथा झुग्गी-झोपड़ी पर्यावरण सुधार योजना के तहत सामूहिक उपयोग के लिए शौचालय एवं स्नानार्थ "भुगतान करो और जनसुविधा का उपयोग करो" जलपूर्ति या तो नगरपालिका के नलकों के द्वारा अथवा मार्क-11 के गहरे हैन्ड पम्पों द्वारा की जाती है, जो नगरपालिका जल की पाइपों में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, नालियां, खंड़जे, बिछे मार्ग तथा गलियों, कूड़ा-करकट निपटान के लिए ढलाव जैसी सुविधायें कराई जा रही हैं, जो क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के प्रावधानार्थ भूमिकी उपलब्धता पर निर्भर है। चालू वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा करना,

378. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा करने में बारे से 8 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1788 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप, कलकत्ता के कर्मचारियों की वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 से सबंधित कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि को नियोक्ता द्वारा जमा करा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उन्हें अभी भी देय राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) और (ख) ऐसा सूचित किया गया है कि अमृत बाजार पत्रिका ने भविष्य निधि की बकाया राशि की बाबत निम्नलिखित राशि जमा की है :—

	(लाखों रु. में)
1986-87	53.52
1987-88	42.96
1988-89	26.82

31 मई, 1989 को इस ग्रुप से 98.97 लाख रुपये की राशि बकाया होने की सूचना थी।

(ग) नियोजकों द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि जमा न करने का कारण वित्तीय कठिनाईयां बताया जाता है।

(घ) क.भ.नि. प्राधिकरणों ने बकाया राशि की वसूली करने के लिए नियोजकों के विरुद्ध कतिपय कानूनी और दांडिक कार्रवाई शुरू की है। तथापि, सूचित किया गया है कि नियोजक ने उच्च न्यायालय से अपने विरुद्ध समस्त कार्रवाई आस्थगित करने के लिए अनेक सिविल रूल्स प्राप्त किए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक डिबेंचर जारी करने का प्रस्ताव

379. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक डिबेंचर जारी करना के बारे में 21 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक डिबेंचर जारी कर दिये गये हैं और हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी व्यक्तियों को फ्लैट/भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्राथमिकता संख्या तक के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट/भूखंड आबंटित कर दिये गये हैं और शेष पंजीकृत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैट/भूखण्ड आवंटित किये जाने की संभावना है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केवल 15 (पन्द्रह) करोड़ रुपये के बांड चलाए गये थे। व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण पिछले बकाये को नहीं निपटा दिया गया है।

(ग) नवीन पद्धति योजना : 1979

श्रेणी	फ्लैट आवंटित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जिस अन्तिम अग्रता तिथि तक आवंटन दिया गया है।		शेष पंजीकृतों की संख्या
		सामान्य	अ.सू.जा. अ.सु.ज.जा.	
मध्यम आय वर्ग (नवीन पद्धति)	16676	6985	सभी को आवंटन कर दिया गया है	27718 (सामान्य श्रेणी)
निम्न आय वर्ग (नवीन पद्धति)	24316	10240	—वही—	41651 (सामान्य श्रेणी)
जनता	29889	11824	4928	23324 (सामान्य श्रेणी
योग :	70,881			

2. स्ववित्त पोषित योजनायें

(1) 44412 पंजीकृति व्यक्तियों को फ्लैटों का नियतन किया जा चुका है।

(2) 24883 व्यक्ति फ्लैटों के नियतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

3. सामान्य आवास योजना

1985 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवा निवृत्त हुये सरकारी कर्मचारियों/पंजीकृत व्यक्तियों की केवल वरीयता सूची तैयार की गई थी और निरस्त किए गये/अस्वीकार किये गये मामलों के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवटित कर दिये गये हैं।

(घ) पिछले बकाया को 1994 के अन्त तक निपटा दिये जाने की संभावना है।

भारतीय पटसन निगम में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3?0. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में भारतीय पटसन निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के लिए कोई कोटा आरक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) चूंकि भारतीय पटसन निगम भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है अतः उनमें असम तथा अन्य राज्यों के अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के कर्मचारियों के लिए अलग से कोई राज्यवार कोटा नहीं नहीं हैं। निगम में अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय सरकार के आरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन होता है।

बंगलौर के लिये "मास रैपिड ट्रांजिन्ट प्रोजेक्ट"

381. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में "मास रैपिड ट्रान्जिट प्रोजेक्ट" प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

382. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री सामूहिक आवास समितियों को पपनकलां में भूमि का आवंटन करने के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पपनकलां काम्प्लेक्स विकास योजना को अब तक अन्तिम रूप दिया जा चुका

है और सामूहिक आवास समितियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने का मानदण्ड निर्धारित कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। पपनकलां परिसर के विकास नक्शों को दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि पपनकलां परियोजना जिसे निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जाना है, में जहां तक संभव होगा, भूमि के नियतन में इन समितियों के अपेक्षताओं पर विचार किया जायेगा।

"वन भूमि का गैर- वानिकी प्रयोजनों के लिये उपयोग

383. **श्री डी. बी. पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने वनों हेतु वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करके गैर वानिकी प्रयोजनों के लिये वन भूमि के उपयोग के संबंध में कितने प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) कितने प्रस्ताव मंजूर, नामंजूर किये गये और लम्बित पड़े हैं, और

(ग) इन प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से 30.6.1989 तक प्राप्त मामलों के ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :

(1) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	530
(2) अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	249
(3) नामंजूर किए गए प्रस्तावों की संख्या	212
(क) गुण दोष के आधार पर	36
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में सूचना न भेजे जाने के कारण	176
(4) लंबित मामलों की संख्या	59
(5) राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	10
कुल योग	530

आदिवासियों को खाद्यान्नों की सप्लाई

384. **श्री डी.बी. पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों द्वारा वर्ष 1987, 1988 और वर्ष 1989 के दौरान अब तक समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्य-वार चावल प्रति माह कितनी मांग की गई और इन्हें कितनी-कितनी मात्रा में चावल आवंटित किया गया और इन्होंने कितना चावल उठाया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों तथा आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर चावल और गेहूं का वितरण करने की योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के निर्गम राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए गए आवटनों में से किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अलग आवंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, इस योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा वितरित की गई चावल की मात्राओं के मास-वार और राज्यवार ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

चीनी का कोटा जारी करना

385. श्री डी.बी. पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में महीने वार खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी का प्रचलित मूल्य क्या रहा; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में महीने वार केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी का कितना कोटा जारी किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

अक्तूबर, 1988 से जुलाई, 1989 के दौरान रिलीज की गई खुली बिक्री की चीनी की मात्रा और देश की प्रमुख मंडियों में चीनी के चल रहे मूल्य

मास	रिलीज की गई खुली बिक्री की चीनी की मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मास अन्त थोक मूल्य (आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल में) दिल्ली एम-30	दिल्ली एस-30	कलकत्ता एस-30	बम्बई एम-30	बम्बई एस-30	मद्रास एस-30
अक्तूबर, 88	5.35	758	740	750	719	686	654
नवम्बर, 88	5.50	720	700	720	683	649	633
दिसम्बर, 88	5.20	660	640	700	666	646	602
जनवरी, 89	5.00	690	670	675	654	638.50	609
फरवरी, 89	4.75	705	680	675	693.50	67[illegible]	629
मार्च, 89	4.60	715	690	710	707	691	684
अप्रैल, 89	4.50	760	745	770	754	744	724
मई, 89	5.00	780	760	815	792.50	771	809
जून, 89	5.50	825	810	800	827	815	739
जुलाई, 89	5.00	890*	870*	—	858*	844*	779*

* 11.7.1989 की स्थिति के अनुसार

केरल में गलगंड रोगियों की संख्या में वृद्धि

386. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान केरल में कोट्टायम और इडुक्की जिलों में गलगंड रोगियों की संख्या में वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारणों का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) मेडिकल कालेज, कोट्टायम द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि कोट्टायम और इडुक्की के जिलों में घेंघा की घटना की दर 13 प्रतिशत से लेकर 39 प्रतिशत तक है :

(ख) पौषाणिक आयोडीन की कमी घेंघा और अन्य संबद्ध विकारों के होने का कारण है। घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकारों पर काबू पाने के लिए आयोडीकृत नमक का इस्तेमाल सरल और सबसे सस्ता तरीका है। भारत सरकार ने खाये जाने वाले नमक के व्यापक आयोडीकरण की एक योजना क्रमिक रूप से शुरु की है जो वर्ष 1992 तक पूरी हो जाएगी। केरल राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे राज्य में अनायोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक अधिसूचना जारी करें ताकि केवल आयोडीकृत नमक ही उपलब्ध हो।

सस्ते ऊनी कम्बलों का उत्पादन करने वाले उद्योगों का बन्द होना

387. श्री राजकुमार राय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे 'शाडी' उद्योग बन्द हो गए हैं जिनको आम आदमी के लिए सस्ते ऊनी कम्बल और कपड़ा उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे कितने एकक बंद हो चुके हैं और कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सस्ते ऊनी कम्बलों तथा कपड़े के उत्पादन हेतु किसी भी एकक को अलग तौर पर लाईसेंस नहीं दिया गया है, फिर भी, अधिकांश शोडी एकक आम आदमी की जरूरत हेतु शोडी कम्बलों का उत्पादन करते हैं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 31 मई, 1989 की स्थिति के अनुसार 52 बन्द पड़े ऊनी एककों (वस्टेड/गैर-वस्टेड) में से 30 गैर-वस्टेड कताई/बुनाई मिश्रित एकक हैं। शोडी एककों के बन्द होने सम्बन्धी अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है। एककों के बन्द होने के कई कारण हैं जैसे—वित्तीय समस्याएं, श्रमिक असन्तोष, तालाबन्दी, पुरानी मशीनरी, हड़तालें, आर्डर न मिलना आदि।

(ग) सरकार ने इस उद्योग को समय-समय पर यथासम्भव सहायता दी है जो कि नीचे बताई गई है :—

(1) शोडी उद्योग द्वारा अपेक्षित मूल कच्चे माल अर्थात ऊनी/सिन्थैटिक चीथड़ों के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए ओ.जी.एल. पर दी गई है।

(2) शोडी उद्योग के लिए आवश्यक सिन्थैटिक चीथड़ों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर 80·/. ए वी से घटाकर 25·/. ए वी कर दी गयी है।

(3) शोडी यार्न/शोडी कम्बलों पर उत्पाद शुल्क की लेवी से छूट दी गयी है। 60 रुपये प्रति वर्गमीटर तक के शोडी फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गयी है।

(4) कुछ ऊनी मशीनरी पर आयात शुल्क 10·/. से घटाकर 35·/. कर दिया गया है।

(5) दिनांक 1.8.86 से प्रभावी और आई.डी.बी.आई. द्वारा क्रियान्वित 750 करोड़ रु. राशि की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना आम ऊनी उद्योग के लिए भी उपलब्ध है।

डाक-तार सामूहिक आवास समिति को भूमि का आवंटन

388. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार सामूहिक आवास समिति को पश्चिम दिल्ली में भूमि आवंटित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों का क्या ब्योरा है;

(ग) इस समिति के कितने सदस्यों के दिल्ली में स्वयं अपने नाम पर अथवा अपनी संतानों के नाम अथवा बेनामी में अपने मकान हैं;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की समिति से सदस्यता रद्द करने उनके नाम सदस्यता सूची से हटाने के लिए तथा तथ्यों को छिपाने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में आवास समस्या को हल करने के लिए एक परिवार के लिए एक फ्लैट/भूखंड आवंटित करने की नीति के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तथापि, इस समिति का पंजीकृत नाम पब्लिक सैक्टर (पी एण्ड टी) एम्पलाइज सेण्ट्रल कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है।

(ख) इस समिति में 201 सदस्य हैं।

(ग) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ.) दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले से ही इस नीति का अनुसरण कर रहा है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ.) को देखते हुये और कोई टिप्पणियां अपेक्षित नहीं हैं।

न्यू पैटर्न हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का ड्रा

389. **श्रीमती डी.के. भंडारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के लिए मार्च, 1989 के बाद कोई ड्रा निकाला गया था;

(ख) यदि हां, तो आवंटित फ्लैटों का श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ड्रा के बाद तक कितने पंजीकृत व्यक्तियों को श्रेणी-वार फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं और श्रेणी-वार किस-किस प्राथमिकता नम्बर तक फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतीक्षा सूची की संख्या को कम करने हेतु निकट भविष्य में कोई और ड्रा निकालने का विचार है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) श्रेणी	जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किये गये उनकी संख्या	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	आवंटित अन्तिम संख्या
मध्यम आय वर्ग	16676	सभी शामिल किये गये हैं	6985
निम्न आय वर्ग	24316	—वही—	10240
जनता	29889	4928	11824

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) जैसे ही पर्याप्त संख्या में मकान बन जायेंगे वैसे ही लाटरी निकाली जायेगी।

रोहणी में भूखंडों का विकास

390. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989 के दौरान रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में भूखंडों का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसे भूखंड विकसित कर लिए गए हैं और आवंटन हेतु तैयार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी-वार ब्योरा क्या है;

(ङ.) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का निकट भविष्य में विकसित भूखंडों का आवंटन करने हेतु ड्रा निकालने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से वर्ग-वार ब्यौरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तथा उनके प्राप्त होने पर उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	···	900
निम्न आय वर्ग	···	1740
मध्यम आय वर्ग	···	2064
योग :		4704

(ङ.) और (च) जी, हां। 4704 प्लाटों के लिए अगस्त 1989 के माह में लाटरी निकाले जाने की आशा है।

मध्य आय वर्ग (हुडको) श्रेणी से स्ववित्त पोषण योजना श्रेणी में परिवर्तन कराने की अनुमति देना

391. **श्रीमती डी. के. भंडारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू पैटर्न हुडको योजना, 1979 के अधीन मध्य आय वर्ग श्रेणी में पंजीकृत कुछ व्यक्तियों को स्व वित्त पोषण योजना में परिवर्तन कराने को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1989 की स्थिति के अनुसार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या न्यू पैटर्न हुडको योजना 1979 के अधीन कुछ पंजीकृत व्यक्तियों ने लगभग दस वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटन प्राप्त न हो पाने के कारण अपना पंजीकरण रद्द करवा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ.) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट आवंटित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या मानदण्ड अपनाया गया;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1686

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ.) जी, हां।

(च) सेवा निवृत्त व्यक्ति योजना तथा विधवाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तथा अनुकम्पा के आधार पर बिना बारी के आवंटन योजना के अन्तर्गत आवंटनों के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण—1 और विवरण—2 में दिये गये हैं।

विवरण—1

हुडको के अन्तर्गत आर. पी. एस. आवंटन

लाटरी की तारीख	योजना का नाम	कुल आवंटन मध्यम आय वर्ग
1	2	3
29.3.86	दिलशाद गार्डन	234
31.3.86	जाफराबाद	—
	जनकपुरी	—
	मायापुरी	—
	पश्चिमपुरी	—
15.6.87	जनकपुरी	18
	शालीमार बाग	76
	रोहिणी	205
	नन्द नगरी	178
		477
25.3.89	लोनी रोड के पूर्व में	195
	मयूर विहार	68
	शालीमार बाग	70

1	2	3
	पश्चिमपुरी	74
	पीतमपुरा	206
	विकासपुरी	45
	रोहिणी	03
		661

विवरण—2

बिना बारी के आवंटन

व्यक्तियों की श्रेणी		मध्यम आय वर्ग		
		1986	1987	1988
1.	विधवा	8	26	13
2.	शारीरिक रूप से विकलांग	5	19	5
3.	अनुकम्पा आधार	13	12	6
	योग :	26	57	24

इन फ्लैटों का आवंटन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया है :

दिलशाद गार्डन
मयूर विहार (त्रिलोकपुरी)
मयूर विहार (त्रिलोकपुरी)
रोहिणी
विकासपुरी
प्रीतमपुरा
मानसरोवर पार्क
नन्द नगरी
निर्माण विहार
जनकपुरी
शालीमारबाग
पश्चिमपुरी

ओणम के लिए केरल को चावल और चीनी की सप्लाई

392. श्री बी. बशीर :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य सरकार के जुलाई-सितम्बर के दौरान और ओणम त्योहार की अवधि के दौरान उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु चीनी और चावल का विशेष कोटा दिए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर 5,000 मीटरी टन लेवी चीनी का अग्रिम आवंटन करने का निर्णय किया गया है। इस आवंटन का ओणम के त्योहार के लिए भावी किस्तों में समायोजन किया जाएगा। जहां तक चावल का संबंध है, राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आन्ध्र प्रदेश के स्वयं सेवी संगठनों का वित्त-पोषण

393. श्री मानिक रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आन्ध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अथवा उनके अध्ययन के लिए किन्हीं स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या है, परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1984 के प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की सहायता दी गयी है; और

(ग) इन सेवी संगठनों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दे 1984 से निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है—

1. आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में ग्रामीण शिविरों में बाह्य रोगी प्रक्रियाओं के रूप में आयोजित अल्पावधि सिक्विला ट्यूबेक्टॉमी एण्ड रेफी वेसक्टॉमी परियोजना।

2. कुष्ठ में नेत्र जटिलताएं।

3. हैदराबाद के स्कूली बच्चों में डर्मेटोफाइटोसिस का अध्ययन ।

उक्त क्रम संख्या । की परियोजना के मुख्य अन्वेषक डा. बी. एस. आर. मूर्ति, उपाध्यक्ष, लायंस फेमिली वेलफेयर प्लानिंग सेंट गजपतिनगरम थे । कुल वित्तीय सहायता 93,900/-रुपए थी ।

इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शिविरों में नसबंदी आपरेशन (पुरुष नसबन्दी/महिला नसबन्दी) करना तथा ऐसे आपरेशन करने में डाक्टरों को प्रशिक्षण देना था । ये प्रक्रियाएं डा. मूर्ति द्वारा बाह्य आधार पर की गई थी जहां पर व्यक्ति उसी दिन अपने घर जा सकते थे । मुख्य अन्वेषक ने अध्ययन अवधि के दौरान कुल 3834 प्रक्रियाएं की और अनुवर्ती देख-रेख के आंकड़े एकत्र किए । उन्होंने जिन तकनीकों के बारे में डाक्टरों के प्रशिक्षण का कार्य भी शुरु किया । (क) विशेष नानट्रामिक ट्यूबक्टोमी फोसेप्स का उपयोग करते हुए सबद्म विलीकल इन-सीजन (ख) पुरुष नसबन्दी के लिए भी डियन रेफ तकनीक । इन तकनीकों में महिला नसबन्दी के लिए 15-20 मिनट और पुरुष नसबन्दी के लिए 2-3 मिनट लगते हैं । इन क्रियाविधियों को सुरक्षित और साधारण देखा गया जैसा कि अन्वेषक द्वारा बाद में जांच किए जाने पर व्यक्तियों के बीच जटिलता दर बहुत ही कम पाई गई । (2) क्रम संख्या 2 के परियोजना के प्रधान अन्वेषक डा. सी. सत्यनरायण मुख्य अधीक्षक, म्रो. ई. यू. लायन्स नेत्र अस्पताल, जिला विजियाना ग्राम श्रीराम नगर थे । कुल वित्तीय सहायता 14,428/-रुपये की थी ।

अन्वेषक ने कुष्ठ में नेत्र विकार (आकुलर मेनिफेस्टेशन्स) की घटना में व्यापक परिवर्तन का अध्ययन किया है । यह नोट किया गया कि जो रोगी अस्पताल में आ रहे हैं, उनमें नेत्र विकार (आकुलर मेनिफेस्टेशन्स) गम्भीर किस्म के हैं जबकि क्षेत्र में कार्य करने वाले रोगियों में थोड़े से कम रूप में देखे गए । तथापि ये नेत्र विकार बहु-औषध चिकित्सा आरम्भ करने के पश्चात् कम होते देखे गए । इस अन्वेषक ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए नेत्र क्षति (आकुलर डेमेज) को वर्गीकृत करने का प्रयास किया । न केवल नेत्र विकारों (आकुलर मेनिफेस्टेशन्स) बल्कि क्वान्टिटेटिव विजुअल एक्युटी को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकलांग-ताओं को तीन वर्गों में रखा गया ।

(3) क्रम संख्या 3 परियोजना के प्रधान अन्वेषक डा. सुखानन्द जैन, अनुसंधान निदेशक, मेडिकल महावीराजी और आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र महावीर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद थे । दी गई कुल वित्तीय सहायता 34,150/-रुपये थी ।

इस परियोजना का उद्देश्य डर्मेटोमाइकोसिस की लक्षित आबादी का पहली बार पता लगाना और डर्मेटोमाइकोसिस के लिए उत्तरदायी पूर्ववर्ती कारणों, पोषणिक स्थिति और रोगियों की व्यक्तिगत स्वच्छता का पता लगाना और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को सुझाना है । आज तक विभिन्न समाजार्थिक वर्गों से संबधित 12 विभिन्न स्कूलों से 5000 छात्र छांटे गए । लगभग 5.89 प्रतिशत संदिग्ध रोगियों को दर्ज किया गया । सूक्ष्म दर्शी से 72.84 प्रतिशत रोगियों में डर्मेटोफाइट्स होने का पता चला । 56.95 प्रतिशत नमूनों से पाजिटिव कल्चर प्राप्त किया गया । टी कैपिटिस, टी फेशिज और टी पेडिस के बाद जोनिता सर्पोरिस नैदानिक टाइप सर्वाधिक था । कुल मिलाकर स्त्री-पुरुषों दोनों में घटना-दर में महत्वपूर्ण अन्तर था ।

(ग) स्वयं-सेवी संगठनों को धनराशि मंजूर करने के मामले में अपनायी गई क्रियाविधि उसी प्रकार की है जो अन्य अनुदान सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करते हुए अपनाई जाती

है। पीयर समीक्षा तन्त्र प्रणाली का वहां पालन किया जाता है जहां परियोजना की राष्ट्रीय और वैज्ञानिक उपयुक्तता के संदर्भ में विशेषज्ञों का एक दल, क्रियाविधि विज्ञान की व्यवहार्यता और अनुभव तथा प्रधान अन्वेषक की कार्य-निपुणता प्रस्तावित होती है। इस तन्त्र प्रणाली का वर्तमान मामले में भी उपयोग किया गया।

"पर्यावरण और वन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि दिया जाना

394. **श्री मानिक रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कुछ स्वैच्छिक संगठनों को पर्यावरण और वन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-बार कार्यक्रमों/परियोजनाओं के ब्यौरे सहित उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें इनके लिए धनराशि दी गई तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) इन स्वैच्छिक संगठनों को विशिष्ट परियोजनाओं हेतु धन राशि स्वीकृति किये जाने संबंधी प्रक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जी, हां। यह मत्रालय पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता, सेमिनारों/संगोष्ठियों, पर्यावरणीय सूचना पद्धति, पारि-विकास कार्यक्रम, पर्यावरणीय अनुसंधान, परती भूमि विकास तथा वन रोपण तथा गंगा कार्य योजना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को धन देता रहा है। ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल. टी. 8039/89]

(ग) स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए गठित सम्बन्धित समितियों द्वारा विचार किया जाता है। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर यह मत्रालय प्रस्तावों को मंजूर करता है तथा सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता देता है। कुछ मामलों में मंत्रालय स्वयं प्रस्तावों पर विचार करता है या वित्तीय सहायता देने के लिए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों की सलाह लेता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित आंध्र प्रदेश के स्वयं सेवी संगठन

395. **श्री जी. भूपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं कौन सी हैं; और वर्ष 1985 से उनके द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किन्ही स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है और यदि हां, प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा वर्ष 1985 से अब तक उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आबंटित तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र द्वारा जारी की गई धन राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

आंध्र प्रदेश सरकार को 1985-86 से 1988-89 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्कीमों के लिए आवंटित तथा जारी की गई धनराशि

(रुपए लाख में)

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
स्कीम का नाम	आवंटन	जारी की गई	आवटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई
चिकित्सा शिक्षा अभिविन्यास	8.05	—	4.00	—	—	—	—	—
राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा	1.98	0.50	1.98	0.55	—	—	—	—
ग्रामीण स्वास्थ्य	47.28	5.63	6.45	2.00	10.80	6.12	24.40	41.51
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	196.80	179.56	265.59	333.27	321.18	413.35	365.64	505.93
राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	16.75	15.60	19.45	20.09	14.42	7.51	17.10	4.05
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	50.60	55.38	49.50	42.14	55.00	61.24	55.00	52.43
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	212.00	260.44	217.00	291.00	230.00	280.00	260.00	318.65
दृष्टिहीनता नियंत्रण	53.53	38.33	42.96	44.00	45.17	45.17	43.72	34.42
गिनीकृमि	2.42	2.06	2.40	4.05	3.55	2.72	3.99	2.25
भारतीय चिकित्सा पद्धति	6.00	5.45	6.00	4.50	9.00	6.74	7.75	8.12
परिवार कल्याण	2767.46	3409.74	2912.92	3717.66	3342.66	4642.65	3155.56	3919.33

नोट : आयोडीकृत नमक तैयार करने के लिए विशाखापट्टनम में पडेरू में एक आयोडीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है।

विवरण-2

आन्ध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र द्वारा 1985-86 से 1988-89 तक जारी की गई धनराशि

(रुपए लाख में)

संगठन का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
एलोर्टिग हैल्थ सेंटर फार इनएप्रेसिबल ड्राइवर पीपल	6.[illegible]5	3.65	6.54	1[illegible].36
राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	—	1.75	1.40	2.20
सेप्रोसी मिशन अस्पताल विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश	1.84	1.64	1.64	—
हिन्द कुष्ठ निवारण संघ जुमिकुन्ता, आन्ध्र प्रदेश	1.85	2.07	1.63	—
फिलाडेल्फिया लेप्रोसी अस्पताल ट्रस्ट, सलूर, आन्ध्र प्रदेश	0.84	—	—	—
सामन चैरिटेबल नेत्र अस्पताल रेकुर्ती गांव करीम नगर आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	1.40

"अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में मजखाली-दिगौली मोटर सड़क का निर्माण"

[हिन्दी]

396. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मजखाली-दिगौली मोटर सड़क के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे में ड्राफ्टमैनों और ट्रेसरो का वेतनमान

[अनुवाद]

397. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन, रेलवे लखनऊ तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ट्रेसरो और ड्राफ्टसमैनो के वेतनमान अलग-अलग है जबकि उनकी भर्ती, पदोन्नति तथा वर्दी सम्बन्धी नियम समान हैं;

(ख) क्या इस मामले को पंच फैसलो के लिए भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो पंच फैसला क्या है; और

(घ) अगर पंच फैसलों के लिए भेजे गये मामले पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) से (घ) आर. डी. एस. ओ. इम्पलाइज एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा इस मामले के बारे में उठाए गए औद्योगिक विवाद के बारे में सहायक श्रमायुक्त (के) कानपुर ने संराधन कार्यवाही की। चूंकि इस मामले में संराधन कार्यवाही असफल रही, उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अपेक्षानुसार सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार ने इस मामले को इस आधार पर न्यायनिर्णयन के लिए न भेजने का निर्णय लिया था क्योंकि इस मामले में विभागीय तंत्र के अधीन अभी भी उपाय उपलब्ध थे। इस निर्णय को 9-11-82 को विवाद के पक्षकारों को संप्रेषित किया गया। इसके बाद, एसोसिएशन ने उक्त निर्णय की पुनरीक्षा के लिए इस मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के परामर्श से इस मामले पर पुनर्विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने विवाद में उठाई गई मांग को न्यायनिर्णयन हेतु विनिर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया। यह भी 16.10.85 को पक्षकारों को सूचित कर दिया गया था।

———

12.00 मध्याह्न

बोफोर्स तोप सौदे पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : बोफोर्स सौदे पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने के बाद, हम यह मांग करते हैं कि रिपोर्ट में पाए गए सभी कदाचारों और अनियमितताओं को देखते हुए प्रधान मंत्री और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए······

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें एक दिन भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या आपने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है ?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा होनी चाहिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठेंगे तो बात सुनेंगे। आप बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ही ने फैसला करना है, तो मैं चला जाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है···

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए तो सही।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे, तो होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने नहीं बैठना है, तो मैं फैसला क्या करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, जयपाल जी, अगर आप बैठें तो बात सुनें। आप ही [illegible] करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : क्या करते हैं आप।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्याख्या करने दीजिए।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसे ही करना है, तो आप करते रहिए। मैं हाउस एडजार्न कर देता हूं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं तो क्या मैं सभा को स्थगित कर दूं ?

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बैठें, तो बात हो।

...(व्यवधान)...

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभा को स्थगित कर दूं ?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लें, तभी पता लगेगा।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है, मैं इस पर हैरान हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई तरीका तो होता होगा।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की मांग करने के लिए आपके अधिकार के बारे में मना नहीं करता। लेकिन उसकी भी किसी नियम के अन्तर्गत मांग की जा सकती है। आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आप वह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी से कुछ पूछने वाला कौन होता हूं। मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं, मैं आपको किसी भी प्रस्ताव की अनुमति दे सकता हूं। मैं बस इतना कर सकता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित होती है।

12.16 म. प.

सभा 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.02 म. प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सभा 2.02 म. प. पर पुनः समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। मैंने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दी है। यदि आपको स्वीकार है तो ठीक है। यदि आपको स्वीकार नहीं है तो यह आप पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, आपने पहले ही कहा है कि आप चर्चा की अनुमति देंगे। सरकार इसी समय वाद-विवाद कराने के लिए तैयार है। यदि वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो वे इसी समय ला सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। हम नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए अथवा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए दोनों बातों का विकल्प खुला है। आप इसी पहले ही कह चुके हैं··· (व्यवधान) सभा यह देख चुकी है कि वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप सभा की राय जान सकते हैं। अल्पसंख्यक विवेकहीन नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। वे असंवैधानिक और गैर-कानूनी प्रयासों द्वारा विवेकहीन नियम में होने का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं (व्यवधान) यदि आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो ले लाइये। क्या आप विवेकहीन नियम चाहते हैं? जी, नहीं। आप चर्चा कीजिए। हम अभी चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो अभी इस पर चर्चा कीजिए। (व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आज आप काम करना नहीं चाहते हैं ? क्या आप छुट्टी चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा कार्य करने के मूड में नहीं है।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आप सभा की राय जान सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने राय ले ली है।

[हिन्दी]

मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

((व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं ? ठीक है। यदि सभा मूड में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म. पू तक के लिए स्थगित होती है।

2.08 म. प

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 20 जुलाई, 1989/ 29 आषाढ़, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006.